लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

देहाती क्षेत्रों में मनीआर्डरों का वितरण

*२८३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि अनेक ग्रामीण डाक-घरों में मनी-आर्डर बहुत लम्बा समय बीत जाने पर वितरित किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिस्थिति में सुधार करने के लिये कौन कौन से विशेष उपाय किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कहीं कहीं ।

(ख) (१) जहां कहीं आवश्यक हो गांव में डाकिये को कई बार भेजा जाय ।

(२) छोटे डाक-घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाय ।

(३) जहां कहीं ब्रांच पोस्टमास्टरों के कार्य में शिथिलता पाई जाय वहां अधिक निगरानी की जाय ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि मनीआर्डरों के वितरण में देरी होने का एक मुख्य कारण यह है कि एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एजेंटों व पोस्टमैनों को बहुत कम परिणाम में रुपये ले जाने का अधिकार है, इसलिये उन से और अधिक जमानत ले कर भी उन्हें विभागीय पोस्टमास्टरों व पोस्टमैनों के बराबर रुपये ले जाने का अधिकार दिया जाय ?

श्री राज बहादुर : एक विलेज पोस्टमैन कुल २५० रुपये की रकम का मनीआर्डर ले जा सकता है, उस में भी कोई मनीआर्डर ५० रुपये से ज्यादा का वह नहीं ले जा सकता है । उन को ज्यादा रकम दिये जाने में जो एक सब से बड़ी समस्या है वह उन की सुरक्षा की भी है, इसलिये इस पर विचार करना अभी दुश्वार है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी आई है कि कई एक्सट्रा डिपार्टमेंटल सब व ब्रांच पोस्ट आफिसों के पोस्टमास्टर मनीआर्डरों के रुपये अपने व्यापार में लगा देते हैं और फलस्वरूप ग्रामीणों को बहुतदेर से मनीआर्डर वित-

रित किये जाते हैं, क्या इस प्रकार के दोषी पोस्टमास्टरों के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही की गई है या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री राज बहादुर : ऐसी शिकायत विशेष रूप से कोई नहीं मिली, यदि माननीय सदस्य के नोटिस में कोई ऐसी शिकायत आई हो और मुझ तक भिजवाने की कृपा करेंगे, तो मैं बड़ा आभारी हूंगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सत्य है कि भारत में ऐसे ३ लाख गांव हैं जहां सप्ताह में केवल एक बार डाक बांटी जाती है ? इन स्थानों पर मनीआर्डर पहुंचाने में औसतन कितना समय लगता है ?

श्री राज बहादुर : लगभग दो वर्ष पहले लग भग एक लाख ऐसे गांव होंगे जहां डाकिये कभी नहीं जाते थे । उन्हें 'बिना डाक' के गांव कहा जाता था, अब ऐसी बात नहीं है और अब कोई ऐसा गांव नहीं जहां सप्ताह में एक बार डाकिया न जाता हो ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन

*२८४. **श्री डाभी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न सं० १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् सरकार ने प्राक्कलन समिति द्वारा उनके सातवें प्रतिवेदन में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के काम के बारे में की गई विभिन्न सिफारिशों के बारे में कोई विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के विनिश्चय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) सरकार ने अभी प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा नहीं किया है । आशा है कि इस विषय में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय की जाँच करने और किसी परिणाम पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : आशा है कि इस में दो सप्ताह से अधिक समय नहीं लगेगा ।

सेठ गोविन्द दास : इसमें कितने ट्रैक्टर ऐसे हैं कि जो अतिरिक्त हिस्सों के न मिलने के कारण बेकार पड़े हुए हैं और इन अतिरिक्त हिस्सों को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : शायद मेम्बर साहब को मालूम होगा कि मैंने इसका जवाब चन्द रोज़ हुए दिया था, पिछले सेशन में दिया था कि फिलहाल सैंट्रल ट्रैक्टर आरगेनाइज़ेशन में कोई ऐसे ट्रैक्टर नहीं हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो सरप्लस हैं या काम में नहीं आ सकते हैं वह हमने डिस्पोज़ल की तरफ़ भेज दिये हैं ।

श्री गिडवानी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि सेंट्रल ट्रैक्टर आरगेनाइज़ेशन के गोदाम में कई ट्रैक्टर पड़े हैं जो धूप में और वर्षा में पड़े हैं, किसी काम में नहीं आने वाले हैं और जंग भी लगा हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह शायद हालत चन्द दिनों के पहले थी, जहां तक मुझे इल्म है अब ऐसा नहीं है ।

श्री केलप्पन : क्या ३१ मार्च, १९५४ के पश्चात् राज्य सरकारों से कोई राशियां एकत्र की गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

स्वचालित टेलीफोन और विद्युत समवाय लिमिटिड के साथ करार

*२८५. **श्री झूलन सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक

लेखा समिति द्वारा अपने दसवें प्रतिवेदन में कही गई बातों के बारे में स्वचालित टेलीफोन और विद्युत् समवाय लिमिटिड के साथ करार का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी सुझावों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]

श्री झूलन सिंह : विवरण की मद ३ के सामने दिए गये टिप्पण अर्थात " भविष्य में ऐसे करार करते समय इसे ध्यान में रखा जायेगा" को दृष्टि में रखते हुए क्या यह सम्भव नहीं कि स्वयं करार में ही इस खंड को पुनरीक्षण किया जाये ?

श्री राज बहादुर : करार १९४८ में किया गया था और इस में कोई भी रूपभेद दोनों पक्षों की सलाह से किया जा सकता है। इस बात का विश्वास नहीं कि इस समय दूसरा पक्ष सहमत होगा ।

भारत में अमरीकी व्यवसायिक विमान

*२८६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत और अमरीका की सरकारों के बीच भारत में अमरीकी व्यवसायिक विमान चलाने के बारे में कोई बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत कहां तक पहुंच चुकी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भारत-अमरीकी विमान परिवहन करार जो १९४६ में किया गया था वह १५ जनवरी, १९५५ को समाप्त हो गया। नया करार होने तक दो अमरीकी विमान समवायों अर्थात् ट्रांस वर्लड एयर-लाइंस और पैन-अमरिकन वर्लड एयरवेज़ सिस्टम को जो १९४६ के करार के अन्तर्गत चल रहे थे अस्थायी पर्मिट जारी किये गये हैं जो एक वर्ष तक मान्य होंगे और जिन के अन्तर्गत प्रत्येक समवाय एक सप्ताह में दो विमान भेजता है, नया करार करने की बात चीत पुनः आरम्भ करने के बारे में अमरीकन सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जो दो सेवायें चल रही हैं क्या वे अब पांचवीं स्वतंत्रता प्राप्त यातायात को भी लाती हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक पांचवी स्वतंत्रता प्राप्त यातायात का सम्बन्ध है उन्हें बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में से किसी एक हवाई अड्डे पर लाया जा सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : पर्मिट कब समाप्त होगा ?

श्री राज बहादुर : पर्मिट की अवधि एक वर्ष है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या संचार मंत्रालय और अमरीकन सरकार के निसृष्टार्थ के बीच कोई बातचीत हुई थी और क्या बातचीत के लिये कोई प्रस्ताव रखा गया था ?

श्री राज बहादुर : बातचीत हुई थी परन्तु दुर्भाग्यवश वे बहुत देर से अर्थात् नवम्बर, १९५४ में आरम्भ हुई अतः दोनों पक्षों में कोई सन्तोषजनक करार न हो सका इसलिये यह अस्थायी प्राधिकार दे कर अस्थायी प्रबन्ध करना पड़ा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि भारत सरकार यह प्रतीक्षा कर रही थी कि अमरीकन सरकार एक नये करार के लिये प्रस्ताव करेगी और यदि यह प्रस्ताव नहीं किया गया तो यह नया पर्मिट किन आधारों पर जारी किया गया है ?

श्री राज बहादुर : यह तीसरी और चौथी स्वतंत्रता प्राप्त यातायातों से और उस यातायात से सम्बन्धित है जो उन देशों से होता है जहां हमारे विमान नहीं जाते । इन अस्थायी प्राधिकारों से देश को यह लाभ हुआ है कि अमरीकी विमानों की बारम्बारिता कम हो गई है । इस के अतिरिक्त पहले जो अमरीकी विमान दिल्ली और कलकत्ता दोनों स्थानों पर ठहरते थे अब बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में से केवल किसी एक स्थान पर ठहर सकते हैं ।

लेडी हार्डिंग अस्पताल

*२८७. **श्री वी० पी० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली के प्रसूति विभाग में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं ;

(ख) उन का वेतन-क्रम क्या है ;

(ग) एक ही समय पर, अस्पताल में दाखिल और बाहर से आने वाले रोगियों के वार्डों में कितने डाक्टर लगे रहते हैं;

(घ) क्या वे आने वाले रोगियों के लिये पर्याप्त हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]

(ग) बाहर के रोगियों के विभाग में पांच या छः डाक्टर काम करते हैं और शेष अस्पताल में रहने वाले रोगियों के वार्डों में ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे विवरण से पता चलता है कि प्रसूति विभाग में नियमित रूप से केवल पांच डाक्टर लगे हुए हैं । क्या मैं लेडी हार्डिंग अस्पताल में प्रति दिन दाखिल किये जाने वाले रोगियों की संख्या की औसत जान सकता हूं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रति दिन दाखिल किये जाने वाले रोगियों की संख्या तो मैं नहीं जानती परन्तु वहां २१४ के लिये स्थान है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि उन डाक्टरों को, जिन्होंने शिक्षा और चिकित्सा का कार्य करना था, प्रति दिन एक साथ प्रसूति वार्ड और बाहरी रोगियों के वार्ड में काम करने के लिये लगा दिया जाता है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री वी पी० नायर : क्या कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि क्या बच्चा होने वाले मामलों में बच्चा होने के कुछ घंटों बाद ही माताओं को अस्पताल से भेज दिया जाता है और वहां के डाक्टरों को काम बहुत होने के कारण रोगियों के देखभाल करने का समय नहीं मिलता ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे ऐसे किसी मामले का स्मरण नहीं है । यदि कोई ऐसा मामला मंत्रालय के सामने आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

गाड़ियों का देर से चलना

*२८९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में देर से चलने वाली गाड़ियों का प्रतिशत क्या है और इस सम्बन्ध में अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय रेलवे द्वारा चलने वाली कुल गाड़ियों में देर से चलने वाली गाड़ियों का प्रतिशत समय समय पर १६ और २५ के बीच रहता है। विदेशो के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या मंत्री महोदय को यह तथ्य विदित है कि चीन में यदि कोई गाड़ी आध घंटा देर से चलती है तो उसे बड़ी दुर्घटना समझा जाता है जबकि भारत में पदाधिकारी गाड़ियों के देर से चलने को कोई गम्भीर बात नहीं समझते बल्कि इसे साधारण बात समझते हैं ?

श्री अलगेशन: कुछ माननीय सदस्य जिन्हें चीन जाने का अवसर मिला है ऐसा बताते रहे हैं। परन्तु भारत की परिस्थितियां अन्य प्रकार की हैं, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी के कारण वे अवश्य देर से चलेंगी। यह बात सभा में पहले भी स्पष्ट की गई है। अब मुझे सभा को यह बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष १९५४ के उत्तरार्ध में हालत काफी सुधर गई है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: गाड़ियों के देर से चलने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन: रेलवेज़ को यह हिदायतें जारी की गई हैं कि गाड़ियों के देर से चलने को गम्भीर बात समझा जाये और जहां कहीं आवश्यक हो कार्यवाही की जाये और ग्रीष्म ऋतु के लिये पानी की कमी वाले स्थानों पर पहले ही से पानी की व्यवस्था कर दी जाये।

श्री बंसल: क्या रेलवे मंत्री को विदित है कि चीन में ऐसी बड़ी दुर्घटना होने पर क्या दंड दिया जाता है ?

श्री अलगेशन: मेरे विचार में चीन में कोई संसद है।

उत्तर रेलवे में डकैतियां

*२९१. श्री डी० सी० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक की अवधि में उत्तर रेलवे में कितनी डकैतियां हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : तीन।

श्री डी० सी० शर्मा: डकैतियो की दृष्टि से १९५४ का वर्ष कुछ विशेष था या साधारण ही ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि साधारण ही रहा है क्योंकि पिछले वर्ष में भी संख्या इतनी ही अर्थात् तीन ही थी।

श्री डी० सी० शर्मा: यह डकैतियां कहां हुई और इन में कितनी हानि हुई।

श्री अलगेशन: मेरे पास तीनों डकैतियों का ब्यौरा मौजूद है। ये धरमपुर हाल्ट, अतरौली और व्यास और ढिलवां के बीच में हुई थीं।

श्री डी० सी० शर्मा : व्यास ढिलवां डकैती के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: इस से रेलवे का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय ने पुलिस की सहायता से डाकुओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री अलगेशन: यह राज्य सरकार का मामला है।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सब से अधिक डकैतियां उत्तर पूर्व रेलवे में ही होती हैं और यात्री इस रेलवे की गाड़ियों में यात्रा करते डरते हैं ।

श्री अलगेशन: मैं बिहार के बारे में नहीं जानता, प्रश्न उत्तर रेलवे के बारे में है ।

एक्सप्रैस माल गाड़ियां

*२९२. **श्री गिडवानी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेल पथों पर एक्सप्रैस माल गाड़ियां चालू कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा को अन्य रेल पथों पर लागू करने का भी विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). एक्सप्रैस माल गाड़ियां सभी रेल पथों पर चालू की गई हैं ।

श्री गिडवानी : इन एक्सप्रैस माल गाड़ियों के चालू किये जाने से यातायात में समय की कितनी बचत हुआ करेगी ?

श्री अलगेशन: निस्संदेह ये एक्सप्रैस माल गाड़ियां निश्चित समय पर चलती हैं और वे जो समय लेती हैं इन से बहुत थोड़ा होता है । मैं दोनों के अन्दर का वास्तविक अन्तर नहीं बता सकता ; क्योंकि इस में विभिन्नता हो सकती है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, क्या बड़ी पटरी तथा छोटी पटरी पर माल गाड़ियों की औसत प्रति घंटा रफ्तार अभी भी १९३८ ३९ की तुलना में कम है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास १९३८–३९ तथा अब के आंकड़े नहीं हैं । यह सच है कि गत वर्षों से माल गाड़ियों की रफ्तार में कमी आती जा रही है । हम इस सम्बन्ध में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हेडा : साधारण माल गाड़ियों तथा एक्सप्रैस माल गाड़ियों के बीच प्रति एक हजार मील से लगने वाले समय में क्या अन्तर है ?

श्री अलगेशन: मैं ने अभी कहा है कि समय बताना संभव नहीं है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या इन गाड़ियों पर भेजे गये सामान पर कोई अतिरिक्त भाड़ा भी लिया जाता है ?

श्री अलगेशन: नहीं, श्रीमान् ।

विदेशी औषधियों का उपयोग

*२९४. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी औषधियां, जिन पर अभी प्रयोग किये जा रहे हैं, भारत में भारतीय डाक्टरों द्वारा उपयोग की जा रही हैं;

(ख) क्या यह तथ्य सरकार के सामने आया है ;

(ग) यदि हां, तो निर्दिष्ट औषधियां कौन सी हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) उत्पन्न ही नहीं होते ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान गत ३० दिसम्बर, १९५४ की अमृत बाजार पत्रिका की एक विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी सामन्त : क्या सन्देहयुक्त प्रभाव की औषधियों को, जिन के विक्रय को बन्द कर दिया गया था, अन्य नामों से जारी कर दिया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कुछ नकली औषधियां हो सकती हैं, किन्तु उन का आयात औषधि नियंत्रक की आज्ञा के बिना नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन औषधियों के विक्रय की देखभाल करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम एक औषधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस से इन नकली औषधियों का विक्रय बन्द हो जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि डाक्टर लोग आयात नियंत्रणों का उल्लंघन, विदेशों से डाक के द्वारा औषधियां मंगा कर करने का प्रयत्न करते हैं ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री करमरकर) : मैं पूर्वसूचना मिलने पर इस प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता से दूंगा ।

राजस्थान के लिये केन्द्रीय जल संभरण बोर्ड

*२९६. **श्री हेडा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजस्थान के लिये केन्द्रीय जल संभरण बोर्ड के स्वत: केन्द्र द्वारा अथवा राजस्थान सरकार के साथ मिल कर, निर्माण किये जाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस का लक्ष्य क्या है और इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय अभिकर्ण द्वारा नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप में एक राजस्थान जल संभरण बोर्ड का निर्माण किया है ।

(ख) इस का उद्देश्य देहातों में पीने वाले जल संभरण के विद्यमान साधनों में सुधार करना और नये साधनों का निर्माण करना है ।

(ग) प्रथम पंच वर्षीय योजना में बोर्ड के लिये एक करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है ।

श्री हेडा : केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में इस बोर्ड को क्या सहायता दी गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस बोर्ड के सम्बन्ध में हमारे पास राजस्थान सरकार ने और जानकारी नहीं भेजी और हम ने केन्द्रीय सरकार से इसे कोई अनुदान नहीं दिया है ।

श्री हेडा : क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई लक्ष्य भी है, जैसे कि डाक व तार विभाग में, जिस से यह समझा जाय कि २,५०० जन संख्या वाले प्रत्येक गांव म पीने के जल से संभरण का प्रबन्ध होना चाहिये ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्या यह प्रश्न उत्पन्न होता है ?

श्रीमती कमलेन्दुमतिशाह : क्या यह सच है कि दिल्ली में पीने के जल का संभरण विशेषतया पुरानी दिल्ली म, बहुत दोषपूर्ण है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास इस की कोई जानकारी नहीं है।

कृषि वस्तुओं को तैयार करना

*२९७. **श्री मुरारका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्देशन समिति के ग्रामीण उधार सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन की इस सिफारिश पर विचार किया है कि राज्य सरकारों को कृषि वस्तुओं में अथवा उन से सम्बन्धित वस्तुओं के तैयार करने में लगे हुए समस्त संयंत्रों कारखानों और मिलों को अनुज्ञप्तियां देने की कार्यवाही करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) निर्देशन समिति ने अखिल भारतीय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की हैं, उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री मुरारका : क्या सरकार ने ऐसे संयंत्रों का सर्वेक्षण कराया है कि वे कहां कहां पर हैं और उन्हें किन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार द्वारा कराये जाने वाले किसी सर्वेक्षण के बारे में मुझे पता नहीं है । यह उस समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर करता है ।

श्री मुरारका : क्या सरकार की यह नीति है कि विक्रय करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाये, जिस से कि वे ऐसे संयंत्र ले सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक बात है जिसे समिति के प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद निर्धारित किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सामान्तया विभिन्न राज्य सरकारों की रायें ली गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सब से पहले यह प्रतिवेदन रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक) के पास भेजा गया था और अब यह वित्त मंत्रालय के पास आ गया है और हम उन की सिफारिशों को जांच रहे हैं । हम इस महीने अथवा अगले महीने सहकारी मंत्रियों की बैठक बुलाने का विचार कर रहे हैं । सलाह लेने के लिये हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करने का विचार रखते हैं ।

विश्व वन-विज्ञान कांग्रेस

*२९८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५४ के दूसरे सप्ताह में हुई विश्व वन-विज्ञान कांग्रेस को सरकार ने आयोजित किया था ;

(ख) किन किन देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे ; और

(ग) क्या वन उगाने के कार्य को बढ़ावा देने के लिये कोई स्पष्ट योजना बनाई गई थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चतुर्थ विश्व वन-विज्ञान कांग्रेस, जो कि एफ० ए० ओ० द्वारा बुलाई गई थी, देहरादून में दिसम्बर, १९५४ में भारत सरकार के निमंत्रण पर आयोजित हुई थी ।

(ख) एक सूची, जिस में उन सभी देशों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने इस कांग्रेस में अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लोक-सभा पटल पर रखी गई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६].

(ग) कांग्रेस ने कोई स्पष्ट योजनायें नहीं बनाई, किन्तु वन उगाने तथा उस से सम्बन्धित मामलों पर विभिन्न सरकारों द्वारा विचार करने के लिये कई सिफारिशें की गई थीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या इस कांग्रेस में रेगिस्तान क्षेत्र के अन्दर वन लगाने की कोई योजना भी बनाई गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह भी एक विषय था जिस पर विचार किया गया था और कांग्रेस ने उस सम्बन्ध में सामान्य सिफारिशें की हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी: इस कांग्रेस पर भारती सरकार ने कितनी रकम व्यय की थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे विचार में कुल रकम एक लाख रुपया थी किन्तु संभवतया हम ने इस का अधिकांश भाग फीसों से प्राप्त किया था ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या कांग्रेस की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार की वन नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, और यदि हां, तो किस हद तक ?

डा० पी० एस० देशमुख: नहीं, श्रीमान् । वन सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हम विश्व में अच्छी वन नीति निर्धारित करने वाले देशों में से एक थे । हां, कहीं कहीं जैसा आवश्यक होगा, छोटे मोटे रूपभेद किये जायेंगे ।

श्री वी० पी० नायर: क्या इस कांग्रेस में संरक्षित वन लगाने के किसी सम्बन्ध में योजना पर चर्चा हुई थी, अथवा कोई ऐसी योजना बनाई गई थी जिसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा सके ।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस प्रश्न का उत्तर पूर्वसूचना के बिना नहीं दे सकता, किन्तु कांग्रस ने ऐसे सभी विषयों पर व्यापक विचार किया था जिस में सदस्य देशों के लिये की गई ये सिफारिशें तथा दी गई रायें उपयोगी हो सकें ।

उड्डयन क्लबों के ग्लाईडिंग विभाग

*२९९. **श्री सारंगधर दास : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए असैनिक उड्डयन प्राधिकारियों के एक सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक उड्डयन क्लब के साथ एक ग्लाईडिंग (उत्प्लावक) विभाग भी संलग्न कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ग) इन विभागों के मुख्य लाभ क्या होंगे ; और

(घ) क्या उड्डयन क्लबों को इस प्रयोजन के लिये कोई अनुदान दिये जाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). संभवतया इस का निर्देश उड्डयन क्लबों के उस सम्मेलन की ओर है जिस में क्लबों के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव रखा था कि उड्डयन के साथ ग्लाइंडिग विभाग भी संलग्न किये जायें । इस सुझाव का परीक्षण असैनिक उड्डयन के महानिदेशक कर रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास: क्या उड़ीसा उड्डयन क्लब के साथ भी ग्लाइडिंग विभाग होगा ?

श्री राज बहादुर: सरकार द्वारा क्रियान्वित उन वर्तमान प्रस्थापनाओं का जहां तक सम्बन्ध है हम और दो ग्लाइडिंग क्लब खोल रहे हैं, एक इलाहाबाद में और दूसरा बंगलौर में । इस समय उड्डयन

बलबों के प्रतिनिधियों के हाल के सम्मेलन के निर्णय पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री जयपाल सिंह : निर्णय कितने समय तक किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : यह निर्णय उचित समय तक किया जायगा ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या सरकार ने ग्लाइडर चलाने के लिये विंचों का क्रय करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ?

श्री राज बहादुर : यह हमारे सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है । हम ने डी० जी० सी० ए० के साथ एक ग्लाइडिंग पदाधिकारी संलग्न किया हुआ है और वह हमें ऐसे मामलों के बारे में सलाह देता है । जो दो नये ग्लाइडिंग क्लब हम इलाहाबाद तथा बंगलौर में खोल रहे हैं उन के लिये हम समस्त आवश्यक उपकरणों की खरीद करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

*३०२. **श्री इब्राहीम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ३८वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपना शिष्टमंडल भेजने का है, जो कि जेनेवा में १ जून, १९५५ को आरम्भ होगा ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस शिष्टमंडल पर अनुमानतः कितनी रकम व्यय की जायगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) अभी विषय पर विचार हो रहा है ।

(ग) ६८,००० रुपये ।

श्री इब्राहीम : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में किये गये, निर्णयों और संकल्पों में से कितनों को अब तक भारत में लागू किया गया है ?

श्री आबिद अली : जब कभी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा पारित किये गये अभिसमयों या संकल्पों के बारे में निर्णय करती है तो उस के सम्बन्ध में जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या विभिन्न कार्मिक संघ संस्थाओं की सदस्यता की जांच की जा चुकी है ?

श्री आबिद अली : हां, श्रीमान । केन्द्रीय कर्मकार संघ संस्थायें चार हैं अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस, यू० टी० यू० सी०, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, और हिन्द मजदूर सभा । इन संस्थाओं से प्रार्थना की गई थी कि वे अपने सम्बन्धित संघों की सूचियां और उन के पते इत्यादि भेजें । भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस और यू० टी० यू० सी० ने समय पर सूचियां भेज दी थी । अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने जांच किये जाने के बहुत पश्चात् सूची भेजी थी और हिन्द मजदूर सभा ने अभी तक सूची नहीं भेजी ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या प्रतिनिधिमंडल सभी केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेगा या उस का प्रतिनिधित्व अत्यधिक प्रतिनिधि संस्थाओं तक ही सीमित रहेगा ?

श्री आबिद अली : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था संविधान के अनुच्छेद ३(५) के अनुसार हमें केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं का परामर्श लेना पड़ता है और यदि वे कोई सर्वसम्मत सूची भेजें तो सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ता है । अन्यथा भारत की अधिक प्रतिनिधि श्रम संस्थाओं की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है ।

नक्षत्र विज्ञान सम्बन्धी वेधशालायें

*३०५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी नक्षत्र विज्ञान सम्बन्धी वेधशालायें हैं और वे किन स्थानों पर हैं ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में कोई और वेधशाला खोलने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष शास्त्रीय विभाग के अधीन एक कोडेकानाल में और एक हैदराबाद सरकार के अधीन हैदराबाद में ।

(ख) जब निधि और मशीनें उपलब्ध होंगी तो उत्तर भारत में किसी उपयुक्त स्थान पर जिस का निश्चय जांच के पश्चात् किया जायेगा । एक केन्द्रीय नक्षत्र विज्ञान संबंधी वेधशाला खोली जायेगी जिस में आधुनिक दूरबीनें और संबंधित मशीनें लगाई जायेंगीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह निश्चय करने के लिये कोई प्रयोग किये गये हैं कि उज्जैन एक वेधशाला के लिये प्रस्तावित केन्द्र के रूप में उपयुक्त स्थान हो सकता है अथवा नहीं ?

श्री राज बहादुर : जी हां देखने की परिस्थितियों के संबंध में उज्जैन में एक वर्ष से अधिक काल से पर्यवेक्षण हो रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उसके परिणाम उत्साहजनक हैं ?

श्री राज बहादुर : यह विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करेगा ।

कुमारी एवी मैस्करीन : क्या माननीय मंत्री को त्रिवेन्द्रम की वेधशाला का पता है और यह पता है कि उसकी स्थिति कैसी है ?

श्री राज बहादुर : वह त्रावनकोर-कोचीन सरकार के अधीन होगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को विदित है कि कुछ भारतीय विश्व-विद्यालयों में ऐसी वेधशालायें हैं ?

श्री राज बहादुर : वह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । सम्भवतः उन के पास भी वेधशालायें होंगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो वैधशालायें बनाई जाने वाली हैं इन के सिलसिले में जयपुर और दिल्ली में जो पुरानी वेधशालायें हैं, क्या उन को भी उपयोग में लाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री राज बहादुर : प्राचीन प्रणाली में और वर्तमान प्रणाली में काफी अन्तर आ चुका है । टेलीस्कोप विभिन्न प्रकार के बन चुके हैं जो अपने काम में काफी कुशल हैं । इसलिये मैं नहीं कह सकता कि इन पुरानी वेधशालाओं का उतना ही उचित ढंग से उपभोग हो सकता है जितना कि आधुनिक यंत्रों के द्वारा ।

भारतीय नौवहन

*३०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार में कार्य करने वाले भारतीय नौवहन समवायों को सम्मेलनों में सम्मिलित पोत समवायों के नियमों तथा विनियमों के कारण बहुत कठिनाईयां होती हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं और उन का भारतीय नौवहन समवायें पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) सरकार का इन नियमों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश उन अयोग्यताओं की ओर है जो भारत पाकिस्तान इंगलैंड और यूरोप के व्यापार क्षेत्रों के बीच व्यापार की व्यवस्था करने वाले नौवहन सम्मेलनों में से कुछ में प्रवेश न होने के कारण भारतीय नौवहन समवायों को सहनी पड़ती है । यदि ऐसा है तो श्री के० पी० त्रिपाठी के प्रश्न के उत्तर में जैसा मैं ने एक दिन बताया था वह स्थिति यह है कि भारतीय नौवहन स्वार्थ मैत्री के आधार पर वार्तालाप करेंगे । और एक बार फिर चालू वर्ष के आरम्भ में ही इन सम्मेलनों की सदस्यता के लिये प्रार्थना करेंगे प्रस्तावित वार्तालाप के विषय में भारतीय नौवहन समवायों के साथ सरकार सीधा सम्बन्ध रखती है और आशा की जाती है कि इस मामले में सफलता प्राप्त होगी ।

(ख) नये सदस्यों को प्रवेश के सम्बन्ध में इन सम्मेलनों के कोई लिखित नियम अथवा विनियम नहीं हैं । वर्तमान सदस्य समवाय प्रत्यक प्रार्थनापत्र पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार करते हैं और किसी नये सदस्य को प्रवेश देने या न देने की सहमति दे देते हैं । एक बार जो समवाय सम्मेलन का सदस्य बन जाय तो उस सम्मेलन की दर की सूचियां और सामान्य प्रथायें उस सदस्य पर लागू होती हैं ।

(ग) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन प्रतिबन्ध अधीन व्यापारों के कारण अब भारतीय नौवहन के पास कितने टन भारवहन की अतिरिक्त क्षमता बाकी रह जाती है ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है क्योंकि हम अपनी टन भारवहन क्षमता का विस्तार करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः अधिकतम भारवहन क्षमता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : न प्रयोग की जाने वाली अनुपूरक क्षमता । कई भाषणों से हम यह समझते हैं कि पहले ही टन भार की कुछ अनुपयुक्त क्षमता विद्यमान है । वह कितनी है ? अथवा क्या माननीय मंत्री का यह विचार है कि अनुपयुक्त क्षमता कोई नहीं है ?

श्री अलगेशन : वह उपलब्ध सामान आदि पर निर्भर करता है । यह विभिन्न यात्राओं में विभिन्न हो सकता है । मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु इन नौवहन समवायों के लिये माध्यमिक समवायों की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है और वे इस के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । इस का उत्तर पूर्ण रूप से एक दिन दे दिया गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री गत वर्ष में हमारे टन भार की अनुपयुक्त क्षमता की प्रतिशतता का कुछ अनुमान बता सकते हैं ?

श्री अलगेशन : जब तक किसी विशेष जहाज और किसी विशेष यात्रा के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न न पूछा जाय मैं यह आंकड़े नहीं बता सकता कितने संभार का उपयोग किया गया अथवा नहीं किया गया । यह कई बातों पर निर्भर करता है । एक ही जहाज के मामले में भी यह टन भार विभिन्न यात्राओं में भिन्न भिन्न होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अनुपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त क्या यह भी सच है कि जब जहाज इंगलैंड से वापस आते हैं तो वे प्रायः खाली ही आते हैं ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

श्री बंसल : क्या यह सच है कि सम्मेलन समवायों के बहुत से सदस्य भारत के पत्तनों में अबाध रूप से आ सकते हैं और यदि हां, तो भारत सरकार उन सम्मेलनों समवायों पर दाबाव क्यों नहीं डालती कि वे हमारे भारतीय नौवहन समवायों को सदस्यता दे दें ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि यह बात कुछ उलझी हुई है। सरकार कदापि उस में बाधा नहीं डाल रही है। ये सम्मेलन व्यापार करने वाले नौवहन समवायों की स्वेच्छापूर्ण संस्थायें हैं। वे स्वेच्छा से ही कतिपय नियमों और विनियमों का पालन करती हैं। हम ने नौवहन समवायों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। हो सकता है कि यदि सरकार कोई शीघ्र कार्यवाही करे तो हम अपने नौवहनों स्वार्थों को हानि पहुंचा दें। हमारे ध्यान में ये सब बातें हैं और हम यथासंभव उन की सहायता का प्रयत्न कर रहे हैं।

लोको-वर्कशाप, अजमेर

*३११. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में मरम्मत के लिये अजमेर के लोको-वर्कशाप में कितने रेलवे इंजन आये थे ; और

(ख) इस कारखाने की क्षमता कितने इंजन ठीक करने की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) २५०।

(ख) हर महीने लगभग २० इंजन।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३ में कितने इंजन मरम्मत के लिये आये और १९५३ के अर्से में कितने इंजन तैयार करके भेजे गये ?

श्री अलगेशन: मेरे पास १९५४ के आंकड़े हैं। कारखाना में छोटी लाईन के ढाई सो इंजन थे, समय समय पर ११३ की पूरी मरम्मत की गई, ८४ की बीच की कुछ मरम्मत और ५३ की विशेष मरम्मत की गई थी।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मीटर गेज के ऊपर नय इंजनों का निर्माण करने का विचार अजमेर में है ?

श्री अलगेशन : हम छोटी लाईन के इंजनों का निर्माण टेलको में करते हैं।

श्री अजित सिंह: क्या गैर-सरकारी इंजन भी मरम्मत के लिये लिये जाते हैं और यदि हां तो विहित नियम क्या हैं ?

श्री अलगेशन: मुझे इस का कुछ पता नहीं है। माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न दें मैं पता लगाऊंगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या भारत में विभिन्न कारखानों का उपयोग निर्धारित करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

श्री अलगेशन : अभी नहीं।

भारत में विदेशी स्वास्थ्य दल

*३१२. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग में कितने विदेशी दल कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वे किन देशों से आये हैं, किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कितना काम किया है ;

(ग) वे भारत में किन शर्तों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]

प्रयोगात्मक नल-कूप

*३१३. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या कृषि तथा खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के करनाटक क्षेत्र, हैदराबाद और मैसूर राज्यों में क्रमानुसार कितने प्रयोजनात्मक नल-कूप आरम्भ किये गये या आरम्भ किये जाने हैं ; और

(ख) प्रत्येक नल-कूप की प्राक्कलित लागत क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार दक्षिण भारत में कहीं इन नल-कूपों के लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

डा० पी० एस० देशमुख : सारे भारत में क्षेत्रों और निश्चित स्थानों का निश्चय किया जा रहा है। हम उन क्षेत्रों में नल-कूप नहीं ले जा रहे हैं जहां उन की सफलता की कोई संभावना नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना की कालावधि में नल-कूप की योजना केवल कुछ राज्य तक सीमित रहेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां। हम ने वे क्षेत्र चुने हैं जो उपयुक्त हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिकतर ये उत्तर भारतीय राज्य पैप्सू, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं।

श्री तिम्मय्या : क्या राज्य सरकारों ने कोई राय मांगी है कि कतिपय राज्यों में प्रयोगात्मक नल-कूप संभव हैं अथवा नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये। मेरे विचार में किसी ने राय नहीं मांगी।

गेहूं के पौधे की बिमारी

*३१४. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्षानुसार अनुमानतः कितने गेहूं में करंजुआ या गेरुआ लगा था ;

(ख) इस कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या गेहूं को करंजुआ तथा गेरुआ आदि से बचाने के लिये कोई गवेषणा की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी हां, गेहूं में बीमारी का प्रतिरोध पैदा करने के लिये गवेषणा आरम्भ की गई है जिस के फलस्वरूप ऐसी किस्में पैदा की गई हैं जिन में बीमारी के प्रतिरोध की पर्याप्त मात्रा होती है। गवेषणा जारी है।

श्री जेठा लाल जोशी : इसी कालावधि में कुल कितने गेहूं का उत्पादन हुआ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सच है कि गेहूं की कुछ किस्मों में घुन बहुत शीघ्र लग जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां श्रीमान् ।

श्री बी० के० दास : इस प्रयोजन के लिये कितनी आई० सी० ए० आर० की योजनायें आरम्भ की गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं संख्या तो नहीं बता सकता परन्तु गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में बहुत सी योजनायें हैं ?

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रस्ट का एक्सपेरीमेंट पिछले २५ वर्ष से आगरा कालिज में प्रोफेसर मेहता द्वारा किया जा रहा है उस के बारे में कुछ किया जायगा या उसे खत्म कर दिया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल मेरे पास इस की इंफारमेशन नहीं है मगर जहां कहीं भी अच्छा रिसर्च हो रहा है उस रिसर्च को हम चाहते हैं और उस से जो कुछ लाभ उठाया जा सकता है उस को उठाने की कोशिश करते हैं ।

कृष्णराजपुरम् --कोडिगिहल्ली रेल सम्पर्क

*३१५. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व मैसूर राज्य के व्यापारियों ने रेलवे प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिये थे कि कृष्णराज-पुरम् से कोडिगिहल्ली तक, जो कि छोटी लाइन पर है, एक घूम कर जाने वाली बड़ी पटरी की लाइन, जोकि गत युद्ध के दौरान में रक्षा कार्यों के हेतु खोली गई थी, जनता के लिये खोल दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच करने पर यह पता चला है कि जनता के यातायात के लिये इस साइडिंग के खोलने के बजाय और अधिक सुविधायें दे कर बंगलौर के स्टेशन का विकास करना अधिक लाभदायक तथा सुविधाजनक होगा ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या यह सच है कि साइडिंग के सम्बन्ध में बंगलौर सिटी स्टेशन पर जो सुधार हुए हैं, वे व्यापार और माल के परिवहन में होने वाली वृद्धि को देखते हुए अपर्याप्त हैं और इसीलिय ट्रकों के द्वारा परिवहन होने लगा है ?

श्री अलगेशन : हम सिटी स्टेशन पर और अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सुधार किये गये हैं, क्या वे व्यापार की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त हैं, और क्या यह काम उन के साथ साथ ही किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह सोचा गया था कि इस लाइन को कायम रखने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह उतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी कि होनी चाहिये और केवल युद्ध के दौरान में तथा उस के बाद कुछ सालों के लिये ही खोली गई थी । हम इस को हटा रहे हैं ।

श्री नटेशन : क्या तब से यह लाइन उखाड़ी गई है ?

श्री अलगेशन : इस को उखाड़ने का हमारा विचार है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : लाइन तो है ही । क्या उपयोग करने के बजाय उन का उखाड़ना अधिक अच्छा समझा गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां । यही मैं कहना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि सरकार इस लाइन को उखाड़ना चाहती है ।

रेलवे इंजनों का निर्माण

*३१६. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टल्को द्वारा इंजनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के आयात का क्या प्रतिशत है ; और

(ख) १९५४ के दौरान में चितरंजन में इंजनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कितने बायलरों का आयात हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सार्थो से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग २५ प्रतिशत पुर्जों का आयात हुआ ।

(ख) ४५ बायलर ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यही अनुपात चितरंजन के लिये भी है, और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अलगेशन : चितरंजन के सम्बन्ध में मेरे पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं । कुछ पुर्जों को छोड़ कर हम प्रत्येक चीज चितरंजन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : यह कहा जाता है, चितरंजन में उत्पादन की मात्रा १२० से २०० पर पहुंच गई है। क्या यह मात्रा आयातित बायलरों पर आधारित है अथवा क्या सारे बायलर चितरंजन में ही बनने लगे हैं ?

श्री अलगेशन : जहां तक इस साल का सम्बन्ध है, चितरंजन ने अभी तक ८६ इंजन बनायें हैं । इस में से ४५ बायलरों का आयात किया गया और ४१ बायलर चितरंजन में ही बनाये गये ।

श्री० एस० वी० रामस्वामी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यह विचार है कि इंजनों के बनने की संख्या १२० से २०० हो जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विचार आयातित बायलरों पर आधारित है अथवा क्या सारे ही बायलर चितरंजन में बनाये जायेंगे ।

श्री अलगेशन : कुछ समय तक बायलरों का आयात किया जायेगा । इस दौरान में, हम सारे ही बायलर बनाने के योग्य हो जायेंगे । हमारी यह योजना है कि चितरंजन में २०० इंजन और १०० बायलर अर्थात् ३०० बायलर बनने लगें ।

ट्रेन दुर्घटना

*३१७. **श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या** रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व के राजवाड़ी और काडीपुर स्टेशनों के बीच, ९ फरवरी, १९५५ को ३ बजे म० पू० सावारी गाड़ी और माल गाड़ी की जो टक्कर हुई, उस के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस मुठभेड़ से कितने व्यक्ति मरे व घायल हुए और रेलवे को कितना नुक्सान हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह टक्कर स्पष्टता काडीपुर टेशन तक जाने वाली माल गाड़ी संख्या ९५४ डाउन के चालक के काबू न पाने के कारण हुई थी । गाड़ी वहां रोकने के बजाय राजवाड़ी-काडीपुर विभाग में, जिस तरफ से ३८५ अप सवारी गाड़ी आ रही थी, चली गई । एक विभागीय जांच की गई, किन्तु अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) १० व्यक्तियों को मामूली चोटें लगीं । रेलवे की लगभग ७,३०० रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : प्रतिवदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ?

श्री अलगेशन : यह सब होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति दुर्घटना-ग्रस्त नहीं हुआ । दस व्यक्तियों के मामूली चोटें लगीं ।

श्री चट्टोपाध्याय : शाहनवाज समिति का मूल प्रतिवेदन कब प्रकाशित होगा ?

श्री अलगेशन : इसे प्रकाशित करने का हमारा विचार नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह प्रतिवेदन क्यों प्रकाशित नहीं किया जायेगा, इस का कारण हमें बताया जाये ?

श्री अलगेशन : यह बात इस प्रश्न के प्रसंग में नहीं आती, किन्तु मैं ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैं और प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता ।

चावल उगाने का जापानी ढंग

*३१८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल उगाने के जापानी ढंग के सम्बन्ध में विदेशों द्वारा अनेक पूछताछ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने वाला कोई साहित्य तैयार किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). जी हां

(ग) जी हां, । यह लोक सभा की पुस्तकालय में रख दिया गया है। इस के अलावा संसद् भवन में संसद् सदस्यों के लिये उस समय तक प्रकाशित और तैयार सारे साहित्य की एक विशेष प्रदर्शनी तथा फिल्म प्रदर्शनी का भी प्रबन्ध किया गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : जिन देशों ने यह पूछताछ की थी, उन के नाम क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग १४ देशों ने यह पूछताछ की है । ये देश श्री लंका, टैक्सस, फिलिपाइन, कांगो, ईरान, मैक्सिको, ब्राज़ील, ग्रीस, क्यूबा, अरकन्सास और मनीला हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि ये पूछताछ सीधे जापान से न कर के भारत से ही क्यों की गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ सीमा तक हम ने जापानी ढंग में और सुधार कर लिये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या जापानी ढंग से चावल उगाने के सम्बन्ध में भारत द्वारा निर्मित दो फिल्मों की मांग की गई थी, और क्या वह मांग पूरी कर दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, वह सब मांगा गया था और उस में फिल्मों की मांग भी सम्मिलित है। मैं नहीं कह सकता कि हम सारी मांगें पूरी कर पायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : एक ऐसी खबर थी कि एक विद्यार्थी अपनी नौकरी छोड़ना चाहता था और उस ने भारत से यह पूछताछ की कि यदि उस को तत्सम्बधी सारा विशेष साहित्य दे दिया जाये, तो वह अपने पद

से त्याग पत्र दे देगा और धान की कृषि करने लगेगा। क्या सरकार उस की मांग को भी पूरी कर सकती थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किन्तु यदि मुझ को इस बात की सूचना दी जायगी, तो मैं निस्संदेह उस विद्यार्थी को अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिये प्रोत्साहित करूंगा।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या उन देशों ने केवल फिल्मों और तत्सम्बन्धी सूचना की ही मांग की है या खेती के जापानी ढंग के विशेषज्ञों की भी मांग की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: उन देशों ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मांगी है कि हम ने चावल के उत्पादन में इतना परिवर्तन कैसे कर दिया। कुछ देशों ने मुझसे यह पूछा है कि क्या वे अपने आदमियों को इस ढंग के अध्ययन के लिये यहां भेज सकते हैं।

हवाई अड्डों में आग बुझाने का सामान

*३१९. **श्री झूलन सिंह**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनेक हवाई अड्डों में संस्थापित आग बुझाने के नवीनतम प्रकार के उपकरणों से, विशेषतः उन के प्रयोग से, जान और माल की रक्षा होने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): नवीनतम प्रकार के उपकरणों को जहां भी काम में लाया गया है, उन से सफलता मिली है। इस सम्बन्ध में सारी जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८**]

श्री झूलन सिंह: आग बुझाने वाले इन उपकरणों के प्रयोग से कितनी जानें बचीं और कितनी सम्पत्ति की रक्षा हुई ?

श्री राज बहादुर: यह जानकारी विवरण से प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः विमान दुर्घटना में आग बुझाने वाली गाड़ियों का उपयोग अधिकांश मामलों में तभी हो सका, जब कि विमान के चालू होने के समय इंजन में आग देखी गई। ऐसी घटना उड्डयन संस्था के विमान अथवा फौजी विमान अथवा प्रशिक्षण के विमान के साथ होता है।

परिवार आयोजन

*३२३. **श्री हेडा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या समाज कार्य भारतीय सम्मेलन की परिवार आयोजन तथा समाज कल्याण समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य सुझाव क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेडा: क्या सरकार उन समाज कार्य भारतीय परिषद् जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिवेदनों का लाभ उठा रही है, जो कि इन्हीं उद्देश्यों अथवा कुछ अन्य सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: यह विशिष्ट संस्था एक गैर-सरकारी संस्था है और उन से हमें कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें तो इस उद्देश्य से बनाई गई किसी उस समिति की जानकारी नहीं है।

श्री वी० पी० नायर: क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि रोम में १९५३ में जो जनसंख्या सम्मेलन हुआ था, उस में जनसंख्या सम्बन्धी विश्व विशेषज्ञों इस बात पर सहमत

हो गये थे कि भारत में प्राप्त अनुभव के आधार पर परिवार आयोजन से जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायें बिल्कुल भी हल नहीं हो सकतीं ? सरकार इस योजना को अब भी क्यों जारी रख रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: इस सम्बन्ध में एक प्रथक प्रश्न रखना चाहिये ।

राष्ट्रीयकृत विमान समवायों को प्रतिकर

*३२४. **श्री मुरारका**: क्या **संचार** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि विभिन्न विभाग समवायों को कितना कितना प्रतिकर दिया जायेगा ;

(ख) क्या इन में से किसी समवाय को नकद रूप में कोई धनराशि दे दी गयी है ; और

(ग) नकद और प्रतिभूतियों के रूप में कुल कितना धन देने का अनुमान है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) दोनों विमान निगमों ने विमान निगम अधिनियम, १९५३ के अधीन विमान समवायों को दिये जाने वाले प्रतिकर का निर्धारिण कर लिया है । प्रथम कार्यवाही के तोर अनौपचारिक रूप में इस की सूचना समवायों को भेज दी गई है , ताकि वे इन परस्पर तय किये गये आंकड़ों के बारे में फैसला कर सकें । समवायों से इस विषय पर पत्र व्यवहार चल रहा है और जल्दी ही प्रतिकर की राशि के तय हो जाने की आशा है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) लगभग प्रतिकर की कुल धनराशि ६ करोड़ रुपया होगी ।

श्री मुरारका: मैं जान सकता हूं कि सरकार इन समवायों को जो प्रत्याभूतियां क्षतिपूर्ति के रूप में देने को जा रही है, क्या उन की परक्रामणीयता (निगोशियेबिलिटी) पर कोई रोक लगायी जायेगी ?

श्री राज बहादुर: जहां तक निगमों का सम्बन्ध है वह समवाय को यह राशि बंध पत्रों (बोर्डों) के रूप में दे देगी या जितनी राशि नकद दी सकने योग्य होगी, उस रूप में दे देगी और अशंभाजकों में बांटना समवाय का काम होगा ।

श्री मुरारका: मैं ने पूछा था कि क्या सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में दी ज़ाने वाली प्रत्याभूतियों के विक्रय पर कोई रोक लगायेगी, क्या सामवाय उसे तुरन्त बाजार में बेच सकेगी या नहीं ?

श्री राज बहादुर: इस सुझाव का ध्यान रखा जायेगा, और गुण-दोष के अनुसार उस की जांच की जायेगी ।

श्री मुरारका: वायु-प्रमंडल-क्षतिपूर्ति अधिकरण को क्या क्या बातें सौंपी गयी थीं और उन के निर्णय क्या थे ?

श्री राज बहादुर : केवल हिमालयन एयरवेज के विषय में कुछ बातें न्यायाधिकरण को सौंपी गयी हैं और निर्णय की प्रतीक्षा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन अनुपूरक अनुदानों के कागजों में जिन्हें हम आज पास करने जा रहे हैं, सरकार और समवायों के बीच इस निजी बातचीत के बारे में कहा गया है कि मूल्य-निर्धारण बड़ा जटिल सिद्ध हुआ है । क्या इस का अर्थ यह है कि कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है, जिस के कारण सरकार के मूल्य-निर्धारण को चुनौती दी गयी है, या समवाय ने उसे नहीं माना है, जिस से ये कठिनाइयां पैदा हुई हैं ?

श्री राज बहादुर : निःसंदेह प्रक्रिया बड़ी जटिल थी, जो इसी से प्रकट हो जायेगा कि समवायों को उन के हिसाब की खाना-पूरी करने के लिये ३६ फार्म दिये गये थे । इन के आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया है । क्षतिपूर्ति के ये निर्धारण हम ने समवायों के पास यह जानने के लिये भेजे हैं कि वे इन को स्वीकार करती हैं, या अस्वीकार, या अंशतः स्वीकार करती हैं । इस के बाद हम क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कर देंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कितने समवायों . . .

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

रेलों पर संरक्षण कार्य

*३२५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के अज्झीक्कल स्टेशन के आस-पास की सार्वजनिक संस्थाओं से यह अभ्यावेदन मिला है कि अज्झीक्कल स्टेशन के ऊपरी पुल और रेलवे पुल के आस-पास उचित संरक्षण न होने से खारी पानी पास के धान के खेतों में घुस जाता है और फसल को नष्ट कर देता है ; और

(ख) यदि सच है, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक अतिरिक्त नाली (कलवर्ट) बनाने के लिये योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा र हैं और मद्रास सरकार के पास उस की मंजूरी के लिये भेज दिये जायेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि ज्वार-भाटे के प्रवाह में खारा पानी पहले रेलवे के अहाते के निम्नवर्ती भाग में घुस जाता है और बाद में पास के ३००–४०० एकड़ धान के खेतों में फैल जाता है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । यही तो अभ्यावेदन है कि निकट के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है । पर इस का कारण रेलवे के अहाते में पानी इकट्ठा हो जाना नहीं है, बल्कि वहां पर नालियों की समुचित व्यवस्था का न होना है, और उस के लिये वे एक पृथक नाली (कलवर्ट) की मांग कर रहे हैं । यह मद्रास सरकार के पैसे से बनेगी, और इस के बारे में उन से कह दिया गया है, और हम उस का एक प्राक्कलन भेज रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को पता है कि मद्रास सरकार का विचार है कि यह रेलवे का अहाता है, अतः नाली या संरक्षणात्मक दीवाल बनाने की जिम्मेवारी केन्द्र की है, मद्रास सरकार की नहीं ?

श्री अलगेशन : प्रश्न यह है कि स्थान सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिये हम तभी व्यवस्था करते हैं, जब रेलवे लाइन बनने के दस वर्ष के अन्तर्गत ही कोई आवश्यकता पड़े । यह लाइन १९०६ में बनी थी । और अब यह रेलवे की जिम्मेवारी नहीं है । स्थान सम्बन्धी कोई भी निर्माण-कार्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के पैसे से ही किया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री का विचार यह है कि यह पानी भरना पिछले दस साल से ही शुरु हुआ है ? यदि यह पहले से ही था, तो सरकार ने इन ३००-४०० एकड़ धान के खेतों को बचाने के लिये पहले कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अलगेशन : यदि ऐसा है, तो यह कार्यवाही मद्रास सरकार को करनी चाहिये थी, रेलवे को नहीं।

हवाई अड्डे

*३२७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने नये हवाई अड्डों के पूरे हो जाने की आशा है ;

(ख) अगरताला हवाई अड्डे के बनने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस की प्राक्कलित निर्माण-लागत कितनी होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीन हवाई अड्डों का अर्थात् चंडीगढ़ कांडला और उदयपुर निर्माण कार्य चल रहा है। उन को १९५५-५६ में पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

(ख) तथा (ग). मैं एक विवरण सभा के पटल पर रखता हूं, जिस में अगरताला हवाई अड्डे के विभिन्न निर्माण-कार्यों की प्रगति और उन की लागत दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ३९**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पोर्टब्लेयर में एक हवाई अड्डे का निर्माण-शुरू किया गया है, या निकट भविष्य में किया जायेगा?

श्री राज बहादुर : यह शुरु नहीं किया गया है। उसके बारे में आरम्भिक पड़ताल का काम तक नहीं हुआ है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि आसाम के विभिन्न अगम्य पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के लिये सरकार वहां विभिन्न भागों में हवाई अड्डे बनाना चाहती है।

श्री राज बहादुर : हमारी नीति विभिन्न राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की है। अंडमान एक द्वीपसमूह है। माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री हेम राज : क्या कुलू घाटी में एक हवाई अड्डा बनाने का कुछ विचार है ?

श्री राज बहादुर : इस समय इस की पड़ताल नहीं हो रही है, बल्कि हमें सुझाव दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : अपने दूसरे प्रश्न में मैं आसाम के बारे में जानना चाहता था जब कि माननीय मंत्री ने अंडमान के बारे में उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि क्या आसाम के प्रशासनिक केन्द्रों को हवाई संचार से जोड़ा जायेगा ?

श्री राज बहादर : आसाम में हवाई अड्डों के निर्माण के लिये प्रारंभिक पड़ताल का काम नौगांव और शिलांग में चल रहा है।

चावल का स्टाक

*३२८. **श्री सारंगधर दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षित (रिजर्व) स्टाक में चावल की कुल मात्रा कितनी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने पुराने स्टाक को निपटा देने और नया माल भरने का निश्चय किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १२-२-५५ को सरकार का चावल का कुल स्टाक १५·८ लाख टन था।

(ख) सरकार ने उस स्टाक को निपटाने का निश्चय किया है, जो बहुत समय तक बचाया नहीं जा सकता है।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि पिछले वर्ष के स्टाक के लिये औसतन कितना दाम दिया गया था, और उससे अब कितना वसूल किया जा सकेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बर्मा से गत वर्ष आने वाले सभी चावल के लिये हम ने ४८ पौंड ति टन दिया था ; देशी चावल का मूल्य ३० पौंड से ३५ पौंड तक है ।

श्री सारंगधर दास : इसे किस दाम पर बेचा जायगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब हम देखते हैं कि किसी विशेष प्रकार के चावल को बहुत समय तक बचाया नहीं जा सकता, प्राक्कलन पत्र मंगाये जाते हैं और उसे बेच दिया जाता है । हम नहीं कह सकते कि हमें यह किस दाम पर बेचना पड़ेगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि चूंकि चावल भंडार में रखने से बिगड़ जाता है, क्या सरकार भविष्य में चावल क स्थान पर धान को भंडार में रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस भंडार का कुछ अंश धान के रूप में भी है । यथासंभव हम धान के रूप में ही लेने की कोशिश करते हैं, पर यह सब हमारे आयात पर निर्भर है । इन १५ लाख टनों में ९ लाख टन आयात किया हुआ चावल है और वह इसलिये कि हम बर्मा से धान का आयात नहीं कर सकते, बल्कि हमें चावल के रूप में उसका आयात करना होता है । देश में लिये जाने वाले अनाज में कुछ धान के रूप में होगा और कुछ चावल के रूप में ।

श्री ए० एम० थामस : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत सा चावल जो केन्द्र विभिन्न राज्यों से वापस ले रहा है, रद्दी हो गया है और बाकी भी बिगड़ रहा ह ? यदि सच है तो सरकार इस स्टाक को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हाल में हमने केन्द्र और राज्यों के सभी अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था और हम ने उन से कहा है कि उस चावल का ग्रेड और स्वरूप अलग चिन्तित कर दें, जो खराब हो जाता है, जिससे उसे तुरन्त निपटाया जा सके । इस समय हमारे पास ऐसा कुछ भी चावल नहीं है, जो बिगड़ रहा हो । उस के बिगड़ते ही हम उसे निपटा देते हैं ।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई स्टाक निपटाये जा चुके हैं, और यदि हां, तो उन पर कितना घाटा हुआ हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां माननीय सदस्य के जिले में यानी कालीकट में हम ने पिछले महीने लगभग १५,००० टन चावल बेचे थे ।

श्री केलप्पन : क्या कुछ घाटा हुआ था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने जो दाम दिया था उस का पचास प्रतिशत ।

रेलवे कर्मचारी

*३२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में उत्तर रेलवे में कितने गार्डों और असिस्टट स्टेशन मास्टरों की भरती की गयी थी ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातिय के कितने व्यक्ति थे ।

रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) गार्ड ७६
असिस्टैंट स्टेशन मास्टर ४२१
(ख) गार्ड ३
असिस्टैंट स्टेशन मास्टर २५

श्री डी० सी० शर्मा : क्या अनुसूचित जातियों के लिये कुछ संरक्षण रखा जाता है, और यदि हां, तो उस का अनुपात कितना है ?

श्री अलगेशन : संरक्षण का अनुपात १२ १/२ प्रतिशत है, पर दुर्भाग्य से ये प्रतिशतक ४ और ६ प्रतिशत ही हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि तथा कथित अनुसूचित जातियों की यह भरती अनुपात से कम क्यों हुई ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों के बारे में अर्हताओं को कम नहीं कर देती है ?

श्री अलगेशन : भरती रेलवे सेवा-आयोग द्वारा की जाती है । वस्तुतः इन वर्गों के लिये अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के आवेदन पर्याप्त संख्या में आते हैं और अनुसूचित जातियों के लिये अलग रखे गये स्थानों से चार-पांच गुनी संख्या में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है पर उन में से बहुत से स्तर तक के न थे, इसलिये उनको नहीं चुना गया । जहां तक स्तर को कम करने का प्रश्न है, मुझे खेद है कि यह स्वीकार्य नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के विषय में स्तर को कम कर दिया जाता है, और यदि सच है तो यह रेलवे सेवा आयोगों या रेलवे चुनाव बोर्डों द्वारा यह क्यों नहीं किया जाता ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि राज्य सेवा आयोग और संघीय सेवा आयोग कुछ ढील देता है, शायद ढील का सम्बन्ध आयु-सीमा से है, पर मैं नहीं समझता कि इसका सम्बन्ध मूलतः स्तर से है ।

मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना

*३३०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निजाम राज्य की रेलों के उन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का ५० प्रतिशत भाग मंहगाई वेतन मान लिया गया है जिन्होंन रेल सम्मिलन के पूर्व की शर्तें और सेवा की दशाओं को बनाये रखना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव से प्रयुक्त किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त कर्मचारियों को एकीकरण के पूर्व केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहे थे और यदि हां तो इस विशिष्ट वर्ग के प्रति यह भेद क्यों है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सत्य है । यह बात वित्त मंत्रालय की जानकारी में ला दी गई है और वे इस विषय पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय करने की आशा रखते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह मामला पिछले दो वर्षों से अनिश्चित अवस्था में है मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह अक्षरशः वही है जो मैंने पहले कहा था। वित्त मंत्रालय की आशा है कि वह इस मामले पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लेंगे।

श्री के० के० बसु : यह आशा कब तक मूर्त रूप धारण करेगी ?

कुरनूल-कोथापत्तनम रेल सम्पर्क

*३३१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरनूल और कोथापत्तनम के बीच रेल मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि वृहद् संस्था में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्। कुरनूल को नंडयाल होकर ओंगोल से मिलाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कुरनूल कोथापतनम योजना का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नवीन मार्गों के निर्माण का चुनाव करते समय उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये उसे रख लिया गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री अलगेशन : नहीं।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

*३३३. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिससे मालूम हो :

(क) १९५४ में निर्यात और आयात किये जाने वाले खाद्यान्न और चीनी की मात्रा ;

(ख) उन देशों के नाम जिन्हें निर्यात किया गया था ;

(ग) उन देशों के नाम जहां से ये वस्तुयें आयात की गई थीं ; और

(घ) प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित निर्यात और आयात का मूल्य।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी वाले तीन-विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : मैं वे तिथियां जानना चाहता हूं जब सम्बन्धित पार्टियों से करार किये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

विमान दुर्घटनायें

*३३४. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस से मालूम हो :

(क) १९५१ से अभी तक होने वाली विमान दुर्घटनाओं की संख्या तथा उन के परिणाम-स्वरूप मरने वालों की कुल संख्या ; और

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिये समय समय पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाहियां ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण मैं लोक-सभा के पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

श्री जेठालाल जोशी : विवरण से प्रतीत होता है कि सावधानी बरतने के नौ विन्दु हैं। मैं जानना चाहता हूं कि १९५१, १९५२, १९५३ और १९५४ में उपरवर्णित किन बातों का ध्यान न रखने से विमान दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री राज बहादुर: यह बता सकना कठिन है कि किन बातों के अनुसार काम नहीं किया गया था क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में उन के अनुसार काम किया ही गया था, प्रबन्ध में कठोरता बर्तनी थी और उक्त नौ बातें इन्हीं सावधानियों और कठोरता की सूचक हैं ?

श्री जेठालाल जोशी: क्या यह सच है कि कुछ विमानों ने अपनी सेवा-योग्यता की अवधि को पार कर लिया है और यदि हां, तो ऐसे कितने विमान हैं ?

श्री राज बहादुर: नहीं, यह सच नहीं है । जैसा सदन में एक बार पहले भी कहा गया था डेकोटा की औसत आयु ४०,००० घंटे मानी जाती है और हमारे विमानों में से अधिकांश ने १६,००० अथवा १७,००० घंटों से अधिक उड़ान नहीं की है ।

श्री ए० एम० थामस : मैं जानना चाहता हूं कि यह 'धातु थकान' सरीखी वस्तु क्या है ? यदि हां, तो इस से बचने के लिये सरकार ने क्या सावधानी बरती है ?

श्री राज बहादुर: विमान निर्वहन जीनियर्स विभिन्न पद्धतियों, उपायों और मंत्री को सहायता से इसे हल करते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी उत्पादन

*२८१. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५४ में भारत में फैक्टरियों द्वारा उत्पादित चीनी का उत्पादन ;

(ख) उत्पादकों द्वारा युक्त विक्रय के लिये दी गई मात्रा ; और

(ग) क्या युक्त विक्रय के लिये बाजार में लाई गई चीनी के सम्बन्ध में कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २.५ लाख टन ।

(ख) १.२४ लाख टन ।

) नहीं ।

पत्तन पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें

*२८२. **श्री एस० एन० दास**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ता पत्तनों के चालकों और दूसरे पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों की जांच के लिये नियुक्त समिति के कार्य की प्रगति किस स्थिति में है ; और

(ख) समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और कुछ दिनों पूर्व ही उन का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

रेल इंजिन

*२८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजिन

द्वारा धुयें की अत्यधिक सृष्टि से वायु को भ्रष्ट होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): इंजिन फायरमेनों को अत्यधिक धुआं पैदा करने से बचाने के लिये विशेष शिक्षा दी जाती है ।

रेल यातायात के संबन्ध में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

९०. **श्री जी० पी० सिन्हा :**
श्री एल० एन० मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५४ में दिल्ली में रेल यातायात सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या क्या महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत पाकिस्तान रेलवे स्थायी समिति और स्टोर उपसमिति की बैठकें दिल्ली में दिसम्बर, १९५४ में हुई थीं ।

(ख) बैठकों में किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]**

मद्रास पत्तन

*२९३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन पर आने वाले कोयले के जहाजों को पत्तन पर अधिक भीड़ होने से खाली करने में असाधारण देर लग जाती है और स्थानाभाव के कारण स्टीमरों को बन्दरगाह पर कई दिन रूकना पड़ता है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मद्रास पत्तन में कोयला जहाजों के पहुंचने में देरी के कारण जहाजों का वहां अधिक संख्या में एकत्रित हो कर गुत्थम-गुत्था होना और मौसम का अच्छा न होना है तथा कोयला जहाजों के लिये रक्षित दो बर्थ में से एक में इंजिनो और गाड़ियों के ढांचों को कुछ दिनों के लिये ठहराया गया है ।

घरेलू अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण

*२९५. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू अर्थ-शास्त्र में प्रशिक्षण हेतु कुछ महिला विद्यार्थी अमरीका भेजे जाने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यार्थियों का चुनाव कर लिया गया है ;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ; और

(घ) क्या विद्यार्थियों को सरकारी व्यय पर भेजा जायेगा अथवा अमरीका द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के सहारे पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय यवा कृषकों के आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत १० युवतियों को अमरीका भेजने का विचार किया गया है । जिन विषयों का शिक्षण प्रदान किया जायेगा उन में से घरेलू अर्थशास्त्र भी एक है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) छः महीने ।

(घ) नई दिल्ली से न्यूयार्क जाने और आने का किराया अमरीका के ४—एच० क्लब फाउन्डेशन द्वारा दिया जायेगा और निवास तथा भोजन व्यय का प्रबन्ध अमरीकी आतिथेय परिवार करेंगे ।

भारत और गोआ के बीच डाक सम्बन्ध

*३००. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार पत्र प्रणाली पुरःस्थापित होने के पश्चात् भारत और गोआ के बीच डाक सम्बन्ध सर्वथा ठप्प हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा के दोनों ओर डाक के थैलों का ढेर लग गया है ; और

(ग) यदि हां, तो थैलों की डाक सत्वर वितरण करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लदाख में दूरभाष विनिमय

*३०१. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लदाख में एक दूरभाष विनिमय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचराधीन हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) लदाख में एक बेतार दूरभाष क्षेत्र की स्थापना का उपबन्ध विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). उपकरण और वित्त सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पर अभी अन्तिम निर्णय करना शेष है ।

ग्रामीण पुलिस स्टेशनों के लिए टेलीफोन सम्बन्ध

*३०३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक ग्रामीण पुलिस स्टेशन को टेलीफोन द्वारा जिला प्रधान कार्यालय से मिलाने का विचार है और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि में ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेशों का विशेषज्ञ

*३०४. **श्री अमजद अली :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से रेशा का कोई विशेषज्ञ फरवरी १९५५ में इस देश में आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस क आने का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या वह भारत सरकार के या किसी निजी समवाय के निमंत्रण पर यहां आ रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां । संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के आर्थिक विभाग की रेशा शाखा के अध्यक्ष ने जनवरी, १९५५ में इस देश का दौरा किया था ।

(ख) रेशों के सम्बन्ध में एक लेख के लिये सामग्री इकट्ठी करना ।

(ग) वह अपनी इच्छा से इस देश में आये थे ।

लक्कादीव में नारियल की खेती

*३०७. **श्री पुन्नूस** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कादीव में नारियल की खेती के लिये मद्रास सरकार की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार धन दे रही है ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है :

(ग) इस का कुल अनुमानित व्यय क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार व्यय का कितना अंश देती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं ।

(ख) से (घ) उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

*३०८. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड हाल में पुनर्गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य परिवर्तन क्या हैं ;

(ग) क्या श्रमिकों के किन्हीं प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में सम्मिलित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं; और

(ङ) उन्हें कैसे चुना गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड के गठन में या गैर-सरकारी हितों के प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ केवल चार गैर-सरकारी स्थानों में से तीन पर पुराने मनोनीत व्यक्तियों के स्थान पर नये व्यक्ति आ गये हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ) . डा० (मिसेज़) मैत्रेयी बोस जिन्हें भारत सरकार ने मनोनीत किया है ।

पोषण गवेषणा प्रयोगशाला, कूनूर

*३०९. **श्री वी० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) क्या हाल में पोषण गवेषणा प्रयोगशाला को कूनूर से हैदराबाद राज्य में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ;

(ग) क्या प्रयोगशाला के लिये भवन प्राप्त हो गये हैं या अभी बनाए जाने हैं ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की मंजूरी दी गई हैं ;

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां ।

(ख) इस समय पोषण गवेषणा प्रयोगशाला दक्षिण भारत की पास्चर संस्था के भवनों के एक भाग में हैं । उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है और कूनूर में चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं । इस लिये प्रयोगशालाओं को किसी दूसरे केन्द्र में ले जाना आवश्यक है ।

(ग) भवन उस भूमि पर बनाए जायेंगे जो कि हैदराबाद के उसमानिया विश्वविद्यालय के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने निःशुल्क दी है । योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) प्रयोगशालाएं स्थानांतरित करने पर कुल १२,४७,४०० रुपये खर्च होंगे जिन में ७,५७,४०० रुपये भवनों के निर्माण के लिये भी सम्मिलित हैं । सरकार ने भारतीय चिकित्सा गवषणा परिषद् को अब तक इस प्रयोजन के लिये ३ लाख रुपये की मंजूरी दी है ।

हिन्दी

*३२०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय की विभिन्न शाखाओं में हिन्दी में काम शुरू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राम बहादुर) : ज्ञातव्य सूचना एक विवरण पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये** परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ४३]

नौवहन कर्मचारी

*३२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय और विदेशी नौवहन कम्पनियों में कितने व्यक्ति पदाधिकारियों, नाविकों और चालकों के रूप में काम करते हैं ; और

(ख) उन में से कितने प्रमाणपत्र प्राप्त और प्रमाणपत्र रहित मास्टर और डेक पदाधिकारी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण जिस में कलेन्डर वर्ष १९५४ में, बम्बई और कलकत्ता में जो कि भारत में भर्ती के मुख्य केन्द्र हैं भारती तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गय पदाधिकारियों और नाविकों की संख्या बताई गई है, पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ख) यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी हो जाने पर दी जायेगी ।

कृषि सम्बन्धी जानकारी

*३२२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४-५५ में अब तक देश में की गई कृषि गवेषणा के सम्बन्ध में कोई साहित्य प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है।

(ग) इसे किसानों में कैसे परिचलित किया जाता है ; और

(घ) १९५४-५५ में इस पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हाँ ।

(ख) कृषि सम्बन्धी साहित्य मुख्यतया अंग्रेजी और हिन्दी में छापा जाता है। तथापि कुछ पोस्टर बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तामिल तेलगू और उर्दू, प्रादेशिक भाषाओं, में तैयार किये गये हैं ।

(ग) कृषि गवेषणा साहित्य कृषि निदेशकों सूचना तथा प्रचार निदेशकों सहकारी संस्थाओं, कालिजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, राज्यों की कृषि सम्बन्धी संस्थाओं और वाणिज्य संगठनों तथा संस्थाओं के द्वारा वितरित किया जाता है। यह साहित्य सामुदायिक परियोजनाओं विस्तार तथा विकास खंडों के प्रभारी पदाधिकारियों ग्राम पंचायतों और ग्राम सेवकों को भी दिया जाता है। इन के द्वारा यह कृषकों और जनता को पहुंचता है । कुछ मामलों में जहां भी आवश्यकता हो इस साहित्य को रखने और बेचने के लिये एजेंट भी रखे जाते हैं। भारत सरकार के प्रकाशन मैनेजर के पास यह साहित्य विक्रय के

लिये रखा जाता है । इसे मेलों, प्रदर्शनियों और पशु प्रदर्शनियों में भी वितरित किया जाता है ।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है प्राप्त होने पर इसे पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारतीय दुग्धशाला गवेषणा संस्था, बंगलौर

*३२६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डेरी गवेषणा संस्था, बंगलौर में अब तक कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी प्रयोगों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन प्रयोगों पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) अग्रेतर प्रयोग कब किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) . एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

नई रेलवे लाइनें

*३३२. **श्री वी० मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पांडीचेरी और कडालौर के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

सियालदह रेलवे स्टेशन

*३३५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सियालदह रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिये एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सांडों का दिया जाना

*३३६ **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिकन टेक्निकल सहयोग मिशन कार्यक्रम के अधीन जो सांड दिये गये थे, वे भारत में आ गये हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १६ जर्सी सांडों में से जिन के लिये भारत में अमेरिकन टी० सी० एम० ने वायदा किया था, ६ सांड मार्च के आरम्भ में भारत पहुंच जायेंगे । शेष बाद में लिये जायेंगे ।

चीनी के नये कारखाने

*३३७. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री आर० एन० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में चीनी के कारखाने खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) १७ ।

(ख) राज्य सरकारों या और प्रार्थियों से मांगी गई जानकारी प्राप्त होने पर विचाराधिन प्रार्थनापत्रों का निर्णय किया जायेगा ।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवा समिति

*३३८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **संचार** मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में सेवा समिति की सिफारिशों में संशोधन करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या विशिष्ट संशोधन किये गये हैं या करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) मैं प्रस्तावित मुख्य संशोधनो का एक विवरण पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

फालतू मक्खन

*३३९. **श्री कृष्णचार्य जोशी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरीका की इस योजना को स्वीकार करने का विचार है कि फालतू मक्खन घी के रूप में भारत भेजा जाये ;

(ख) क्या इस विषय में भारतीय कृषि प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) नहीं ।

कोलार की सोने की खानें

६८. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली न मिलने के कारण ३० दिसम्बर, १९५४ को कोलार की सोने की खानों का काम बन्द हो गया था ;

(ख) बिजली न मिलने का क्या कारण था ; और

(ग) क्या बिजली न होने के कारण भूमिगत स्थान पर कोई दुर्घटना हुई थी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी हां, ३ घंटे और १२ मिनट तक काम बन्द रहा ।

(ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि "तोड़ फोड़' के कारण ऐसा हुआ था ।

(ग) जी, नहीं ।

स्थानीय स्वशासन प्रशासन में प्रशिक्षण

६९. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) स्थानीय स्वशासन प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये हैं ;

(ख) ये व्यक्ति किन राज्यों से चुने गये हैं ;

(ग) वे किन देशों को भेजे गये हैं ; और

(घ) उन के कब वापिस आने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अभी स्थानीय स्वशासन प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये कोई भी व्यक्ति विदेश में नहीं भेजा गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

७०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च १९५४ के अन्त तक अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानो और ऋण के द्वारा राजस्थान को कितने धनराशि दी गई थी : और

(ख) खाद्यान्न का कितना अधिक उत्पादन हुआ है (टनों में) ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० बी० जैन) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]

रेलों में भर्ती

७१. **श्री पी० सुब्बा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पूर्वी रेलवे पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ख) कुल कितने व्यक्तियों को मुलाकात के लिये बुलाया गया और कितने व्यक्ति चुने गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,२३,४०७ ।

(ख) मुलाकात के लिये बुलाये गये १४,४४८ ।

चुने गये ५,९३९ ।

मिशनरी अस्पताल

७२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५१, १९५२, १९५३ और १९५४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन अस्पतालों को दी गयी सहायता की राशि बतायी गयी हो, जो पूर्णत: या अंशत: ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]

गया शहर बुकिंग एजेंसी

७३. **श्री वी० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया शहर में बुकिंग एजेंसी खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव परीक्षाधीन है ।

रेलवे सेवायें

७४. **श्री वी० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गया की जनता की ओर से गया से सब अप और डाउन गाड़ियों में तृतीय और मध्यम श्रेणियों वाली एक बोगी लगा देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसे किसी अभ्यावेदन का पता नहीं चलता है ।

(ख) उपरोक्त (क) भाग के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

द भ निधि

७५. **श्री मुरारका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री य

(क) किन किन राज्यों ने दुर्भिक्षि निधियां स्थापित की हैं, और यह निधियां कितनी धनराशि के साथ स्थापित की गई हैं ;

(ख) कौन से राज्य ऐसी निधियां स्थापित करने का विचार रखते हैं ; और

(ग) ऐसी निधियां स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्यों को क्या सहायता

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

भारतीय नौवहन

७६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन मंत्री सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के द्वारा समुद्रपार के देशों में जाने वाले जहाजों के माल की मात्रा, बताने की कृपा करेंगे, जो १९५४ के अन्दर क्रमशः भारतीय और विदेशी जहाजों द्वारा उठाया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि समुद्री व्यापार लेखा में सरकार या अन्य पक्षों के स्वामित्व के आधार पर जहाजों के माल से पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते ।

विदेशी बागानों में सेवा युक्त व्यक्ति

७७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५४ में बागान उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में से कितने प्रतिशत मजदूर विदेशियों के बागानों तथा/अथवा विदेशी प्रबन्धाधीन बागानों में लगे हुए थे ;

(ख) विदेशियों के बागानों तथा/अथवा विदेशी प्रबन्धाधीन बागानों में काम करने वाले मजदूरों को १९५४ में कुल कितना बोनस (लाभांश) दिया गया था ; और

(ग) १९४७ और १९५१ के तत्संबंधी आंकड़ों से इन आंकड़ों की क्या तुलना की जा सकती है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). आसाम, उत्तर प्रदेश और कुर्ग राज्यों सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]**

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में विदेशियों का तथा/अथवा विदेशी प्रबन्धाधीन कोई बागान नहीं है । पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों सम्बन्धी जानकारी सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सकती है ।

गायों का कृत्रिम गर्भाधान

७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ के अन्दर कितनी गायों पर कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कराया गया और कितने प्रयोग सफल हुए ;

(ख) इस काम के लिये सांडों, डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को रखने के लिये कितना धन खर्च हुआ था ; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जहां ये प्रबन्ध किये गये थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५४-५५ (दिसम्बर, १९५४ तक) अखिल भारतीय मुख्य ग्राम योजना के अधीन जिन गायों का कृत्रिम ढंग से गर्भाधान हुआ है, उनकी संख्या ४१,८२३ है । सफल गर्भाधान के मामलों की संख्या अभी से नहीं जानी जा सकती ।

(ख) इस काम के लिये सांडों, डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को रखने के लिये होने वाले खर्च का लेखा पृथक नहीं रखा जाता । समस्त योजना का लेखा इकट्ठा रखा जाता है । वास्तविक व्यय के आंकड़े वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केवल सितम्बर में ही जाने जाते हैं । इस मामले में वित्तीय वर्ष १९५४-५५ अभी चल रहा है ।

(ग) दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को छोड़कर सभी राज्यों में ये प्रबन्ध किये गये थे ।

काफी बागान

७९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काफी बागान में लगे हुए अस्थायी तथा स्थायी कर्मकरो (पुरुष, स्त्रियों और बच्चों की पृथक पृथक) संख्या क्या है ; और

(ख) भारत में कुल कितने एकड़ भूमि मे काफी के बागान हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) तथा (ख). नवीनतम उपलब्ध जानकारी १९५१–५२ वर्ष से सम्बन्ध रखती है जिस के अन्दर १,०४,८०५ स्थायी और ४६,३७२ अस्थायी कर्मकर काफी बागानों में लगे हुए थे और कुल २,२९,५२१ एकड़ भूमि पर काफी बागान थे । सेवायुक्त पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के सम्बन्ध में पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

रेलवे कर्मचारी

८०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर के लोको-वर्कशाप में इस समय कितने आदमी काम करते हैं ;

(ख) इन में विस्थापित व्यक्ति कितने हैं ; और

(ग) इन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४,१६५ ।

(ख) ३२७ ।

(ग) ६९० ।

पटना मुजफ्फरपुर हवाई डाक सेवा

८१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** . क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने डाक को अधिक शीघ्रतापूर्वक भेजने के लिये पटना और मुजफ्फरपुर के बीच हवाई डाक सेवा आरम्भ करने की संभावना का परीक्षण किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां । डाक ले जाने के लिये पटना और मुजफ्फरपुर के बीच हवाई सेवा का उपयोग किया जा रहा है ।

देहाती क्षेत्रों में डाकघर

८२. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये सरकार ने क्या अनुदेश दिये हैं ; और

(ख) क्या ऐसे प्रत्यक गांवों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है, जहां पिछले सामान्य निर्वाचनों के अवसर पर मतदान केन्द्र था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) देहाती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये सरकार के नवीनतम अनुदेशों वाले ज्ञापन संख्या पी० एल० जी० १-५/५३ दिनांक २३-६-५३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) जी, नहीं; तथापि उन गांवों को, जहां पिछले सामान्य निर्वाचनों में मतदान केन्द्र स्थापित किये गये थे, २,००० या अधिक जनसंख्या वाले गावों को श्रेणी में डाकघर खोलने के मामले में प्रथमिकता दी गई थी, यदि वे किसी वर्तमान डाकघर से तीन मील के अन्दर नहीं हैं, अथवा प्रस्तावित डाकघर की प्रत्याशित हानि ७५० रुपये मासिक से अधिक नहीं है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक-सभा

सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सूचित करना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह आदेश मिला है कि राज्य-सभा ने राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम ९७ के अनुसार अपनी २५ फरवरी, १९५५ की बैठक में इन विधेयकों को संशोधित रूप में पारित किया है :

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(२) बीमा (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(३) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५५ ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५५; बीमा (संशोधन) विधेयक १९५५; आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५५

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, इन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(२) बीमा (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(३) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५५ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द करने वाले प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी । इस के लिये ६ घंटे का समय दिया जायेगा, ऐसा पहले निश्चित हुआ था । उस में तीन घंटे २५ मिनट २२ फरवरी को लिये जा चुके हैं इसलिये अब दो घंटे ३५ मिनट का ही समय शेष है । इस के बाद सभा औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ तथा दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक,

[अध्यक्ष महोदय]

१९५४ पर विचार करेगी। आज ५ म० प० पर वित्त मंत्री आयव्ययक प्रस्तुत करेंगे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इस विधेयक के संवैधानिक औचित्य के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। प्रविष्टि संख्या ६३ के अनुसार तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई अन्य संस्थायें पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगी। प्रविष्टि ६६ की आड़ ले कर एक सूत्रता लाने तथा स्तर का निर्धारण करने के बहाने से शेष २८ विश्व-विद्यालयों को भी उसी स्थिति में लाया जा रहा है जो इन तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की है हालांकि राज्य सूची की प्रविष्टि ११ के अनुसार, शिक्षा पर; जिस में विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, नियंत्रण राज्य सरकार का होगा।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

यदि हम खण्ड १४ पर विचार करें तो हमें जान पड़ेगा कि यह आयोग की सिफ़ारिशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालयों को दण्ड देने के लिये बनाया गया है। इस के द्वारा अनुदानों को रोक लेने का अधिकार दिया गया है जिस के द्वारा हो सकता है कि सरकार तथा केन्द्रीय आयोग सभी विश्वविद्यालयों पर अपने नियंत्रण को और भी कठोर करें क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों के पास धन का अभाव है। इस प्रकार न केवल राज्यों के स्वायत्त अधिकार पर आक्रमण किया जा रहा है वरन् साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी छीनी जा रही है। राधाकृष्णन् आयोग ने भी, जिस ने इस प्रकार की सिफ़ारिश की है कहा है कि विश्वविद्यालय अपना महान कर्त्तव्य तभी पूरा कर सकते हैं जब उन को स्वायत्त एककों के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि क्या ऐसे किसी संविहित निकाय के बनाने की आवश्यकता भी है। इंगलैण्ड का ही उदाहरण लीजिये। वहां की विश्वविद्यालय अनुदान समिति एक असंविहित निकाय होता है। यह केवल एक परामर्श देने वाला निकाय होता है जो परामर्शदात्री निकाय के रूप में शिक्षा की सर्वोत्तम सेवा कर रहा है क्योंकि इस के लिये आवश्यकता केन्द्रीय नियंत्रण की नहीं वरन केन्द्र के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता की होती है।

ऐसी संस्थायें अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड पहले ही से मौजूद हैं जैसे यह एक गैर-सरकारी संस्था है जिस में सभी विश्वविद्यालय भाग लेते हैं। इस के अतिरिक्त एक केन्द्रीय परामर्श-दात्री शिक्षा बोर्ड भी है जिस का नेतृत्व विश्व-विद्यालय शिक्षा के लिये बहुत लाभदायक है। इन दो संस्थाओं के अतिरिक्त १९४५ के सरकारी संकल्प द्वारा एक और संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से, बनाई गई थी। १९४६ और १९४७ के कुछ आदेशों द्वारा इस के कार्यक्षेत्र में कुछ विस्तार भी किया गया था। इतनी संस्थाओं के होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से एक और संस्था बनाने का कारण क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी किसी संस्था के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है एकरूपता लाने के लिये दिल्ली में बैठ कर जो आदेश जारी किये जायेंगे वे न तो भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होंगे और न उन से विश्वविद्यालय का कोई हित ही होगा।

इस विधेयक के पृष्ठ १० पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिये १,५०,००० रुपये की आवश्य-कता होगी और शिक्षा के लिये केवल

१,७९,६२,००० रुपये दिये जायेंगे । हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पर १७ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं । बम्बई की सरकार केवल ३७·७ प्रतिशत रुपया देती है और पंजाब केवल ३१·१३ प्रतिशत । भाग (ख) में के राज्य तो भी अपने उत्तरदायित्व को किसी हद तक पूरा कर रहे हैं परन्तु भाग (क) में के राज्य तो उतना भी नहीं कर रहे हैं । पहले अंग्रेज़ों ने किसी हद तक एकरूपता लाने का प्रयत्न किया था । १९०२ में एक ऐसा आयोग नियुक्त किया गया था । उस का प्रतिवेदन बहुत ही परिश्रम के बाद तय्यार किया गया था जिस में विश्वविद्यालय की छोटी छोटी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया था । यह आयोग भी इसी परिणाम पर पहुंचा था कि यदि इस की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया जाये तो विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कालिज की शिक्षा का खर्चा बहुत बढ़ जायेगा । उस को पूरा करने के लिये दानी व्यक्तियों का सहयोग लिया जा सकता है फिर भी सरकार जिस हिसाब से आर्थिक सहायता देती है उस पर उसे फिर से विचार करना चाहिये । राधाकृष्णन् आयोग ने भी बताया है कि यदि उस की सिफ़ारिशों को व्यवहार में लाया जाये तो २१,४८,७५,००० रुपये की आवश्यकता होगी जिस में से ६० प्रतिशत धन, अर्थात् ८,९९,२५,००० रुपये के आवर्तक तथा ४,२०,००,००० रुपयें के अनावर्तक व्यय का प्रबन्ध केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को करना चाहिये । आयोग की छै सिफ़ारिशों में से पांच पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । केवल एक ही सिफ़ारिश को माना है जिस के अनुसार अनुदानों का नियतन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने वाला यह विधेयक रखा है । आयोग की छै सिफ़ारिशों में से पांच को अस्वीकार कर के केवल एक सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के लिये इस प्रकार का विधेयक रखना और फिर भी यह कहना कि हम उस के प्रतिवेदन को कार्यान्वित कर रहे हैं बहुत ही अनुचित है । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मैं यह भी अनुभव करता हूं कि कार्यपालिका सरकार को इस प्रकार का अधिकार सौंपना विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि कार्यपालिका सरकार द्वारा पहले भी कभी कुछ नहीं किया है वरन् जो कुछ भी किया गया है वह ग़ैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ही किया गया है क्योंकि इन के जन्म देने वाले वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की दासता से देश का मुक्त करने के लिये संग्राम किया । इस देश में विश्वविद्यालय तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम है । अधिकांश रूप से पैसे वाले ही विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं और पैसे वालों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है । बहुतसंख्यक होते हुए भी विश्वविद्यालय तक पहुंचने वालों में किसानों और मज़दूरों की संख्या नगण्य हो रहती है । इसलिये यदि कोई रियायत दी जानी है तो वह किसानों और मज़दूरों को मिलनी चाहिये विशेषत: जब कि इस सरकार का उद्देश्य ही समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना है । इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि—दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । राधाकृष्णन् आयोग ने सिफ़ारिश की है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर का निर्धारण करने के लिये और विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा में एकसूत्रता लाने के लिये पांच या सात व्यक्तियों का एक छोटा सा बोर्ड बनाया जाये ।

राधाकृष्णन् आयोग ने जो सिफ़ारिशें की हैं उन्हीं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न इस विधेयक में किया जा रहा है । फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि इस का विरोध क्यों किया जा रहा है । अभी तीन दिन पहले सभा में एक प्रसारण निगम बनाने के विषय पर

[श्री एम० डी० जोशी]

चर्चा हुई थी और इस विधेयक का विरोध भी इसी आधार पर किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर रहने दिया जाये। पहले तो विदेशी शासन होने के कारण हम विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन देते थे किन्तु अब तो हमारा ही राज्य है और तब भी इसकी आलोचना की जाती है। मैसूर के मुख्य मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों की व्यवस्था अभी तक सामन्तशाही आधार पर चल रही है और अब उन पर केन्द्रीय अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार एक शिक्षा मंत्री ने भी एक विश्वविद्यालय को चेतावनी दी थी यदि उस ने अमुक कार्य न किया तो उस के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री एस० एस० मोरे : यह तो एक शिक्षा संस्था को राजनैतिक धमकी है।

श्री एम० डी० जोशी : कुछ भी सही। मैं तो यह समझता हूं कि अब समय आ गया है जब सरकार को शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये ताकि उन के प्रबन्ध में जो भी त्रुटियां हैं उन का समाधान हो सके। अभी तक जो अध्यापक उन में काम कर रहे हैं वे पुरानी परिपाटी और सामन्त-शाही विचारधारा के ही प्रतीक हैं। अधिकतर अध्यापक तो ऐसे हैं जो हिन्दी को पसन्द ही नहीं करते। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। उदाहरण के लिये बुनियादी शिक्षा को ही लीजिये। अधिकांश अध्यापक उस की ओर से उदासीन हैं।

आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। बम्बई विश्वविद्यालय सोलह वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को भर्ती नहीं करता है। सब विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम हैं। कहीं अंग्रेजी की धूम है, कहीं प्रान्तीय भाषा के नारे लगाये जाते हैं और कहीं हिन्दी को माध्यम बनाने का प्रयत्न हो रहा है। इन सब बातों पर विचार करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केन्द्रीय सरकार को निश्चय ही इन सब विश्वविद्यालयों में एकरूपता स्थापित करनी चाहिये। शिक्षा के माध्यम को बात ही लीजिये, कुछ का कहना है कि प्रादेशिक भाषा को इस कार्य के लिये अपनाया जाये, कुछ हिन्दी का पक्ष लेते हैं और कुछ अभी तक अपने अंग्रेजी के मोह नहीं छोड़ सके हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में समन्वय करना चाहिये जिस से कि सभी विश्वविद्यालय एक जैसी ही प्रगति करें।

इस विधेयक के खंडों में अध्ययन तथा शिक्षा कार्यक्रमों का सहयोजन करने का उपबन्ध है।

विधेयक के खण्डों पर मैं यहां विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु कुछ खंड ऐसे हैं जो अवांछनीय हैं और आपत्तिजनक भी हैं। खंड ५(२) के उपखंड (क), (ख) और (ग) अनावश्यक हैं। इन को हटा दिया जाना चाहिये और केवल तभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। खंड ९ में बताया गया है कि आयोग को संयुक्त सदस्य बनाने का अधिकार है किन्तु उन सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। यह तो ठीक है किन्तु सब से आपत्तिजनक बात यह है कि इस विधेयक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हमें मालूम है कि अधिकतर विश्वविद्यालय राज्य सरकारों की सहायता से चल रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालय राज्य सरकारों ने ही खोले हैं अतः आयोग में प्रत्येक राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिये। इसलिये इस में एक

अनिवार्य खंड यह होना चाहिये कि आयोग को अपने संयुक्त सदस्यों की तालिका में ऐसे सदस्य रखने चाहियें जो राज्य सरकारों का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि देश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है । हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने के कारण संस्कृत का महत्व सौ गुना अधिक बढ़ गया है । परन्तु दुर्भाग्य से विभिन्न राज्य सरकारों ने कोई समुचित उपबन्ध नहीं किया है । किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय या कालिज को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है । प्रत्येक पाठशाला अपने ही ढंग से कार्य करती है, उन में कोई सहयोजन नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये । इस के लिये उपयुक्त स्थान बनारस ही हो सकता है और यदि वहां न बन सके तो दिल्ली अथवा अन्य किसी स्थान पर भी यह कार्य हो सकता है ।

मैं कुछ शब्द प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । इन की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो असन्तोष फैला हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है अतः विश्वविद्यालय आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार शीघ्र ही उन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अन्त में मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और समझती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से देश को काफ़ी लाभ होगा । विश्वविद्यालय आयोग ने १९४९ में ही इस के लिये सिफ़ारिश कर दी थी किन्तु यह कार्य इतने समय तक नहीं हो सका है । हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले से बढ़ गई है और अब निधि के उचित वितरण एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर में एकरूपता लाने के लिये इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता है ।

हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेट ब्रिटेन के आयोग के आधार पर बनाया जा रहा है, जो १९१९ से वहां सुचारु रूप से काम कर रहा है । हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रबन्ध करें वह सन्तोषप्रद रीति से कार्य करे । ऐसे आयोग में अच्छे अच्छे विद्वानों का होना आवश्यक है जिन्हें शिक्षा सम्बन्धी समस्त बातों का अनुभव हो ।

ब्रिटेन में जो आयोग है उस के सभापति बड़े बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति रह चुके हैं । किन्तु वहां के आयोग के जो निर्देश-पद हैं उन में निरीक्षण अथवा अधिकार का कहीं उल्लेख नहीं है । उस का काम सहायता और परामर्श देना है ।

यह आयोग बड़ी ही शिष्टता के साथ काम करता है जैसे कि वहां अन्य कार्यालय काम करते हैं । वह अपना कोई वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है और न वह किसी विश्वविद्यालय के किसी दोष को सब के आगे प्रकाश में लाता है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो और वे एक दूसरे से अधिक अनुदान पाने के लिये लालायित न रहें ।

अब मैं इस विधेयक की रचना के विषय में कुछ कहती हूं । खंड ५ में दो सरकारी प्रतिनिधियों के बोर्ड में रखे जाने का उपबन्ध है किन्तु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है । इस के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय के सचिव इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सभापतित्व करते हैं । हम नहीं चाहते कि प्रशानन से सम्बद्ध किसी

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

अधिकारी को आयोग में इस प्रकार का अधिकार दिया जाय । इस से आयोग का संचालन उचित रीति से नहीं हो सकेगा ।

बम्बई विश्वविद्यालय ने भी अपने मंतव्य में बताया है कि सरकार को शिक्षा-संस्थाओं में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । मैं अनेक उदाहरण दे सकती हूं, किन्तु मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं । लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ का बोलबाला है । इस प्रकार के कार्य सर्वथा अवांछनीय हैं । ब्रिटेन के आयोग का आदर्श बहुत ऊंचा है और वह अनुकरणीय है । अब मैं निधि के प्रश्न को लेती हूं । सब से पहले तो वे अनुदान होते हैं जिन के बारे में पांच वर्ष तक की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया जाता है । इस के बाद ऐसे अनुदान होते हैं जो विशेष कार्यों के लिये निश्चित कर दिये जाते हैं और एक बार उन्हें दे देने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है ।

इसक पचात् वार्षिक अनावर्तक अनुदान हैं—इन अनुदानों का विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

दूसरे, अनुदान आयोग को पर्याप्त रुपया दिया गया है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संस्था है । इस वर्ष के वित्तीय ज्ञापन के अनुसार केवल १.८१ करोड़ रुपया दिया गया है जो कि अपर्याप्त राशि है तथा इतनी विशाल संस्था के लिये बहुत ही कम है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में भी इस विषय पर चर्चा की गयी है, कि उच्च शिक्षा के लिये अधिक धन चाहिये तथा उस ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि सरकार को कुल व्यय का ६० प्रतिशत रुपया अपनी ओर से लगाना चाहिये तथा ३० प्रतिशत फीस के द्वारा और दस प्रतिशत दान के द्वारा आता है । ८·६९ करोड़ रुपया केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें देंगी तथा ४·२० करोड़ रुपया वार्षिक अनुदानों के रूप में पांच वर्ष तक मिलेगा । उस का कहना है कि विद्यार्थियों के लिये यह धनराशि पर्याप्त होगी । उस का यह भी कहना है कि आने वाले १० वर्षों में व्यवसायिक शिक्षा संस्थायें लगभग दूनी कर दी जायेंगी तथा ६० प्रतिशत आवर्तक व्यय और ७४ प्रतिशत पूंजी व्यय सरकार देगी । सम्बद्ध संस्थाओं के सम्बन्ध में उन का कहना है कि यदि वे अपना कार्य सुचारु रूप से चलाती रहेंगी तो स्वीकृत पदों का आधा वेतन सरकार देगी । इसलिये यदि इतनी अधिक धनराशि इस कार्य के लिये स्वीकृत की जायेगी तभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भली प्रकार तथा सुचारु रूप से कार्य कर सकेगा ।

अब मैं ब्रिटेन की दशाओं की प्रस्तुत दशाओं से तुलना करूंगी । ब्रिटेन में १९३५-३६ में धर्मस्व के रूप में १४·५ प्रतिशत रुपया तथा १९४९–५० में ५·७ प्रतिशत रुपया आया तथा दान और चन्दे आदि के द्वारा १९३५–३६ में २·५ प्रतिशत तथा १९४९–५० में १·७ प्रतिशत रुपया आया था । स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों ने क्रमशः ८·७ प्रतिशत तथा ४·६ प्रतिशत रुपया दिया । संसदीय अनुदान के रूप में ६४ प्रतिशत १९४९–५० में दिया गया था और फ़ीस से १७ प्रतिशत इकट्ठा हुआ । इस प्रकार सरकार ने ६४ प्रतिशत धन दिया था । इस के पश्चात् ७३ प्रतिशत विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ कर के तथा वज़ीफ़ों द्वारा सहायता दी गई । परन्तु भारत में केवल दस प्रतिशत विद्यार्थियों की ही फ़ीस माफ़ की जाती

है तथा वज़ीफ़ा केवल एक प्रतिशत विद्यार्थियों को ही दिया जाता है ।

प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की गई कि ६०० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से १२,५०० छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें तथा २५० रुपये के हिसाब से ३७,५०० विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ होनी चाहिये । यही राशि १.६८ करोड़ रुपये प्रति वर्ष होती है तथा आयोग के सम्पूर्ण कार्यों के लिये केवल १.८१ करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है । इसी से ज्ञात होता है कि हम नहीं चाहते कि यह आयोग भली प्रकार कार्य कर सके । अन्य आंकड़ों से भी यही परिणाम निकलता है क्योंकि ब्रिटेन में शिक्षा पर ग्यारह प्रतिशत और फ्रांस में बारह प्रतिशत व्यय किया जाता है परन्तु भारत में केवल पांच प्रतिशत किया जाता है । इस से ज्ञात होता है कि अनुदान आयोग को हमें अधिक धन स्वीकृत करना चाहिये ।

इस के पश्चात् मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धन का वितरण करने में यह ध्यान रखना चाहिये कि विश्वविद्यालयों के लिये नयी कठिनाइयां प्रस्तुत न हो जायें । अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय को कुछ रुपया दिया गया था परन्तु साथ ही विश्वविद्यालय से कहा गया कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाये, जिस के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता के स्थान पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारी-वर्ग का वेतन बढ़ता है तो उस से सम्बद्ध कालिजों के कर्मचारी-वर्ग का वेतन भी बढ़ाया जाना आवश्यक है । इसलिये आयोग को इस का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिये ।

अन्त में मैं यह बता देना चाहती हूं कि या तो इस प्रकार की संस्था बनाई ही न जाये परन्तु यदि इस की स्थापना ही करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह सुचारु रूप से कार्य करे । मैं प्रवर समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे इस प्रकार के आयोग की स्थापना करते समय यह देखें कि इस के सदस्य इस प्रकार के हों जो विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचायें जिस से कि शिक्षा का विकास सुचारु रूप से हो सके ।

श्री बैरो (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं अपने माननीय मित्र श्री एस० एस० मोरे का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने प्रवर समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के छठे पंचवर्षीय सम्मेलन के संकल्प में, कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे, इस आयोग ने विशेष प्रकार से ध्यान दिया है ।

मैं उस वातावरण की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो ब्रिटिश अनुदान आयोग के निर्माण के समय वहां था क्योंकि उसी के आधार पर हम यहां आयोग के अधिकारों की स्थापना करेंगे । हमें विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होना चाहिये ।

यदि राज्य सरकारों का नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर रहेगा तो वह विश्वविद्यालय केवल नाम के लिये ही रह जायेंगे । हमारे आयोग का कार्य भी उसी प्रकार होना चाहिये जैसा कि इंगलैण्ड का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है ।

सन् १९१९ में ब्रिटिश आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालयों में सुधार करने के लिये की गई थी । उन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया था तथा आदर के साथ केवल उन को परामर्श ही दिया जाता था ।

परन्तु भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो हमारे विश्वविद्यालय पद्धति

[श्री बैरो]

की आलोचना करता है जैसे कि हमारे योग्य विद्वान यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं। हमें उन को सुविधा देनी चाहिये, उन का उत्साह बढ़ाना चाहिये तथा उन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिये। इसलिये मैं प्रवर समिति से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को अन्तिम रूप देते समय वह इस बात का ध्यान रखें कि हम विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण लगाने नहीं जा रहे हैं।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में 'टाइम्स' ने अपने शिक्षा परिशिष्ट में लिखा था कि हमें विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है तथा हम उन के लेखों की लेखा परीक्षा करने के भी अधिकारी नहीं हैं। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमें उन के किसी कार्य को भी आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। इसलिये मैं प्रवर समिति से अनुरोध करूंगा कि वह खंड २६ के उप-खंड (ञ) पर विशेषतया ध्यान दें जिस में दिया गया है कि सरकार लेखा परीक्षा कर सकती है। क्योंकि ऐसा करने से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी।

ब्रिटेन में अनुदान आयोग ही विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रश्न को हल करता है परन्तु भारत में राज्य ही विश्वविद्यालयों के धन-दाता हैं। अब हम केन्द्र से धन की सहायता दिला रहे हैं। इस प्रकार के केन्द्र तथा राज्य के संघर्ष के द्वारा जो होने वाला है हम उस का आभास पा सकते हैं। राधाकृष्णन आयोग ने यह सिफ़ारिश की थी कि अनुदान आयोग को स्नातकोत्तर तथा गवेषणा कार्य ही के लिये उत्तरदायी होना चाहिये तथा ५० प्रतिशत व्यय उसे करना चाहिये। मेरे विचार से अनुदान आयोग का क्षेत्र प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम तक ही सीमित होना चाहिये। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा राज्य द्वारा संचालित की जाती है तथा दोनों में समानता रखने के लिये प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम तक ही इस आयोग का नियंत्रण आवश्यक है जिस से कि गवेषणा कार्य का स्तर अधिक उच्च हो सके।

भारत में प्रत्येक व्यक्ति को तीन भाषाओं का ज्ञाता होना नितान्त आवश्यक है। प्रादेशिक भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेज़ी। इसलिये यदि प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम का नियंत्रण यह आयोग करेगा तो वह इन तीनों भाषाओं का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह राज्य तथा विश्वविद्यालय दोनों में परस्पर सद्भावना बनाये रख सकता है। इसलिये प्रवर समिति के लिये इस समस्या को सुलझाना आवश्यक है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : मेरे विचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किये जाने के प्रश्न पर सभा में सभी का यह मत है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों को निधि का बंटवारा करने के लिये इस की आवश्यकता है। परन्तु केवल प्रश्न यही है कि इस आयोग की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिये तथा इस को विश्वविद्यालय के कार्यों में किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिये। शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव ने हमें बताया कि सभी विश्वविद्यालयों में गवेषणा तथा वैज्ञानिक शिक्षा के विकासार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्माण किया जायेगा तथा उपयुक्त स्तर निश्चय करना ही इस का मुख्य उद्देश्य होगा, क्योंकि प्रशासन को शिक्षा के माध्यम आदि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुऐ इस प्रकार के आयोग का निर्माण किया जा रहा है जो

प्रशासन से स्वतन्त्र हो कर उच्च शिक्षा की समस्याओं को सुलझायेगा । मेरे विचार से यही इस का मुख्य उद्देश्य है । परन्तु विधेयक पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक के निर्माता इस बात को बिल्कुल भूल गये तथा उन्होंने इस को लक्ष्यभ्रष्ट कर दिया । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति अपनी सिफारिशें करते समय इस का अवश्य ध्यान रखेगी ।

मेरे विचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना ठीक तरह से होनी चाहिये क्योंकि इस के ठीक तरह से न बनाये जाने पर इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा । शिक्षा पर विशेषतया ध्यान रखना आवश्यक है तथा इस को एक स्तर पर इस के सभी पहलुओं पर विचार कर के लाया जा सकता है ।

इसीलिये मेरा कहना है कि इस की स्थापना ठीक तरह से होनी चाहिये । जैसे खंड ३ में दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह पर, उच्च शिक्षा संस्था को भी एक विश्वविद्यालय ही समझेगी तथा यह अधिनियम उस संस्था पर भी लागू होगा । इसलिये यदि आप पक्षपात-रहित परामर्श चाहते हैं तो इस आयोग की स्थापना सोच समझ कर की जानी चाहिये जिस से कि यह सरकार को ठीक सलाह दे सके तथा स्वतंत्र हो और उस पर किसी का दबाव न हो ।

ब्रिटेन का अनुदान आयोग केवल परामर्श ही देता है परन्तु यहां हमें केवल परामर्श नहीं लेना है हमें तो विश्वविद्यालयों पर उस से नियंत्रण रखना है जैसा कि इस विधेयक में है । मैं इस की स्थापना के अन्य प्रश्नों पर नहीं जाता हूं परन्तु मेरा सुझाव है कि इस के सदस्यों का चुनाव होना चाहिये । हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि चुनाव के द्वारा केवल बड़े विश्वविद्यालयों को ही लाभ होगा तथा पिछड़े हुए विश्वविद्यालयों को कोई स्थान नहीं मिलेगा और यदि सरकार को नाम निर्देशन का अधिकार मिलेगा तो वह इस का उपयोग उस कार्य के लिये कर सकती है ।

यदि यही प्रमुख विचार हो जो सरकार का मार्ग-प्रदर्शन करे तो सरकार को केवल नाम-निर्देशन के अधिकार से संतुष्ट हो जाना चाहिये बजाय इस के कि वह रक्षण की शक्ति अपने हाथ में ले जिस से कि वह उन उपकुलपतियों को निकाल बाहर कर सके जो संभवतः स्वतंत्र हों और कार्यपालिका के लिए असुविधा का कारण हों । मैं नहीं समझ पाता कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर गंभीरता से विचार करने वाली कोई सरकार इस प्रस्थापना का "कि प्रत्येक सदस्य, जब तक कि केन्द्रीय सरकार उस की नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दे, ६ वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेगा" किस प्रकार समर्थन कर सकती है । इसी उपबन्ध से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्त-शासिता की जड़ काट दी गयी है । मैं सरकार और संयुक्त समिति को सुझाव दूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकाल ६ वर्ष से घटा कर ३ वर्ष कर दिया जाय जिस से कि इस अधिकार को काम में लाने की आवश्यकता ही न पड़े । मेरी धारणा है कि यह एक ऐसा उपबन्ध है जो किसी विधेयक में नहीं होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति के सदस्य इस पहलू पर ध्यान देंगे ।

उस संस्था में भारत सरकार के पदाधिकारियों को मनोनीत कर के रखना कहां तक उचित है । मैं इस प्रश्न की विवेचना नहीं करना चाहता हूं किन्तु इसी तथ्य से कि इस में सरकार के दो सदस्य होंगे इस बात का महत्व पता चलता है कि इस

[डा० कृष्णस्वामी]

उपबन्ध को बिल्कुल हटा देने की कितनी आवश्यकता है ।

मुझे इस विधेयक के खंड १२ के विषय में जिस में आयोग के कार्यों का विवेचन किया गया है, घोर आपत्ति है । खंड १२ में कहा गया है कि आयोग विश्वविद्यालय के विकास, उस की आर्थिक आवश्यकताओं, उस के द्वारा प्राप्त किये गये स्तर तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की ओर जिन्हें पूरा करने के लिए उसे कहा जायगा, पर्याप्त ध्यान देगा । इस विधेयक के निर्माताओं का राष्ट्रीय उद्देश्यों से क्या आशय है यह मैं नहीं समझ पाता हूं । मेरे विचार से ज्यों ही कोई विश्वविद्यालय विधान सभा के किसी अधिनियमन के अधीन स्थापित किया जाता है, वैसे ही जो उद्देश्य उस विश्वविद्यालय से पूरे होते हैं वे पूर्णतः राष्ट्रीय होते हैं । यह बिल्कुल अवैधानिक और अनुचित है कि कोई बाहर का अधिकारी जा कर विश्वविद्यालयों से यह कहे कि अमुक राष्ट्रीय उद्देश्य उसे पूरे करने हैं । साथ ही यह बात राज्यों की स्वायत्तशासिता के प्रतिकूल है जो इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है । यह भी बिल्कुल अस्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्देश्य कौन से हैं । दूसरे शब्दों में इस का यह अर्थ है कि कार्यपालिका या शिक्षा विभाग से किसी व्यक्ति को आदेश जारी करने और यह कहने का अधिकार होगा कि यदि ये निर्देश पूरे न किये गये क्योंकि वे राष्ट्रीय हित में हैं, तो विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान बन्द कर दिये जायेंगे । प्रस्तावित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह कार्य नहीं होना चाहिये । इस विधेयक में आयोग को जो शक्तियां दी गयी हैं और कर्यापालिका के लिए जो शक्तियां रक्षित रखी गयी हैं, उन से मेरी यह धारणा होती है कि इस विधेयक के निर्माता विश्वविद्यालयों को नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं । एक बार ऐसी शक्तियां दी जाने पर उन के दुरुपयोग की संभावना है । इसी सम्बन्ध में खंड १४ का भी बहुत महत्व है जिस में यह निर्देश किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय जारी किये गये आदेशों का पालन न करें, तो अनुदान बन्द कर दिये जायें और कालीसूची में उन के नाम दर्ज कि जायें । अतः इस विधेयक की भावना विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासिता के विरुद्ध है । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तावित करने वाले तथा संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण दृढ़ता से विधेयक के निर्माताओं के समक्ष रखेंगे और उन्हें समझायेंगे । देश में विश्वविद्यालयों का बहुत अधिक महत्व है और विधान-सभा तथा सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि देश में ऐसी अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय और वह इस ओर ध्यान दें कि विश्वविद्यालय देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें । यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस उद्देश्य को पूरा करे तो मेरी धारणा है कि मौलाना आज़ाद इस देश की शिक्षा के इतिहास में एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेंगे ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़–पश्चिम) : क्यों कि १५ मिनट का समय है और दो तीन और मैम्बर बोलने के इच्छुक है, इस वास्ते मैं बहुत कम समय लूंगा ।

इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं । इस सरकार के जितने कार्य हो रहे हैं, पता नहीं कि किस मतलब से यह कार्य हो रहे हैं, बहुत कानून बन रहे हैं, डिपार्टमेंट बहुत खल रहे हैं और उस के साथ साथ पदों का

भी निर्माण इतना हो रहा है जिस का कोई हिसाब किताब नहीं ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

मैं यह कह रहा था कि सरकार के काम का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है । यह तो सही बात है कि अंग्रेजी राज्य काल में जब कभी हम लोग अंग्रेजी शासन के सम्बन्ध में बोलते थे तो मब से कड़ी आलोचना शिक्षा विभाग के बारे में करते थे । आज क़रीब सात वर्ष से अधिक हो गये हैं कि अपना राज्य समझा जाता है लेकिन अभी तक सरकार ने शिक्षा विभाग में कुछ भी नहीं किया है । अब जो सरकार करने चली है वह यह है कि जो विश्वविद्यालय अब तक कुछ अंश में स्वतंत्र समझे जाते थे उन पर भी उन का आधिपत्य होना चाहिये, इस का कंट्रोल होना चाहिये । इस में कोई शक नहीं कि किसी देश में शिक्षा का राष्ट्र के जीवन में सब से अधिक महत्व होता है, कारण यह कि हर देश में किस तरह की शिक्षा होनी चाहिये उस की एक परम्परा रहती है । लेकिन हमारे देश के लिये दुर्भाग्य की बात है कि हज़ारों वर्षों की गुलामी के कारण हमारी परम्परा एक तरह से टूट गई है । आज जो कार्य हमारे यहां होना होता है, उस के लिये विदेशों का नमूना लिया जाता है । अंग्रेज़ों का जो देश इंगलैंड है वह तो हमें ऐसा मालूम होता है जैसे तीर्थ स्थान है या वही गुरुद्वारा है। जो कुछ वहां होता है वह यहां होना ही चाहिये । अगर वहां भी ऐसा एक कमीशन है तो यहां भी होना चाहिये । लेकिन वहां जो कमीशन का निर्माण हुआ है उस में सरकार का प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये सो तो नहीं है । यह जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बन रहा है इस के नाम से ही मालूम होता है कि इस का काम यह होगा कि जो सरकार के रुपये होंगे उन का ।वश्वविद्यालयों में कैसे बटवारा हो । इस देश में हमारे संविधान के मुताबिक़ शिक्षा तो राज्यों का वि य है केन्द्र का विषय नहीं है । लेकिन यहां भी तो एक शिक्षा मं ालय है । अगर यह शिक्षा मंत्रालय सरकार के पये को विश्वविद्यालयों में बांटने का काम भी नहीं कर सकता है तो इस मंत्रालय की क्या जरूरत है । इतना काम शिक्षा मंत्रालय मजे में कर सकता है । एक कमीशन की ज़रूरत एक दम नहीं है । लेकिन कहा जाता है कि जितने विश्वविद्यालय ह उन का स्तर ठीक करने के लिये, ताकि स्टेंडर्ड में बहुत भेदभाव न हो, यह कमीशन होना चाहिये । तो यह तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों का का है । उस में सरकार की तरफ़ से जो प्रतिनिधि होंगे वे काहे को । जिस तरह से कि सरकार बनती है वह तो आप जानते हैं । सरकार तो कभी कभी शिवजी की बरात ही बनती है । यह ज़रूरत नहीं है कि उस में सब पढ़े लिखे पंडित हों । ख़ास कर के यह जो पार्टी सिस्टम आफ़ गवर्नमेंट है इस में तो सरकार में कोई भी आ सकता है और अगर ऐसे ही आदमी यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में जायेंगे तो क्या करेंगे यह तो कहना मुश्किल है । इन प्रतिनिधियों के ज़रिये जो सरकार अपना आधिपत्य कमीशन के ऊपर चाहती है यह बहुत बरा होगा। यह कभी नहीं होना चाहिये । यह तो मैं जानता हूं कि जो कुछ भी विरोधी दल की तरफ़ से कहा जाता है उस का असर सरकार पर नहीं होता है । यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा यह सही है । लेकिन मैं यह स्पष्ट कहूंगा कि सब से पहला काम वह होना चाहिये कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में तनिक भी बाधा न पड़े । यह तो ज़रूर करना चाहिये । कहा जाता है कि हर देश में देश की जितनी आमदनी होती है उस का बहुत सा अंश शिक्षा में लगाना चाहिये, लेकिन अब तक जो सरकारी खर्च शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है वह तो इतनी

ब॰ रामनारायण सिंह]

कृपणता के साथ किया जाता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है । इस में कोई बड़ी बात नहीं होगी की जितनी आमदनी इस देश में होती है उस का चतुर्थांश शिक्षा में लगाया जाय । सरकार का काम देश की उन्नति करना है, देश को तरक्की पर लाना है, देश की सेवा करना है । अगर इस सरकार के सम्बन्ध में हर विषय में देखा जाय तो यह मालूम होता है कि इन का आधिपत्य होना चाहिये, इन का कंट्रोल होना चाहिये, इन का शासन होना चाहिये । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का जो तर्ज सरकार का है वह सर्वथा निन्दनीय है । सरकार का काम देश की उन्नति करना है, देश की सेवा करना है, न कि सब जगह उस का आधिपत्य हो, उस का कंट्रोल हो, उस का अधिकार हो । यह तो बिल्कुल निन्दा करने की चीज़ है । उस के साथ साथ इस बिल की धारा १४ में यह लिखा है कि सरकार का जो नोटीफिकेशन होगा या उस के प्रतिकूल अगर विश्वविद्यालय कोई काम कर दे तो उस को तुरन्त सज़ा होनी चाहिये । जिस के बारे में मोरे साहब ने कहा था कि मालूम होता है कि यह संस्था पुलिस की तरह बनने जा रही है । तो एक महोदय ने कहा कि "फुलिश" की तरह पर है । तो "पुलिस" कहिये या "फुलिश" कहिये, दोनों का मतलब क़रीब क़रीब एक ही होता है । इस तरह की बातें यहां नहीं होनी चाहियें । यह तो जानी हुई बात है कि जितने लोग विश्वविद्यालय में हैं वे तो मर्यादा भंग करने वाले लोग नहीं हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं । लेकिन जहां पर मतभेद हो तो यह क्या ज़रूरी है कि सरकार का जो कुछ उपदेश हो वह आंख मूंद कर मान लें । तो विश्वविद्यालय क्या रह गया वह तो सरकार का एक अंग हो जायगा । सभापति महोदय, यह जो पार्टी सिस्टम आफ़ गनर्नमेंट है इस से शिक्षा को जहां तक दूर रखा जाय उतना ही देश का कल्याण होगा ।

लखनऊ में विद्यार्थियों को ले कर कोई आन्दोलन हो गया था । तो देश में हल्ला हुआ था कि किसी दलबन्दी का काम है जो विद्यार्थियों को उभार दिया है । और ये ही लोग ऐसा कहते थे कि विद्यार्थियों के बीच में कोई दलबन्दी की बात नहीं आनी चाहिये । सभापति जी, वाइस चांसलर बनेंगे पार्टी के विचार से, दलबन्दी के विचार से, प्रौफ़ेसर वहाल होंगे दलबन्दी के विचार से, जितने भी कार्य विश्वविद्यालयों में सरकार की ओर से होंगे वे दलबन्दी के विचार से होंगे, तो इस का असर विद्यार्थियों पर क्यों नहीं पड़ेगा । तो यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों के बीच में दलबन्दी की बात नहीं आनी चाहिये, विश्वविद्यालयों में दलबन्दी की बात नहीं आनी चाहिये लेकिन सरकार की तरफ़ से कार्य होने से बिल्कुल दलबन्दी की ही बात रहेगी । यह बिल प्रवर समिति में जा ही रहा है । तो सरकार इस कमीशन के ज़रिये विश्वविद्यालयों की जितनी मदद कर सके वह तो प्रशंसनीय है, लेकिन प्रवर समिति में हर तरह से यह यत्न होना चाहिये कि सरकार किसी तरह से विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता में बाधा न पहुंचावे और न किसी तरह से वहां पर अधिकार करे ।

मुझ से कहा गया था कि समय कम है, और लोग बोलने वाले हैं, इसलिये मैं अधिक समय न लेता हुआ सब से यह निवेदन करता हूं कि शिक्षा बहुत महत्व का विषय है । इस के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये जहां तक हो सके विश्वविद्यालय को स्वतन्त्र रख कर इस संस्था को बनाना चाहिये । तभी हमारे देश का भला होगा ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : विधेयक का समर्थन करते हुए भी मेरा मत

है कि हमें इस में कुछ आमूल परिवर्तन कर देने चाहियें । "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा ठीक प्रकार से नहीं की गई है । क्योंकि इस में वह सम्बद्ध कालिज नहीं आते हैं जिन को इन में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये । जैसे आन्ध्र विश्वविद्यालय में चार अंगभूत तथा ३१ सम्बद्ध कालिज हैं; बम्बई विश्वविद्यालय में तीन शिक्षण विभाग तथा २०२ सम्बद्ध कालिज हैं; कलकत्ता विश्वविद्यालय में ३८ अंगभूत कालिज तथा शिक्षण विभाग हैं और १०४ सम्बद्ध कालिज हैं; मद्रास विश्वविद्यालय में २० अंगभूत कालिज, २१ शिक्षण विभाग तथा ५८ सम्बद्ध कालिज हैं; पंजाब विश्वविद्यालय में १४ शिक्षण विभाग, तीन अंगभूत कालिज तथा ५७ सम्बद्ध कालिज हैं; त्रावनकोर कोचीन विश्वविद्यालय में ९ अंगभूत कालिज, केवल एक शिक्षण विभाग तथा १३ सम्बद्ध कालिज हैं। हमें बताया गया है कि समस्त देश में १३७ अंगभूत कालिज तथा ५५८ सम्बद्ध कालिज हैं। यदि हम इन सम्बद्ध कालिजों को निकाल दें तो अनुदान आयोग इन कालिजों की आवश्यकताओं को किस प्रकार जानेगा ।

छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में हम देखतें हैं कि लगभग ३,९६,००० छात्रों में से लगभग ३,०३,००० छात्र सम्बद्ध कालिजों में पढ़ते हैं । यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के खर्च की ओर देखें, उदाहरणार्थ, कलकत्ता विश्व-विद्यालय में, तो विश्वविद्यालय के विभागों पर लगभग १,८१,००,००० पये के व्यय में से केवल १६,८१,३४८ पये खर्च किये गये थे और सम्बद्ध कालिजों के लिए १,६४,७७,३१४ रुपये खर्च किये गये थे । इस से यह स्पष्ट होगा कि जब तक हम इस परिभाषा के अन्तर्गत सम्बद्ध कालिजों को शामिल नहीं करते तब तक अधिकांश कालेज अछूते ही रह जायेंगे और राधाकृष्णन् आयोग ने स विषय में खास सिफ़ारिशें की हैं ।

तत्पश्चात् एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध है जो अध्यापकों के रहन् सहन की दशाओं के सम्बन्ध में है । शिक्षा मंत्रालय ारा प्रकाशित "भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा" में हम देखते हैं कि १९५०–५१ में १३ विश्वविद्यालयों में यह संभव नहीं था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार लैक्चरारों का वेतन क्रम ३०० पये से प्रारम्भ किया जाय । उन के मासिक वेतनों के अनुसार, अध्यापकों का वर्गीकरण इस प्रकार था :—

१०० पये और १५० रुपये के बीच—६,०३४
१५१ पये और २५० पये के बीच—७,३६९
२५१ पये और ४५० पये के बीच—५,१७७
४५१ पये और ६५० रुपये के बीच—१,३२९
६५१ पये और ८५० रुपये के बीच— ५२५

इस से यह दिखायी पड़ता है कि औसतन लगभग ९० प्रतिशत अध्यापक ४५० पये प्रति मास से कम पाते हैं और प्रत्येक तीन अध्यापकों में से दो को १०० पये और २५० पये के बीच वेतन दिया जाता है । स के अतिरिक्त डा० राधाकृष्णन् ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक को आराम का रहन सहन प्राप्त कराने के लिये हमें सहायता देनी चाहिये जिस से कि वे अपने को अध्ययन-अध्यापन और गवेषणा कार्यों में लगा सकें । विश्वविद्यालयों में सब से योग्य व्यक्तियों को भ र्ती करने और उन्हें बनाये रखने का यही एकमात्र उपाय है । विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए इन सभी सिफ़ारिशों के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया गया है । हमें समस्या के इस विशिष्ट पहलू पर विशेष ध्यान देना होगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कई गड़बड़ियों की ओर संकेत किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के बाद जब कुछ कर्म-

(श्री एन० बी० चौधरी)

चारियों ने अपने मामले आयोग के समक्ष रखे तो आयोग ने यह लिखा कि वह विश्व-विद्यालय के आन्तरिक मामले थे और इसलिये उन में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं था । जब कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय को लिखा तो उस ने कहा कि आयोग की स्थापना के बाद वह इस विषय का निर्णय नहीं कर सकता था । जब उन्होंने मंत्रालय को लिखा तो उस ने भी कह दिया कि इस में उस का कोई हाथ नहीं था । किन्तु उपकुलपति तथा पूंजीयक के वेतन बढ़ाने का प्रश्न जब आया तब वह तुरन्त कर दिया गया । हमें ज्ञात हुआ है कि उपकुलपति का वेतन २००० पये से बढ़ा कर २,५०० रुपये और पूंजीयक का वेतन ५००–७५० रुपये से बढ़ा कर ५००–९०० पये कर दिया गया है । जब कि दिल्ली में स्वीकृत स्कूलों के अध्यापकों को ऐसे भत्ते जैसे नगर-भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि दिया जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को कुछ भी नहीं दिया जाता है । यह एक ऐसा विषय है जिसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये ।

अब आयोग की रचना के सम्बन्ध में, हम वास्तव में एक स्वायत्तशासी तथा स्वतंत्र अनुदान-आयोग चाहते हैं जिस की कार्य-वाहियों में सरकार का हस्तक्षेप न हो । किन्तु विधेयक की धारा २० से हमें यह मालूम होता है कि आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली बन रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि वे अनुदान आयोग का उपयोग विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी छड़ी के रूप में कर रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । विशेषकर आन्तरिक प्रशासन, स्तर-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासिता कायम रखी जानी चाहिये और अपनी नीतियों को स्वयं निर्धारित करने के लिए उन्हें पूर्ण क्षेत्र मिलना चाहिये ।

आगे खंड १८ में यह रखा गया है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ साथ आयोग के वार्षिक लेखे भी संसद् के समक्ष रखे जायेंगे, किन्तु उस खंड में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि संसद् को आयोग की कायवाहियों तथा विश्वविद्यालयों के स्तरों अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन प्राप्त होंगे । अतः हमारी धारणा है कि वे केवल लेखों के बारे में ही नहीं वरन् स्तर तथा अन्य विषयों में भी संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

स्तरों के निर्धारण के सम्बन्ध में हम आजकल देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर के बीच कोई सम्बन्ध या एकरूपता नहीं है और इस कारण कभी कभी छात्रों को कठिनाई भी होती है । अतः स विधेयक ारा हमें इस बात की निश्चित व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां तक शिक्षा के विभिन्न सारों का सम्बन्ध है उन में एकरूपता बनायी रखी जाय ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मैं उन माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का तथा उसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन किया है । इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में, कुछ माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण सरकार के दृष्टिकोण से भिन्न है । मुझे इस का बिल्कुल दुःख नहीं है, वरन् मुझे हर्ष है कि उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण तथा अपनी आलोचनायें सभा के समक्ष रखी हैं । सरकार स तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत है कि आलोचनाओं के लिए कुछ वास्तविक आधार भी हो सकता है । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने

में सरकार का आशय यह है कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विभिन्न दृष्टि-कोणों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाय और उन पर विशद चर्चा की जाय और तब प्रवर समिति में विधेयक के उपबन्धों में कांटछांट कर के यथासंभव अधिकतम सहमति प्राप्त की जाय । कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत टिप्पणियों को छोड़कर, सारी चर्चा बहुत रचनात्मक तथा जानकारी बढ़ाने वाली रही है । इस अवसर पर मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं ।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी तथा अन्य मित्रों ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्त-शासिता का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था । मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि विधेयक में केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय के परस्पर सम्बन्ध और "स्तर" शब्द का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । उन्होंने यह आशंका प्रकट की है कि हमारे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासिता नष्ट हो जायगी और उन पर द्वैध नियंत्रण कायम हो जायगा । अन्य सदस्यों ने भी इसी प्रकार की आशंका प्रकट की है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक को अधिनियमित कर के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासिता खत्म कर देगी । अतः मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का कुछ विस्तार से विवेचन करना चाहता हूं ।

सभा को विदित होगा कि न केवल केन्द्रीय सरकार ने वरन् राज्य सरकारों ने भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों को विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप का निर्धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया है । अतः सभा को यह भी विदित होगा कि वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वर्तमान विधेयक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार ही बनाया गया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस व्यापक प्रतिवेदन के मज़मून को बहुत अधिक गलत रूप में सभा के सामने रखा है । यदि मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को देखें, तो उस में उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे । सम्पूर्ण चौथे अध्याय में जिस में लगभग ३४ पृष्ठ हैं यह बताया गया है कि स्तरों से क्या तात्पर्य है । उस अध्याय में इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है और यह भी बताया गया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में परीक्षा तथा पढ़ाई का क्या स्तर होना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों के विधान, स्वायत्त शासन तथा उन के नियंत्रण, और उन पर तथाकथित दोहरे नियंत्रण के सम्बन्ध में मैं इस प्रतिवेदन के अध्याय १३ का निर्देशन करता हूं । माननीय सदस्यों के फायदे के लिये जिन्होंने इस प्रतिवेदन में से उद्धरण दिये हैं और साथ ही सभा के लाभ के लिये मैं कुछ उद्धरण उपस्थित करता हूं । विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग, जिस के डा० राधाकृष्णन् सभापति थे, के प्रतिवेदन के प्राक्कथन में यह कहा गया है :

> "विश्वविद्यालयों की पढ़ाई तथा परीक्षा के स्तरों में जो पतन आ गया है और उन के प्रशासन में जो दोष दिन-प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे हैं, उन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालयों को पुराने ढर्रे पर चलने देना ठीक नहीं है । समाज के रूप के जटिल होने के साथ साथ, विश्वविद्यालयों को भी अपने तरीकों और उद्देश्यों में परिवर्तन करना होगा । विश्वविद्यालयों को स्वायत्तशासी बनाने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । हमें एक ऐसी व्यापक नीति अपनानी चाहिये,

[डा० एम० एम० दास]

जिस में प्रयोग का और मार्ग दर्शन का काफी क्षेत्र रहे ।"

आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४०४ पर आगे बताया गया है :

"कुछ विषयों में स्थानीय उपक्रम को हानि पहुंचाये बिना यह आवश्यक समझा गया है कि समन्वयकारी शक्ति केन्द्र में रहे—

(क) ताकि सारे प्रान्त, राज्य और संघ कुछ सीमाओं के अन्दर काम करें और एक विशे स्तर कायम रखें,

(ख) ताकि उन विभिन्न विशेष कार्यों से, जिन का विभिन्न एकक विकास करना चाहते हैं, एक अनुरूप राष्ट्रीय नीति का जन्म हो, और उन से एक ओर तो अनावश्यक दोहरे काम के अथवा दूसरी ओर त्रुटियों के उदाहरण न मिलें, और

(ग) प्रान्त, राज्य तथा संघ आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त योजना बना सकें ।"

डा० कृष्णस्वामी ने पूछा था कि राष्ट्रीय प्रयोजन से क्या अभिप्राय है । ऊपर कहे गये तीन कारणों, (क), (ख) और (ग) में इस की अच्छी तरह व्याख्या की गई है । इस विधेयक का तात्पर्य इन राष्ट्रीय प्रयोजनों ही से है ।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

"हमें विश्वास है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्र की नीति के दिग्दर्शन में विश्वविद्यालय राष्ट्र में एकता स्थापित करने वाली शक्ति सिद्ध होगी । किन्तु अभाग्य से इस का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि कुछ विश्वविद्यालयों में स्थानीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुछ ऐसे काम हुये, जिन से विघटन का भाव फैला ।"

मैं एक उद्धरण और देता हूं :

"भारत के कुछ विश्वविद्यालयों का प्रशासन अत्यन्त असंतोषजनक है । यहां तक कि परीक्षकों की नियुक्ति करने तथा डिग्रियां देने के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा स्तर रखा जाता है, वह सब संदिग्ध है ।"

मैं इस 'संदिग्ध' शब्द की ओर विशेष रूप से सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रतिवेदन में आगे बताया गया है कि ऐसे हालातों के रहते हुए कोई भी सुधार होना असम्भव है ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह सफ़ारिश की थी कि विश्वविद्यालयों को संविधान की समवर्ती सूची में रख दिया जाये क्योंकि लगभग सारे साक्षी जिन में बड़े बड़े व्यक्ति और संस्थायें थीं इस मत का समर्थन कर रहे थे ।

आयोग इस विषय में कहता है :

"हमारे सभी साक्षियों ने इस सम्बन्ध में अपने मत प्रकट किये हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का विषय प्रान्तीय सूची, केन्द्रीय सूची अथवा समवर्ती सूची में रखा जाय । विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं और सरकारी व्यक्तियों का बहुमत समवर्ती सूची के ही पक्ष में है ।"

आयोग आगे कहता है :

"हम इस बात से सहमत हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के अखिल भारतीय पहलुओं की दृष्टि से यह असम्भव है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को पूर्णत: प्रान्तीय विषय रहने दिया जाये ।"

यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यह चाहता था कि विश्वविद्यालयों का विषय समवर्ती सूची में रख दिया जाये किन्तु हमारे सविधान निर्माताओं ने इस को राज्य विषय ही रहने दिया, और इस को संघ सूची की मद ६६ के अधीन कर दिया, जिस के अनुसार विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने तथा स्तर क़ायम रखने का काम केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंपा गया । जहां तक प्रस्तुत विधान का सवाल है, सरकार ने संघ सूची की मद ६६ का प्रतिक्रमण नहीं किया है । इस विधेयक के द्वारा सरकार केवल उन उत्तर-दायित्वों को ही पूरा करना चाहती है, जो कि संविधान की संघ सूची की मद ६६ के अधीन उस पर डाले गये हैं ; सरकार केवल दो उत्तरदायित्व पूरे करना चाहती है । प्रथम यह कि केन्द्रीय कोष से विश्वविद्यालयों को जो धन दिया जाये, उस का उचित रूप से व्यय हो, और द्वितीय यह कि वह उस उत्तर-दायित्व को पूरा कर सके, जोकि विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने तथा स्तर कायम करने के सम्बन्ध में संविधान ने उस पर डाला है । इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में भारत के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री, डा० राधाकृष्णन्, डा० ए० एल० मुडालियर और प्रो० मघनाद साहा के अतिरिक्त इंग्लैंड और अमरीका के भी बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री मौजूद थे । उन्होंने प्रस्ताव किया था कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में केन्द्र को अधिक अधिकार दिये जायें जो इस विधेयक के अन्तर्गत दिये गय अधिकारों से भी बहुत अधिक थे । मैं उन माननीय सदस्यों से, जोकि इस सम्बन्ध में बड़ी परेशानी दिखाते हैं कि केन्द्र को विश्वविद्यालयों के ऊपर कुछ अधिकार मिल जायेगा, व्यर्थ में चिन्तित न हों ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि ये दो विभिन्न कार्य, अर्थात् एकरूपता लाने तथा स्तर क़ायम रखने का काम तथा धन का आवंटन, एक ही संस्था अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ही क्यों सौंपे जायें । जैसा मैं ने शुरू में कहा, केन्द्रीय सरकार का मूल प्रस्ताव इन दो विभिन्न कार्यों के लिये दो विभिन्न संस्थायें स्थापित करना था । विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने तथा स्तर क़ायम करने के लिये एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद् स्थापित करनी थी और केन्द्रीय कोष के धन के आवंटन के लिये दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करना था । किन्तु अप्रैल, १९५३ में हुए एक सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और उपकुलपतियों ने एक मत हो कर यह सिफ़ारिश की कि दो पृथक् सस्थाओं के स्थान पर एक ही सस्था होनी चाहिये, और उसी को यह दोनों कार्य सौंपे जाने चाहियें । इस प्रकार विश्वविद्यालयों की शिक्षा और प्रशासन से अत्यधिक सम्पर्क रखने वाले हमारे उपकुल-पतियों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने यह सिफ़ारिश की कि दो पृथक् संस्थाओं के बजाय एक ही संस्था होनी चाहिए । उन की सिफ़ारिश के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर विनियमन विधेयक वापस ले लिया गया और उस के उपबन्ध प्रस्तुत विधेयक में निहित कर दिये गये ।

बिहार के मेरे माननीय मित्र, श्री एस० एन० दास ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यह प्रस्ताव नहीं करता कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को अनुदानों के आवंटन के अलावा और कुछ काम दिया जाये । लेकिन यह बात उन्होंने ठीक नहीं कही । मैं उन का ध्यान विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के पृष्ठ ४०६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में यह कहा गया है :

> "एक मात्र उपाय यह है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को समन्वय के कार्य के साथ साथ अनुदान देने अथवा रोकने का अधिकार सौंपा जाय ।"

[डा० एम० एम० दास]

मैं "अनुदान देने अथवा रोकने के अधिकार" शब्दों पर वशेष जोर देता हूं ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा--मध्य): किन्तु उस में स्तरों के संधारण का तो उल्लेख नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : अनुदानों के रोकने के बारे में काफ़ी कहा गया है । यहां हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग को यह अधिकार देने के पक्ष में है कि आवश्यकता समझने पर वे विश्वविद्यालयों के अनुदान रोक लें । विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को यह अधिकार देना जरूरी है ।

अब, मैं आयोग की रचना और उस के कार्यों की विवेचना करना चाहता हूं । यह कहा गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत इस आयोग की रचना वैसी नहीं रखी गई है, जैसी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफ़ारिश की थी । यह ठीक है कि परिवर्तन किये गये हैं । प्रथमतः, सदस्यों की संख्या ७ से ९ कर दी गई है । यह इसलिये आवश्यक समझा गया क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अतिरिक्त उत्तरदायित्व, अर्थात्, स्तरों के समन्वय और संधारण के उत्तरदायित्व भी देने का प्रस्ताव किया गया है ।

द्वितीय, सेवा की शर्तों और दिशाओं के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा रखी गई दशाओं और शर्तों पर दृढ़ रहना असंभव था, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अनुदान आयोग के सदस्यों की भावी नौकरी के बारे में कुछ प्रतिबन्ध रखे हैं, और ऐसे व्यक्ति पाना कठिन था, जो कि सरकार और विश्वविद्यालयों की दृष्टि में आदरणीय हों, तथा उन प्रतिबन्धों के रहते हुए आयोग के सदस्य के रूप में काम करने को तैयार हों । इस आयोग में प्रशासनीय और वित्तीय विशेषज्ञों के रखने की आवश्यकता तथा वांछनीयता के सम्बन्ध में कुछ शंकायें व्यक्त की गई हैं । अनेक सदस्य इस प्रश्न पर बोले हैं । सभा को यह जानना चाहिये कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन के दो विभिन्न पहलू हैं । एक शिक्षा सम्बन्धी पहलू है, जो कि शिक्षा और पढ़ाई से सम्बन्धित है और दूसरा प्रशासनीय पहलू है जिस का सम्बन्ध वित्त तथा प्रशासन से है । ऐसी आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के शिक्षा सम्बन्धी पहलू तथा प्रशासनीय और वित्तीय पहलू दोनों के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में हो । इसलिए अनुदान आयोग में ऐसे विशेषज्ञों को सम्मिलित करना अनिवार्य तथा आवश्यक है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जिन में मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णस्वामी भी एक हैं अपना मत व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले उप-कुलपतियों का चुनाव भारत के सब विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को करना चाहिये । मैं इस सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्थापना को बहुत प्रशंसनीय नहीं समझता । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्यता के लिए हमारे उप-कुलपतियों में से चुनाव करना उप-कुलपतियों की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा । इस के अतिरिक्त इस प्रकार के चुनाव से दलबन्दी और क्षुद्र भावनाएं पैदा होंगी । मैं सभा से यह भी निवेदन कर दूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इस चुनाव के पक्ष में नहीं था । उन्होंने सिफ़ारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय

सरकार को करनी चाहिये । इस विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयो ने जो कुछ कहा है मैं उस का उद्धरण दे रहा हूं :—

"हम सिफ़ारिश करते हैं कि इस आयोग में पांच सदस्य होने चाहियें, तीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये पूरे समय के सदस्य होने चाहियें जो उन तीनों में से एक को सभापति नियुक्त कर सकें और उन के साथ वित्त मंत्रालय का सचिव तथा शिक्षा मंत्रालय का सचिव होना चाहिये । तो भी हमारे देश के विस्तार के कारण और विभिन्न संस्थाओं के भिन्न भिन्न रूपों और हमारे विश्व-विद्यालयों में पढाये जाने वाले बहुत से विषयों के कारण यह संख्या सात तक बढ़ाई जा सकती है जिन में पांच गैर-सरकारी सदस्य हों और दो सचिव हों।"

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इस बात के सर्वथा विरुद्ध था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाये । उन्होंने तो विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के चुनाव पर चर्चा करते समय अपना मत बहुत दृढ़ता से व्यक्त किया था । मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य चुनाव के समर्थक हैं वे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें । विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है :—

"किसी ऐसे पद के उम्मेदवारों के लिए खुला प्रचार और मतदान सहन किया जा सकता है जो उस अभिनन्दन से अधिक न हो जिसे कि विश्वविद्यालय दे सकता हो, यद्यपि वह अप्रतिष्ठाजनक होता और उस से दलबन्दी ही पैदा होती....."

हमारे विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के चुनाव के सम्बन्ध में कहा गया था :—

"परन्तु एक कठिन और अत्यधिक कौशलपूर्ण सेवा के लिए एक चरित्रवान और प्रसिद्ध व्यक्ति प्राप्त करने के साधन स्वरूप, इस के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कहना होगा कि यह अत्यधिक हानिकर गलती है ।"

मैं इन पंक्तियों की कोई आलोचना नहीं करना चाहता ।

कुछ सदस्य इस विचार को पसन्द नहीं करते कि अनुदान आयोग को केन्द्रीय सरकार की नीति के नियंत्रण के अधीन रखा जाये । कुछ सदस्यों ने कहा था कि खण्ड २० जिस में यह उपबन्ध किया गया है, एक खतरनाक खण्ड है । वे अनुदान आयोग के लिए सम्पूर्ण स्वतन्त्रता निर्बाधित स्वच्छन्दता चाहते थे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हमारे विश्वविद्यालयों को अनुदान बांटने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम कुछ करोड़ रुपया व्यय करना होगा । भारत सरकार इस राशि के लिए इस सभा के समक्ष उत्तरदायी है । यदि कोई गलती हो गई तो विरोधी पक्ष के मेरे माननीय मित्र ही सर्व प्रथम लोग होंगे जो भारत सरकार का गला दबोचेंगे । विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के प्रत्येक कार्य या त्रुटि के लिए भारत सरकार पूर्णतः उत्तरदायी होगी । क्या यह ठीक है, क्या यह उचित है कि भारत सरकार जो कि पूर्णतः उत्तरदायी होगी उस का कोई प्राधिकार, कोई नियंत्रण और कोई अधिकार न हो ? बिना प्राधिकार बिना अधिकार बिना नियन्त्रण के तो कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता ।

बहुत से सदस्य खण्ड २४ अर्थात् दण्ड सम्बन्धी खण्ड को पसन्द नहीं करते जिस में आयोग को अधिकार दिया गया है कि वह यदि चाहे तो अनुदान वापस ले सकता है । यह अधिकार अत्यावश्यक है । एक माननीय सदस्य ने यह सिद्ध करने के लिए कि इस खण्ड

[डा० एम० एम० दास]

से एक ओर तो विश्वविद्यालयों के बीच मैत्री में बाधा उत्पन्न होगी और दूसरी ओर अनुदान आयोग के साथ मैत्री में बाधा होगी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का उद्धरण दिया और यह भी कहा कि इस खण्ड के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुलिस कर्मचारी के समान समझेंगे। उस सदस्या के लाभ के लिए--दुर्भाग्यवश वे उपस्थित नहीं हैं--और इस सभा के हित के लिए, मैं कुछ विस्तारपूर्वक पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि उन्हें यह बात स्पष्ट हो जाये ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य विस्तार से पढ़ कर सुनायेंगे तो संभवतः वे २-२५ पर समाप्त न कर सकें । क्या उन के लिए ऐसा करना संभव होगा ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, मैं समाप्त कर दूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवदन के गलत उद्धरण दिये थे । मैं यह दिखाना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अधिकतम सीमा तक इस प्रलेख के गलत उद्धरण दिये हैं । आयोग ने कहा है कि हम विश्वविद्यालयों के साथ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं न कि पुलिस कर्मचारी अथवा निरीक्षक का सम्बन्ध । इस पंक्ति का उद्धरण दिया गया है परन्तु अगली दो पंक्तियां उद्धरित नहीं की गईं । अगली दो पंक्तियों में उन्होंने कहा है :

> "यदि विश्वविद्यालय ने उपयुक्त कार्य को हानि पहुंचा कर दलबन्दी के झगड़ों का अनुरोध किया तो आयोग सरकारी राशि को और लाभदायक कार्यों में लगाने के लिए बाध्य होगा । एसी स्थिति में यह स्वाभाविक है और इस के ज्ञान मात्र से ही एक स्थिर प्रभाव पड़ेगा ।"

मैं समझता हूं कि मेरे इन उद्धरणों का विपक्ष के माननीय सदस्यों पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा ।

मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेना चाहता हूं और वह प्रश्न काशी विद्यापीठ और गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं से **उपाधिया देने** का अधिकार ले लेने का है । **स्तर संधारण** का उत्तरदायित्व पालन करने के हेतु **अनाधिकृत** संस्थाओं से उपाधियां देने का अधिकार ले लेने का अधिकार अत्यावश्यक है । यदि हर कोई उपाधियां देने लग जाये तो कोई स्तर नहीं रखा जा सकता । परन्तु हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये कि सब गैर-सरकारी संस्थाओं को एक ही मापदंड से नहीं नापा जा सकता । इस देश में ऐसी गर-सरकारी संस्थाएं हैं जो जनता में बहुत मान और श्रद्धा की पात्र हैं । ऐसी संस्थाओं को सरकार से भी वार्षिक अनुदान मिलते हैं । ऐसी वास्तविक गुणों वाली संस्थाओं को डरना नहीं चाहिये । उन्हें इस विधेयक के खण्ड ३ के अधीन उपाधियां वितरण करने के अधिकारी विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है ।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० एम० लिंगम् हमारे देश में शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में बहुत असन्तोष और खेद प्रकट कर रहे थे । उन्होंने कहा कि हम ने शिक्षा की कोई राष्ट्रीय प्रणाली नहीं बनाई और हमारे कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हैं । अपने माननीय मित्र के प्रति पूर्ण आदर सहित मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से--मैं अत्यधिक अज्ञान तो नहीं कहना चाहता परन्तु--उचित जानकारी का अभाव प्रकट होता है । यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे समक्ष कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि हम ने शिक्षा की कोई राष्ट्रीय

प्रणाली नहीं बनाई । जहां तक परिणाम का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन विभिन्न योजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें देश में शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए देश भर में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता से आजकल लागू कर रही हैं । हमारे देश में शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण और पुनर्जागृति के लिए आजकल राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय कर रही हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : परिणाम क्या है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास अपने माध्यमिक और प्रारम्भिक स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या के आंकड़े हैं, और मैं वे आंकड़े अपने माननीय मित्र डा० सुरेश चन्द्र को देना चाहता हूं । १९४७–४८ में हमारे प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या १.४१ करोड़ थी जब कि १९५२–५३ में यह संख्या २.५३ करोड़ थी जिस का अभिप्राय यह है कि उस में १.१२ करोड़ की वृद्धि हुई । हमें सारी राज्य सरकारों से सारे आंकड़े नहीं मिले, परन्तु जो आंकड़े मिले हैं उन से पता चलता है कि हमारे माध्यमिक और प्रारम्भिक स्कूलों के छात्रों की वर्तमान संख्या ३ करोड़ से अधिक हो गई है । अपनी जन संख्या का विचार करते हुए ३६ करोड़ में से ३ करोड़ की संख्या भले ही प्रभावोत्पादक न हो परन्तु जिस हिसाब से छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और नये स्कूल खोले जा रहे हैं उस के आधार पर यह विचार करना पड़ता है कि संभवत: निराशा और खेद के लिए कोई ठीक या औचित्यपूर्ण कारण नहीं है ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री एन० एम० लिंगम् और अन्य सदस्यों की कठिनाई को भली प्रकार समझता हूं उन की कठिनाई यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सफलता इस प्रकार की नहीं होती जिस पर लोगों का स्वत: ही ध्यान जा सके । जब किसी नदी पर एक बड़ा बांध बांधा जाये तो हम अपनी आंखों के सामने एक बड़ा ढांचा कुछ गगनचुम्बी भयभीत कर देने वाला ढांचा देखते हैं. यह किसी स्थान पर स्थित होता है कुछ आतंकित कर देने वाला होता है और हम उस स्थान पर जा कर उसे देख सकते हैं । परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य सारे देश में फैले होते हैं । यह किसी स्थान पर स्थित नहीं है, कोई किसी विशेष स्थान पर जा कर सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्यों को नहीं देख सकता । हमें किसी दूर के गांव में जा कर देखना होगा कि वहां एक नया प्रारम्भिक स्कूल खुल गया है, हमें किसी स्कूल के भवन में किसी अलग कोने में जा कर देखना पड़ेगा कि वहां पुस्तकालय में कुछ सौ पुस्तकें बढ़ा दी गई हैं । यह जानने के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा और कुछ कष्ट सहना पड़ेगा । दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों का अभाव है जो इतना प्रयत्न करने और कष्ट उठाने के लिए तैयार हों ।

मैं ने सभा का काफी समय लिया है । मैं ने चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रासंगिक प्रश्नों में से यथासंभव बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । मैं सभा से अपने प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने तथा उन का स्तर निर्धारित करने के हेतु एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में ३० सदस्य इस

[सभापति महोदय]

सभा के, अर्थात्, श्री नरहरिविष्णु गाडगिल, श्री वी० बी० गांधी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी, श्री आर० वी० धुलेकर, श्री बीरबल सिंह, पंडित अलगूराय शास्त्री, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार, श्री एस० सिन्हा, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री ए० एम० थामस, श्री एन० राचय्या, श्री दीवान चन्द शर्मा, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री राधेलाल व्यास, मुल्ला अब्दुल्लाभाई मुल्ला ताहिरअली, श्री कृष्णाचार्य जोशी, पंडित लिंगराज मिश्र, डा० मनमोहन दास, श्री रामेश्वर साहू, श्री जयपाल सिंह, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री के० एम० बल्लाथरास, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, हिज हाइनेस राजा राजेन्द्र नारायण सिंह देव, श्री बी० एच० खर्डेकर, श्री मेघनाद साहा, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री पी० एन० राजभोज और मौलाना अबुल कलाम् आज़ाद,

और १५ सदस्य राज्यसभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक संगठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति अपना प्रतिवेदन इस सभा के सामने ३० अप्रैल, १९५५ तक प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें:

कि यह सभा राज्यसभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्यसभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औषध (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि औषध अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

सभा से औषधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए कहते हुए मुझे हर्ष होता है । मेरा विचार है कि इस सभा में मुझे कई बार इस विषय में कोई कार्यवाही करने के लिये कहा गया है । जब यह विषय समवर्ती सूची में आ गया तो मैं ने इसे यथाशीघ्र ले लिया और सभी राज्यों के मत और सुझाव ले लेने के पश्चात् इस विधेयक में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं और इन संशोधनों में केन्द्र और राज्यों में अधिकतम सहमति है ।

औषधियां अधिनियम अप्रैल १९४७ से लागू है और इन साढ़े वर्षों में प्राप्त किये अनुभव के आधार पर उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । मैं संक्षेप में उन्हें बताना चाहती हूं ।

औषधि की परिभाषा को विस्तृत कर दिया है । हमें यह पता लगा कि कुछ ऐसी औषधियां बिकने लगी हैं जो गर्भनिरोधक समझी जाती हैं या जिन के गर्भनिरोधक होने का दावा किया जाता है, और वे बहुत हानि पहुंचा रही हैं । इस प्रकार की औषधियों

और कीटाणुनाशक ओषधियों को इस परिभाषा में लाया गया है और केन्द्रीय सरकार के लिए यह अधिकार भी मांगा गया है कि वह समय समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना दे सके जिस से जहां कहीं आवश्यक हो स्तरों का नियंत्रण किया जा सके ।

'निर्माण' की परिभाषा पहली बार प्रस्तुत विधेयक में दी गई है । अधिनियम में इसके पूर्व पहले कभी इस की परिभाषा नहीं दी गई थी । मैं यह उल्लेख कर दूं कि इस देश में निर्माण क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंश वृहद् ओषध आयात, उन्हें पुनः बोतलों में भरने, पुनः लेबल चिपकाने या पुनः पेकिंग करने से सम्बन्धित है और इस प्रकार की कार्यवाहियों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से यहां 'निर्माण' शब्द के अन्तर्गत इन कार्यों को सम्मिलित करना आवश्यक है ।

ओषध प्रविधिक मंत्रणा बोर्ड के विधान में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी । वर्तमान में बोर्ड में औषधि निर्माण व्यवसाय का प्रतिनिधित्व केवल एक सदस्य तक ही सम्मिलित है किन्तु इस व्यवसाय की वृद्धिगत कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उन का प्रतिनिधित्व बढ़ा कर तीन कर देने का विचार किया गया है । इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन भारत की औषधिनिर्माण परिषद् द्वारा किया जायेगा, जिसकी स्थापना १९४८ के औषधिनिर्माण अधिनियम के अधीन की गई थी ।

ब्रिटिश चिकित्सा संस्था की भारतीय शाखाएं होती थीं जिन्हें बोर्ड में एक सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार था । इस संस्था को विशेष प्रतिनिधित्व देना और अधिक आवश्यक नहीं है । अतः उक्त उपबन्ध अपवर्जित कर दिया गया है ।

हमारी यह दृढ़ अनुभूति है कि अधिनियम के प्रशासन के प्रभारी केन्द्र से सम्बद्ध प्रमुख पदाधिकारी को बोर्ड का पदेन सदस्य बनाया जाना चाहिये ।

एक मुख्य संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा परिच्छेद ४ के अधीन नियम बनाने की शक्तियां हस्तगत करना है । इस सम्बन्ध में राज्य पूर्णतः हमारे साथ हैं । देश के अधिकांश महत्वपूर्ण औषध आयात किये जाते हैं और चूंकि वे अन्तर्राज्य व्यवसाय के अन्तर्गत आते हैं इसलिये उन का प्रमाप निश्चित करने के लिये सम्पूर्ण भारत में एकरूपता होना चाहिये ।

इस के बाद दण्ड वृद्धि का प्रश्न लिया गया है । राज्य सरकारों से निरन्तर यह मांग प्रस्तुत की जा रही है और इस सदन में भी यह बात कही जा चुकी है । अतः दण्ड की उच्च सीमा निर्धारित किये बगैर धारा २७ के अधीन तीन वर्ष तक और धारा ३० के अधीन पांच वर्ष तक दड अवधि बढ़ाने का विचार किया गया है । जाली तथा मिलावट-युक्त औषध देश के लिये घातक है और समस्त राज्य इस बात से सहमत हैं कि दण्ड में वृद्धि होनी चाहिये । अब चूंकि दण्ड बढ़ा दिया गया है अधिनियम के अन्तर्गत अपराध केवल प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारयोग्य हैं । यह सर्वथा उचित है कि दंड वृद्धि करने की अवस्था में उक्त मजिस्ट्रेट ही दण्ड निर्धारण में समर्थ हैं ।

दूसरा संशोधन भी महत्वपूर्ण है जिस का सम्बन्ध समवायों द्वारा किये गये अपराधों के दण्ड के प्रचार करने से है । इसे भी अत्यधिक आवश्यक समझा गया है ।

औषध निरीक्षक के उत्तरदायित्व को देखते हुए बिना मजिस्ट्रेट से अधिकार प्राप्त किये ही तलाशी और जब्ती के अधिकार दिये गये हैं । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता के आवश्यक उपबंध इन तलाशी सम्बन्धी कार्यों

[राजकुमारी अमृत कौर]

को नियंत्रित करेंगे । जान बूझ कर बाधा उत्पन्न करने वालों के लिये भी दण्ड वृद्धि का उपबन्ध किया गया है ।

हम ने एकस्व और स्वामि सम्बन्धी औषधियों के सम्बन्ध में बिक्री की अनुमति देते हुए रियायत वापस लेने का भी निश्चय कर लिया है । अब तक ऐसा औषध प्रयोगशाला द्वारा स्वीकृत पंजीकरण संख्या के आधार पर ही सम्भव था । हमारा विचार है कि अन्य प्रगतिशील देशों की भांति सम्पूर्ण औषध पर ऊपर लेबल में यह लिखा रहना चाहिये कि उन में क्या क्या है ।

नकली औषध से सम्बन्धित मामलों में अनेक राज्य सरकारों ने कार्यवाही कर स्तुत्य कार्य किया है । फिर भी प्रस्तावित संशोधनों से औषध प्रमाप नियंत्रण प्राधिकारियों के हाथ सशक्त होने में पर्याप्त सहायता मिलेगी । मेरी इच्छा है कि प्रस्तुत अधिनियम यथासम्भव शीघ्र ही विधि पुस्तक में सम्मिलित कर लिया जाये ।

सदन को विदित है कि हाल ही में एक औषधिनिर्माण जांच समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं जिन में से अधिकांश इस में समाविष्ट कर ली गई हैं तथा एक अथवा दो पर सक्रिय विचार किया जा रहा है । राज्यों से सम्मति प्राप्त करने के पश्चात् सिफ़ारिशों पर विचार कर मैं बाद में अग्रेतर संशोधन प्रस्तुत करूंगी ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत कम संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । जो इने-गिने संशोधन प्राप्त हुए हैं वे राज्य-सभा में प्राप्त संशोधन की भांति ही हैं । उक्त संशोधन मुझे स्वीकार्य नहीं हैं मेरा विश्वास है कि सदन इस व्यवस्था से पूर्ण सहमत है । स्वयं मैं भी उचित अवसर पर दो नितान्त तथ्यपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करूंगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औषध अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

जैसा सभा को मालूम है, प्रस्तुत विधेयक पर विचार का समय डेढ़ घण्टा है ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : स्वयं विधेयक पर बोलते समय ही हमें संशोधनों पर बोलने की भी अनुमति दी जाये । इस से समय बच जायेगा ।

सभापति महोदय : यदि सामान्य चर्चा में एक घंटा लग गया तो तृतीय वाचन की अवस्था पर तथा खंडवार चर्चा करने के लिये हमारे पास केवल तीस मिनिट ही बच जायेंगे । क्या यह पर्याप्त है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : बहुत ठीक ।

श्री गिडवानी (थाना) : में वकील नहीं हूं फिर भी खण्ड १२ में दंड के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उस से मैं यह समझता हूं कि वास्तविक स्थिति में मजिस्ट्रेट केवल जुर्माना कर सकता है । इस प्रकार के गम्भीर अपराधों में केवल जुर्माने से ही काम नहीं चलेगा । हम नकली तथा मिलाट वाली औषध को रोकने के लिये उत्सुक हैं अतः तीन वर्ष का दंड और जुर्माना दोनों आवश्यक हैं ।

मेरा दूसरा सुझाव निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है । शीघ्रता की दृष्टि से उन्हें अधिक शक्तियां देने का विचार किया गया है किन्तु हम जानते हैं कि दूसरे विभागों के निरीक्षकों ने किस प्रकार प्रशासन को बदनाम

किया है । हमें इन निरीक्षकों का अखिल भारतीय संवर्ग स्थापित करना चाहिये और उन को वेतन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए ताकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हों । यदि निरीक्षकों के कार्य में ईमानदारी न हुई तो विधेयक के अधिनियम का उद्देश्य ही निरर्थक हो जायेगा ।

विदेशी औषध पर भारत का अत्यधिक द्रव्य देश से बाहर चला जाता है । आरम्भ में, जब स्ट्रेप्टोमाइसीन भारत में आया तो १९४८ में यह ३० रुपये प्रति ग्राम पर बिका था और अब इस की कीमत डेढ़ रुपया प्रति ग्राम है । अनभिज्ञ व्यापारी जाली औषध की बिक्री करते हैं । इसे शीघ्र रोकने की आवश्यकता है । स के निर्माण का राष्ट्रीयकरण करना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु उस के वितरण का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये क्योंकि औषध का सम्बन्ध जन-जीवन से है । यह एक नवीन उद्योग है तथा इस में निजी क्षेत्र के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है अतः हमें इसे व्यवस्थित करना चाहिये ।

श्री बी० बी० गांधी : इस विधेयक में मूल अधिनियम की तीन बातों में सुधार किया गया है । इस में औषध की परिभाषा का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है इस में एकस्वकृत तथा किसी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अधिकार प्राप्त की हुई औषधों के निर्माण सूत्र की गोपनीयता के संरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया है और इस में केन्द्रीय सरकार के नियम-निर्माण शक्तियां अपने हाथ में ले लेने का भी उपबन्ध किया गया है । स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित औषध नियंत्रक ने अपना कार्य भलीभांति किया है । इसे केन्द्रीय व्यवस्था ने औषध में होने वाली लूट का अंत किया है और विदेशियों को यह अनुभव हो गया है कि कम स्तर वाली औषधियों की खपत के लिये भारत स्वच्छंद क्षेत्र नहीं है । विदेशों के प्रतिष्ठासम्पन्न औषध निर्माताओं ने इस प्रकार के नियंत्रण का स्वागत किया है और यह स्तुत्य चिह्न है । आज जनता में आयात किये जाने वाले तथा स्वदेश में निर्मित औषध के प्रति विश्वास की भावना ने जन्म लिया है । हमें दंड की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है । जुर्माने की सीमा हटा देने में भी हमें आपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि अध्याय ४ के सब प्रकार के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये इतनी कठोर दंड-व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं यह जानता हूं कि केपसूलों के भीतर चाक पीस कर भर देना और फिर उसे सलफेडायजीन कह कर बेचना वस्तुतः समाज-विरोधी कार्य है । ऐसा करने वाले व्यक्ति समाज के शत्रु हैं । इन के साथ कठोरता का बर्ताव किया जाना चाहिये और इन मामलों में सजा तीन वर्ष तक बढ़ा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन उदाहरण के लिये अनुसूची ञ के अधीन किया गया अपराध लीजिये । उस में कहा गया है कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखे बिना अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी बारबिट्युरिक एसिड, सलफोनेमाइड और दूसरी दवाएं नहीं बेच सकेंगे । यद्यपि इन सब दवाओं को अत्यन्त सावधानी के साथ रखने की आवश्यकता है फिर भी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के सहायक द्वारा यह बात हो सकती है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार के अपराधों में अन्तर किया जाना चाहिये । बम्बई राज्य के औषध-निर्माता, आयातकर्ता, वितरक और व्यापारियों की एक कान्फ्रेंस में ३ अक्तूबर, १९५४ में एक संकल्प पारित किया गया था । इस में कहा गया था कि टेक्नीकल अपराधों को अधिक गम्भीर अपराधों के साथ नहीं मिलाया जाये । बम्बई के फुटकर तथा दवा बनाने वालों के एसोसियेशन ने भी इसी आशय का संकल्प पारित किया है ।

श्रीमती कमलेदु मति शाह (ज़िला गढ़वाल –पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर–उत्तर) : मुझे जो अपने अनुभव से देखने को मिला है उसी के बारे में मैं, आप के सामने, कुछ बातें रखना चाहती हूं ।

नशीली वस्तुओं का जो हम ने निरोध किया है उस से मुझे खेद है कि न तो सरकार को कोई फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ इस से जनता के बीच में बड़ा भारी भ्रष्टाचार और पीने की आदत फैल गयी है । इस का मुझे बहुत ही अफसोस है नशाबन्दी न बन्द हो सकी पर सरकार के खजाने में जो डेढ़ करोड़ रुपया आता था वह बन्द हो गया । पीना किसी का बन्द नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है । कैसे कैसे किस्म की शराब इस्तैमाल होती है मैं समझती हूं कि इस का सरकार को पता होगा । यह बुरी तरह से बनती है और इस का परिणाम उन के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा होता है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस काम, शराब बनाने, को सरकार अपने हाथ में ले ले और कोई दूसरा इस को न बनाने पावे । पीना तो किसी का रोका जा नहीं सक रहा है, इसलिए अगर बनाना है तो सरकार स्वयं बनावे । वह अच्छी तरह से बनावेगी । और मैं चाहती हूं कि उस को ठीक मात्रा में वितरित किया जाय । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर वह ऐसा करेगी तो जो आजकल लोगों को हानि हो रही है वह नहीं होगी । मैं अपने क्षेत्र में देखती हूं कि लोग दो दो तीन तीन आउंस की बोतलों में जिंजर टिंचर और न जाने क्या क्या ले आते हैं और मामूली दवा कह कर बहुत ज्यादा पी रहे हैं । इस पर न कुछ रोक है और न बन्दिश है और यह बढ़वाल में इतनी बढ़ गयी है कि मैं क्या कहूं । इस को जिस प्रकार रोका जा सके रोकने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए ।

दूसरी मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि और देशों से शराब का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जाय । जो कुछ बने हमारे देश ही में बने और उसी का इस्तैमाल हो, क्योंकि पीना तो किसी का बन्द हो ही नहीं रहा है । इस को यहां बहुत अच्छी तरह से बनाया जाय ताकि वह स्वास्थ्य पर बुरा असर न करे । इस को बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह कोई ज़रूरी वस्तु नहीं है बल्कि एक विलास की वस्तु है । इसलिए इस को हमारे देश में ही बनाना चाहिये यह मेरी सरकार से प्रार्थना है । टिंचरों को बेचने वालों पर भी बहुत कड़े नियम लग जाने चाहियें ।

मुझे इतना ही कहना है । आशा है सरकार मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान देगी ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : यह विधेयक आज बड़ा आवश्यक है । १९३० में औषध जांच समिति बनी थी और औषध अधिनियम को १९४७ में ही लागू किया गया था । मिलावटी औषधों के निर्माताओं को जो मौका मिलता है, उस के कारण यही हैं कि सभी राज्यों में औषध-नियंत्रक नहीं हैं, दूसरे इसके लिये पर्याप्त व्यक्ति भी नहीं हैं । शहरों और देहातों में 'शीशी बोतल वाले' फेरियां लगाकर बोतलें आदि इकट्ठी कर लाते हैं और जिन के लेबल आदि ठीक होते हैं, उन के अच्छे दाम भी दे देते हैं । उन में फिर नकली सामान भरा जाता है । अच्छी-अच्छी फर्में तक इन बोतलों आदि को खरीद कर उन में फिर बुरा माल बेचती हैं । इन को पूरा दंड मिलना चाहिये और गृहस्वामियों को भी इस के बारे में शिक्षित बनाना चाहिये ।

इस विधेयक के अनुसार मिलावटी औषधों का पता चलने पर औषध-नियंत्रक तलाशी ले सकेंगे और गिरफ्तारी कर सकेंगे ।

सभी औषधालयों के लिये यह भी एक शर्त होनी चाहिये कि वे इस दिशा में प्रशिक्षित लोगों को ही अपने यहां रखें और इस का प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें अधिक होनी चाहियें । औषधि-विक्रेताओं को पता होना चाहिये कि वे क्या बेच रहे हैं । एक गंजा आदमी एक दवा लाया और उसे सिर पर लगा कर उस ने टोपी पहिन ली; पर वह गोंद था और टोपी बुरी तरह चिपक गयी !

नकली दवाओं के बड़े बड़े निर्माताओं और उन के खरीद कर बेचने वाले छोटे-मोटे व्यापारियों में भी जो भेद है, उसे ध्यान में रखना चाहिये । कुनैन की कमी हुई तो इन लोगों ने इंजक्शनों में पानी भर दिया । ऐसे लोगों को लम्बे समय तक के लिये जेल की सज़ा और भारी दंड देना चाहिये । मुझे यकीन है कि कुछ जिम्मेवार देशी समवायों की दवायें विदेशी समवायों की अपेक्षा किसी बात में बुरी नहीं हैं । जनता को शिक्षित करना चाहिये कि वह अपने पैसे का सदुपयोग करे ।

औषधियों के बारे में लोगों की सच्ची जानकारी मिलनी चाहिये और झूठे और हानिकर विज्ञापनों पर, जो सब कुछ कर दिखाने का वादा करते हैं, रोक लगनी चाहिये । सरकार को इन के विरुद्ध प्रचार करना चाहिये । सरकार परिवार नियोजन के लिये प्रयुक्त होने वाली दवाओं के लिये जो कुछ करती है, वह जन साधारण तक नहीं पहुंच पाता ।

जब तक जनता में नागरिक भावना न आयेगी; नियंत्रक, निरीक्षक और अन्य पदाधिकारी कुछ न कर पायेंगे । एक कहानी है—

एक राजा था, वह बीमार हुआ । वैद्य ने कहा कि शुद्ध दूध के साथ दवा खाओ । उस से कुछ फायदा नहीं हुआ । उन्होंने वैद्य से कहा कि कुछ फायदा नहीं हुआ । वैद्य ने कहा कि दूध शुद्ध नहीं होगा । राजा ने कहा कि अपने सामने दूध मंगाता हूं । जब देखा तो दूध से एक चिंगड़ी मछली नकली । राजा ने कहा तब और क्या करूं ? एक अफसर दूध देखने के लिये रखे देता हूं । तब वैद्य ने कहा कि महाराज, तब तो दूध में रूही भी कूदेगी ।

इसलिये जब तक जनता को शिक्षित नहीं बनाया जाता, केवल पदाधिकारी नियुक्त करने से ही कुछ न होगा । औषधों का नियंत्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है ।

डा० रामा राव (काकीनाड़ा) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे यह अनुरोध करना है कि इस के प्रशासन के लिये राज्यों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाये ।

इस विधेयक में कुछ रासायनिक सन्तति निरोधक उपायों पर रोक लगायी गयी है । सरकार को रोक न लगा कर इस बारे में कुछ स्तर निर्धारित करने चाहियें । बीस वर्ष पहले मैसूर राज्य ने एक विशेषज्ञ रखा था, और प्रत्येक इच्छुक स्त्री को नुसखे के साथ ही ज़ैली और डच-कैप भी देने की व्यवस्था की गयी थी । अब पता नहीं क्या स्थिति है ।

नकली दवाओं के बारे में सभी को विदित है कि क्या कुछ हो रहा है । कलकत्ते में एक फर्म पकड़ी गई थी, जो खड़िया के चूरे में रंग आदि मिला कर ही सभी दवायें बना लेती थी । भेषज समिति की रिपोर्ट ने भी कहा है कि औषध अधिनियम के बावजूद नकली दवायें बनना बन्द नहीं हुआ है । अब दंड का बढ़ाया जाना अच्छा है, और इस बारे में मैं श्री गांधी से सहमत नहीं हूं । मजिस्ट्रेट स्वयं मामले की गंभीरता का निर्णय कर सकेगा ।

समाजवादी ढांचे की बात चलने पर भी हमारे समाज में मुनाफा ही मुख्य लक्ष्य बना हुआ है । मैं भी श्री सिंडवानी के शब्दों में

[डा० रामा राव]

सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह औषधों के निर्माण के क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़े। १९४६ म मोरे समिति जैसी अनुदार समिति तक ने इस उद्योग को अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का उद्योग बताया था। उन का यह भी कहना था कि संगठित प्रयत्न होने पर देश इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकता है। अतः सरकार को केवल विज्ञापनों पर ही रोक नहीं लगानी चाहिये, बल्कि इस दिशा में कुछ निश्चित कार्य करना चाहिये। पेनीसिलिन और डी० डी० टी० ही नहीं, और भी बहुत सी छोटी-बड़ी चीजें बनाई जा सकती हैं। मंत्रालय एक अधिनियम पास करता है, तो चतुर औषध विक्रेता दूसरे तरीके निकाल लेते हैं, अतः यही एकमात्र उपाय नहीं है।

विदेशी औषधियों के आयात में भी मोरे समिति के शब्दों में भी हम बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। यह ठीक है कि कुछ फर्में अपनी सत्यता के लिये ख्यात हैं, पर हमें उन की दवाओं के लिये बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं। अतः स्वयं औषधियां बनाने म ढील डालने के कारण मंत्रालय अप कर्तव्य से च्युत हो रहा है। वैसे मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री धुलेकर (झांसी ज़िला–दक्षिण) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः शुद्ध औषधियों के लिये पूरी चेष्टा करनी चाहिये।

माननीया स्वास्थ्य मंत्री ने यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया, इस की मुझे शिकायत है। अन्यथा मैं इस में आयुर्वेदिक औषधियों को भी रखने के लिये कहता। अंग्रेज़ उन के विरोध में थे, पर अब सरकार आयुर्वेदिक शिक्षा और अनुसन्धान के लिये बहुत कुछ कर रही है और इसलिये मैं चाहता था कि देश की ८० प्रतिशत जनता जिन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का उपयोग करती है, वे भी शुद्ध होनी चाहियें। पर अब जब राज्य सभा ने यह विधेयक पास कर दिया है, तो मेरे लिये यह संशोधन रखना अब कठिन हो गया है, क्योंकि उस के लिये संयुक्त बैठक आदि आवश्यक हो जायेंगी : अतः मेरा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली के लिये बनाये गये अनेकों कालेजों और उस के लिये खोले गये हजारों औषधालयों को दृष्टि में रखते हुए सरकार को संसद् सदस्यों की एक समिति इस बात की जांच करने के लिए नियुक्त करनी चाहिये। इन औषधियों का नियंत्रण भी आवश्यक है।

राजकुमारी अमृत कौर : इस विधेयक का सिद्धान्ततः समर्थन करने वाले सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं, यद्यपि कुछ ने इस की न्यूनता के बारे में कुछ बातें कही हैं। मैं उन बातों को संक्षेप में लूंगी।

सब से पहले मुझे अंतिम वक्ता से यह कहना है कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों का इस में शामिल करना व्यवहारतः असंभव था। उन के बारे में एक अच्छी औषध निर्माणक निर्देश पुस्तिका न होने से यह संभव न था। शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली एक पुस्तिका में जो देशी दवायें दी गयी हैं, वे इस के क्षेत्र में आ जायेंगी। बाकी देशी औषधों के विषय में मैं मानती हूं कि उन में मिलावट चलती है और हम यथासंभव चेष्टा करेंगे। पर जब तक औषधियों की पूरी सूची न मिले, कुछ करना बड़ा मुश्किल है। यह नहीं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूं। मैं पूर्णतः मानती हूं कि किसी को भी दी जाने वाली कोई भी औषध शुद्ध होनी चाहिये।

पहले वक्ता श्री गिडवानी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं। वह कारावास और जुर्माना दोनों को शामिल करना चाहते थे,

पर कठिनाई बहुत स्पष्ट है । छोटे-मोटे प्रकार के प्राविधिक अपराधों के विषय में यह कठिनाई पैदा होगी । हम अपने प्रैसीडेंसी मजिस्ट्रेटों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर पूरा विश्वास करते हैं और वे अपने स्वविवेक का उचित उपयोग कर सकेंगे । अतः मैं कारावास और जुर्माना दोनों का उपबन्ध नहीं करना चाहती, बल्कि कारावास या जुर्माना ही रहने देना चाहती हूं ।

एक दूसरे माननीय सदस्य ने धारा २७ में रखे गये दंड का उल्लेख किया था । मेरा विचार है कि इस में कुछ गलती है । उन्होंने इसे न्यूनतम समझा था और मेरे मित्र डा० रामा राव उसे ठीक कर चुके हैं कि यह अधिकतम है । अतः कोई मुश्किल नहीं है । न्यायालय को कम दंड देने का पूरा अधिकार है । मैं नहीं चाहती कि ऐसा सामाजिक अपराध करने वाले लोग सामान्य जुर्माना दे कर छूट जायें, क्योंकि वे लोग हजारों रुपये कमाते हैं । उन को जुर्माना देना कुछ बुरा न लगेगा । मेरा कहना है कि मानवता के विरुद्ध इन अपराधों को करने वाले इन लोगों को कारावास होनी चाहिये ।

दूसरा सुझाव यह था कि निरीक्षकों के पास विशेष अर्हता होनी चाहिये । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि अधिनियम के अनुसार उन के पास यह विशेष अर्हता होना आवश्यक होगा । औषध-नियमों के अनुसार उन को अच्छा वेतन मिलना चाहिये । दिल्ली में वेतन प्रमाप रु० २७५–८०० है । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि औषध-निरीक्षकों को काफी शक्तियां दी जायें, तो उन को वेतन भी अच्छा देना चाहिये, जिस से वे रिश्वत और भ्रष्टाचार के शिकार न हो सकें । डा० रामा राव द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न के बारे में मैं उन को विश्वास दिलाऊंगी कि प्रशासन के विषय में स्वभावतः ही राज्यों का निकट सहयोग प्राप्त किया जायेगा । अधिनियम का प्रशासन वस्तुतः राज्यों के ही अधीन होने जा रहा है । यह देखना उन्हीं का काम है कि औषध निरीक्षक अर्हतायुक्त हैं या नहीं ।

दूसरी बात राष्ट्रीयकरण की थी । इस देश में भेषज-उद्योग को विकसित करने के लिये मुझ से अधिक चाव किसी को न होगा । जब तक हम यह न करें, हम औषधों का मूल्य कम नहीं कर सकते और जनता को उचित मूल्य पर नहीं दे सकते । इस बारे में मुझे अपने साथी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है । बहुत शीघ्र ही हम इस प्रश्न को ले रहे हैं कि निकट भविष्य में हम कितना कुछ कर सकेंगे । हम ने पेनिसिलिन कारखाना खोल दिया है, जो शीघ्र निर्माण शुरू करेगा । वही बात डी० डी० टी० कारखाने के बारे में है, और वस्तुतः उस के दो कारखाने बनेंगे । एंटीवाएटिक्स का निर्माण भी इन कारखानों में संभव हो सकेगा । भेषज जांच समिति ने भी देश को औषधियों के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के बारे में एक सिफ़ारिश की है । इस प्रश्न पर हम और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सक्रिय विचार कर रहे हैं ।

जनता को शिक्षित बनाने के बारे में मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं । स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन बनने वाले प्रकाशन ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले कामों में एक काम जनसाधारण को शिक्षित करना भी होगा और कोई भी औषध तब तक न बिकने दी जायेगी, जब तक उस का नुसखा उस के ऊपर न लिखा हो । जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, सदन को याद होगा कि उन का नियंत्रण हाल में पास हुए औषधि तथा जादुई चिकित्सा नियंत्रण अधिनियम द्वारा किया जाता है । नियम प्रकाशित हो चुके हैं और अधिनियम इस वर्ष १ अप्रैल से लागू हो जायेगा । मैं फार्मेसी अधिनियम का भी

[राजकुमारी अमृत कौर]

उल्लेख करूंगी, जो फार्मेसिस्टों का नियंत्रण करता है । इस से हमारे औषधि भंडारों के लिये आवश्यक व्यक्तियों की व्यवस्था हो सकेगी ।

सन्तति निरोधक उपायों के स्तरों का उल्लेख किया गया था । मैं पूर्णतः सहमत हूं कि यह होना चाहिये । प्रस्तावित संशोधन में यह उपबन्ध है कि सन्तति निरोधक उपायों को विहित किया जायेगा और इस में रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार के सन्तति-निरोधक उपाय शामिल होंगे । यदि माननीय सदस्य प्रस्तावित विधेयक के पृष्ठ ६ पर खण्ड १७(ख) को देखें, तो उन्हें विश्वास हो जायेगा कि ऐसा ही है ।

कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है । मुझे खेद है कि कई कारणों से मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती । मैं अपने माननीय मित्रों श्री वी० बी० गांधी और श्री एस० वी० रामस्वामी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने संशोधन वापस ले लें । खण्ड ६ के सम्बन्धी सूची १ में जो संशोधन है, उस के बारे में अधिनियम में प्रस्तुत उपबन्ध में ये शब्द हैं "यदि वह कहे" । विधेयक के मसौदे में "आवश्यक" शब्द जान बूझ कर रखा गया जिस से कि दवाइयों के पैकट को केन्द्रीय भेषिज प्रयोगशाला को भेजने की जिम्मेवारी और स्वविवेक पता लगाने वाले अधिकारी पर रहे । धारा में यह भी है "यदि भेषिज नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हो" । सम्बद्ध अधिकारी को जब भी सन्देह होगा वह भेषिज नियंत्रक से निदेश लेगा और इसलिए मेरा विचार है कि यह संशोधन करना आवश्यक नहीं है । उन के दूसरे संशोधन.....

सभापति महोदय : माननीय मंत्री संशोधनों के रखे जाने पर ही उन के सम्बन्ध में बोलें तो अच्छा हो ।

राजकुमारी अमृत कौर : तो क्या संशोधन रखे जायेंगे ? मैं यह सोच रही थी कि यदि मैं उन का उत्तर दे दूं और उन्हें सन्तोष हो जाय तो वे संशोधन नहीं रखेंगे । मैं आप की आज्ञानुसार चलने को तैयार हूं ।

सभापति महोदय : वही ठीक होगा । संशोधन रखे जाने पर ही माननीय मंत्री उस का उत्तर दें । शायद वे रखे ही नहीं जायेंगे । इस समय उन पर बोलने का कोई लाभ नहीं ।

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे और कुछ नहीं कहना है । मेरे अपने संशोधनों को छोड़ कर जो अत्यावश्यक हैं, मैं और कोई संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर लें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर–दक्षिण) : क्या शराब बनाने और उस की बिक्री को इस विधेयक में—अब या बाद में—शामिल नहीं किया जा सकता ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि शराब औषधों में नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औषध अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ७—धारा १२ आदि का संशोधन

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३ में उप-धारा (२) के

बाद एक नई उप-धारा जोड़ दी जाय जिस में यह उपबन्ध हो कि इस धारा के अधीन बनाये गये नियम संसद् के दोनों सदनों के सामने ३० दिन तक रखे रहें और उस काल संसद द्वारा किये गये रूपभेदों के बाद लागू हों ।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान अधीनस्थ विधान समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कहा गया था कि जिन अधिनियमों में नियम आदि बनाने का उपबन्ध हो उन में यह उपबन्ध भी होना चाहिए कि ये नियम ३० दिन तक संसद् के दोनों सदनों के सामने रखे जायेंगे और सदनों द्वारा किये जाने वाले रूपभेदों के अधीन ही लागू हो सकेंगे । इस समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में कहा है कि इस विधेयक को समिति के पहले प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों के अनुकूल नहीं बनाया गया और अब उस में तदनुसार संशोधन किये जाने चाहिएं ।

मैं इस संशोधन द्वारा इस समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित कराना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

राजकुमारी अमृत कौर : जस समिति के सभापति यही हैं । मैं उन से कहूंगी कि इस का उत्तर दें परन्तु मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगी ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : सभा की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि अधीनस्थ विधान समिति ने जो प्रतिवेदन दिये थे, सरकार उस पर विचार कर रही है क्योंकि उन से कुछ मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध है । सम्भवतः सदस्यों को मालूम है कि इंगलैण्ड में १९४६ या १९४८ में एक संविधान प्रलेख्य अधिनियम पास किया गया था जिस के अधीन विभिन्न अधिनियमों में नियम बनाने की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उपबन्ध किया गया है और सारे अधिनियमों के लिए एक सी ही कोई चीज़ नहीं हो सकती । कई बार ऐसा उपबन्ध होता है—कई अधिनियमों में यह उपबन्ध है—कि नियम पटल पर रखे जाने के बाद ही लागू होंगे । कुछ अन्य मामले भी हैं जिन में कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में पटल पर रखे जाने से पहले ही नियम बन सकते हैं । तो यह तो विभिन्न अधिनियमों पर निर्भर है कि इस सभा द्वारा सरकार को दी गयी शक्ति के सम्बन्ध में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा । इस समय तो मैं यही कह सकता हूं कि कुछ दिन हुए यह प्रश्न पूछा गया था कि अधीनस्थ विधान समिति के दूसरे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है । यह जानकारी विभिन्न मंत्रालयों से इकट्ठी की जा रही है और हम इस सम्बन्ध में यथासम्भव कार्यवाही कर रहे हैं कि इस समिति की सिफ़ारिशों के मंतव्य को पूरा करने के लिये कौन सा ढंग निकाला जाय ।

जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, मेरे विचार में ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता नहीं कि नियम पटल पर रखे जाने के बाद ही लागू हों और न ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह आवश्यक है कि सभा को इन नियमों को रद्द करने की शक्ति दी जाय । मेरा विचार है कि अभी तो प्रभारी मंत्री यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम सदा की भांति पटल पर रखे जायेंगे और मेरा विचार है कि जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, सभा इस आश्वासन से सन्तुष्ट होगी ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन को अब भी रखना चाहते हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड ८ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ११:—१९४० में अधिनियम २३ की धारा १२ आदि के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना ।

श्री वी० बी० गांधी : मेरा प्रस्ताव यह है कि पृष्ठ ४ पर पंक्ति ३२ में "२० दिन" के स्थान पर "१० दिन" रखा जाय । मैं यह संशोधन इस कारण रख रहा हूं कि जब भेषिज निरीक्षक किसी व्यक्ति को यह आदेश देता है कि उस के पास जो भेषिज है वह उन्हें न बेचे या किसी और को न दे तो यह तो निश्चित है कि वह किसी जानकारी के आधार पर ऐसा करता है । १० दिन के भीतर वह पता चला सकता है कि उन भेषिजों द्वारा धारा १८ का उल्लंघन होता है या नहीं ।

सभापति महोदय ने संशोधन सभा के सामने रखा ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं इस का उत्तर यही दूंगी कि माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि कई बार वह प्रयोगशाला दूरी पर होती है जिस को भेषिज परीक्षण के लिये भेजा जाता है । इसी कारण मैं ने राज्य सभा से कहा था कि यह अवधि १० दिन से बढ़ा कर ३० दिन कर दी जाय परन्तु फिर भी मैं ने २० दिन की अवधि स्वीकार कर ली । मेरा विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा उस को देखते हुए १० दिन का समय काफी नहीं है, इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती ।

श्री बी० बी० गांधी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

श्री बी० बी० गांधी : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ४ में पंक्ति ३४ के बाद यह परन्तुक जोड़ दिया जाय कि निरीक्षक ज़िला दण्डाधीश या मुख्य प्रेसीडेन्सी दण्डाधीश को सारी बातें बता कर उस से प्राधिकार प्राप्त किये बिना कार्यवाही नहीं करेगा ।

ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक है जिस से कि भेषिज निरीक्षक जल्दी में कोई कार्यवाही न कर बैठे और यह उपबन्ध शायद इस कारण विधेयक में नहीं रखा जा सका कि ऐसा करने से देरी होगी । यह तो ठीक है कि ऐसा करने से देरी हुआ करेगी परन्तु मेरा विचार है कि इतनी अधिक शक्तियों का प्रयोग बुरे ढंग से न हो इस के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार ऐसा ढंग ढूंढ़ निकालेंगे जिस से इस के साथ ही देर भी न हुआ करे ।

सभापति महोदय ने संशोधन सभा के सामने रखा ।

राजकुमारी अमृत कौर : माननीय सदस्य के संशोधन का उद्देश्य उस परन्तुक को फिर अधिनियम में रखना है जिसे इस विधेयक द्वारा हटाया जा रहा है जिस से कि भेषज निरीक्षक ठीक तरह प्रभावपूर्ण कार्यवाही कर सके । अभिप्राय यह है कि इस प्रक्रम में दण्डाधिकारियों का हस्तक्षेप न हो और तलाशी तथा भेषजों का ज़ब्त किया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता में दी गयी प्रक्रिया के

अनुसार हो सके । विधेयक में प्रस्तावित नई धारा २२(२) में यही बात है । यह प्रश्न राज्य सभा में भी उठाया गया था और वहां मैं ने कहा था कि मूल अधिनियम की धारा २५ में जो परिमाण उपबन्ध हैं, उन को देखते हुए यह परन्तुक बेकार है और सच तो यह है कि इस से सम्भवतया इस अधिनियम की कार्यान्विति में कठिनाई पड़ेगी ।

इसलिए माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे इस संशोधन को वापस ले लें ।

श्री वी० बी० गांधी : यह जो स्पष्टीकरण किया गया है, इस को देखते हुए मैं संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ —धारा २७ आदि का संशोधन

श्री वी० बी० गांधी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ४ पंक्ति ४९ में "तीन वर्ष" के स्थान में "दो वर्ष" रखा जाय ।

इस खण्ड १२ में यह उपबन्ध किया गया है कि दण्डाधिकारी ऐसे अपराध के स्वरूप और उस के लिये दिये गये दण्ड का प्रचार करे । सम्भव है कि प्रचार से ऐसे अपराध करने वाले रुक जायें परन्तु हम जानते हैं कि ऐसे दण्डाधिकारी भी हैं जो सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि यह निश्चित कर दिया जाय कि अपराधी व्यक्ति को जो खर्च करने के लिये कहा जायगा उस की सीमा क्या होगी । बड़े शहरों में समाचारपत्रों के विज्ञापन दर बहुत होते हैं और सम्भव है कि दण्डाधिकारी अधिक स्थान ले तो ५००) या ६००) का खर्च उठ सकता है । इसलिए मैं ने २५०) की जिस सीमा का सुझाव दिया है वहीं रखी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय ने संशोधन सभा के सामने रखा ।

राजकुमारी अमृत कौर : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था पिछले कुछ वर्षों में नकली औषधियों का बनाया जाना और बिक्री बढ़ गई है और राज्य सरकारें और दूसरे यह मांग करते रहे हैं कि इस अधिनियम में जिन दण्डों का उपबन्ध किया गया है, उन्हें बढ़ा दिया जाय । मेरा विचार है कि दण्ड को ३ वर्ष से घटा कर दो वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है । धारा २७ के अधीन दिये जाने वाले दण्ड में वृद्धि करने के प्रस्ताव से—अर्थात् कारावास का दण्ड ३ वर्ष कर देने से—इस धारा के अधीन आने वाले अपराध हस्तक्षेप अपराध बन जायेंगे और यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की संगत धारा के अर्थ के अधीन होना चाहिए । माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार होने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती ।

मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यह आवश्यक नहीं कि इस धारा के अधीन दण्ड बढ़ा देने का यह परिणाम हो कि इस विधि को भंग करने वालों को बहुत कष्ट और कठिनाई होगी परन्तु हमें ऐसा समाजविरोधी काम करने वालों को रोकने के लिये यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री वी० बी० गांधी : मैं एक स्पष्टीकरण करूं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने स्पष्टीकरण कर ही दिया है । अब माननीय सदस्य यह बतायें कि मैं उन का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूं या नहीं ।

श्री वी० बी० गांधी : अनजाने में मैं खण्ड १६ में अपने प्रस्तावित संशोधन पर बोल गया हूं। मैं माननीय मंत्री का स्पष्टीकरण स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : अच्छी बात है, इस से हमारा इस खण्ड का समय बच गया ।

श्री वी० बी० गांधी : मुझे उन का स्पष्टीकरण स्वीकार है और मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १६---(धारा ३४ के स्थान पर नये अध्याय का रखा जाना आदि)

श्री वी० बी० गांधी ने अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किया ।

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है । इस के कारण मैं पहले बता चुकी हूं ।

श्री वी० बी० गांधी : मैं सभा से इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १---(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1954" "[१९५४]" के स्थान पर "1955" ["१९५५"] रखा जाये ।

---[राजकुमारी अमृत कौर]

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया : अधिनियम सूत्र में "Fifth year" ["पांचवां वर्ष"] के स्थान पर "Sixth year" ["छठा वर्ष"] रखा जाये ।

---[राजकुमारी अमृत कौर]

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री कास्लीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं । इस की आज सभा में बहुत कम आलोचना हुई है । श्री गिडवानी की इस आलोचना का कि राज्य को औषधियों का व्यापार करना चाहिये, माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है । उन का यह सुझाव क्रियान्वित करने के सर्वथा अयोग्य है ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य औषधि अधिनियम के उपबन्धों को कठोर बनाना है

और इसलिये यह विधेयक बहुत अच्छा है। आप को स्मरण होगा कि औषधियों में इस प्रकार की धोखेबाजी बहुत बढ़ रही है। मुझे स्मरण है कि गत वर्ष कलकत्ते में एक ऐसे कारखाने का पता लगा था जो चाक की टिकिया बना कर उसे सल्फाडायाज़ीन, अनासिन और एस्प्रो की गोलियों के नाम से बेचते थे। अतः मेरे विचार में सभा को इस विधेयक के उपबन्ध स्वीकार कर लेने चाहियें। औषधि अधिनियम में नये समवायों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है वे विशेष रूप से सराहनीय है। इन्हीं समवायों ने औषधियों में अधिक धोखेबाजी की है। समवायों तथा संचालकों की परिभाषा भी बहुत ठीक है। इन में अब सार्थ और उन के साझीदार समवाय और संचालक में सार्थ के साझीदार भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। समवायों द्वारा किये गये अपराधों और उन्हें दिये गये दण्डों को उन के खर्च पर प्रकाशित करने के उपबन्ध का भी मैं स्वागत करता हूं।

सरदार ए० एस० सहगल : युद्ध के दिनों में यह अधिनियम लागू नहीं हो सका, क्योंकि १९४४ तक अधिनियम के अधीन नियम प्रकाशित नहीं हो सके। महायुद्ध के संकटकाल में औषधि उद्योग तेजी से बढ़ा। किन्तु यह वृद्धि सामान्य न होने के कारण इस में बहुत ही गड़बड़ी हो गई और बहुत सी नकली और हानिकारक औषधियां बनने लग गईं। इस अधिनियम में इस सब की रोकथाम की व्यवस्था की गई है और नियमोल्लंघन करने वालों के लिये पर्याप्त कठोर दण्ड का उपबन्ध किया गया है।

इस विधेयक के उपबन्धों से लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस से हम देश में बनने वाली नकली औषधियों पर नियन्त्रण कर सकेंगे और अधिक अच्छी औषधियां तैयार कर सकेंगे जिन्हें हम बाहर भेज सकेंगे। यह बात बहुत उत्साहवर्द्धक है कि प्रस्तावित विधेयक का सभी राज्य सरकारों ने एकमत से स्वागत किया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि दन्तचिकित्सक अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखते हुए मुझे इस के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। सभा को विदित है कि यह दन्तचिकित्सक अधिनियम २९ मार्च, १९४८ से तत्कालीन सभी प्रान्तों में लागू हुआ था, जो कि अब संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग क, भाग ग तथा भाग घ में सम्मिलित किये हुए हैं। भाग ख राज्य इस से सर्वथा मुक्त हैं और इस कारण इन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो भाग क, ग और घ राज्यों में व्यवसाय करने के लिये अनर्ह होंगे वे भाग ख राज्यों में भी जा सकते हैं। इस का अवश्य उपचार किया जाना चाहिये।

गत छै या इस से अधिक वर्षों में दन्त-चिकित्सक अधिनियम के लागू होने से यह अनुभव किया गया है कि इस के कुछ उपबन्ध सरकार के वास्तविक अभिप्राय से मेल नहीं खाते और इस के अतिरिक्त इस अधिनियम को कठोरता से लागू करने से इस कारण कुछ कठिनाई हुई है, क्योंकि हम ने उन्हें ऐसी अर्हतायें प्राप्त करने के लिये कहा था जिस से उन्हें पंजीबद्ध किया जा सके, परन्तु क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं अतः वे

[राजकुमारी अमृत कौर]

एसा नहीं कर सके । अतः हमारा यह विचार है कि यह अवधि बढा दी जाय । अतएव भाग क राज्यों की सरकारों, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक तथा भारत की दन्तचिकित्सा परिषद् से कुछ एक सुझाव प्राप्त हुए हैं कि दन्तचिकित्सक अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया जाय ।

प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई विवाद की बात नहीं है और उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह बिल्कुल स्पष्टतया दिया हुआ है कि ये संशोधन क्यों आवश्यक हैं । क्योंकि मुझे नियमों को सभा पटल पर रखने के लिये एक संशोधन के अतिरिक्त और कोई संशोधन नहीं प्राप्त हुआ है अतः मैं समझती हूं कि सभा मुझ से पूर्णतया सहमत है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दन्तचिकित्सक अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1954" ["१९५४"] के स्थान पर "1955" ["१९५५"] रखा जाय ।

—[राजकुमारी अमृत कौर]

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया : अधिनियम सूत्र में "Fifth year" ["पांचवां वर्ष"] के स्थान पर "Sixth year" ["छठा वर्ष"] रखा जाय ।

—[राजकुमारी अमृत कौर]

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिये गये ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं* प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनयम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनुसार लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. ११२, दिनांक ८ जनवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से चाय पर निर्यात-शुल्क ७ आने से बढ़ा कर १० आने प्रति पौंड कर दिया गया था ।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस सभा ने गत सत्र में.....

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इन सब संकल्पों को इकट्ठा करके इन पर एक साथ चर्चा करने के लिये दो घंटे दिये हैं। यदि माननीय मंत्री को असुविधा न हो तो वह इन चारों संकल्पों को एक साथ प्रस्तुत कर दें ता कि सभी पर चर्चा की जा सके।

श्री करमरकर : पहले इसे समाप्त कर लिया जाये और बाद में शेष को एक साथ ले कर समाप्त कर लिया जाये।

सभापति महोदय : हां।

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस सभा ने गत सत्र में चाय पर २ अक्तूबर, १९५४ से निर्यात शुल्क चार आने से बढ़ा कर सात आने प्रति पौण्ड कर देने के संकल्प का अनुमोदन किया था। उस समय मैं ने माननीय सदस्यों को यह सूचना दी थी कि यद्यपि चाय के तत्कालीन प्रचलित मूल्य स्तर के अनुसार शुल्क में अधिक वृद्धि न्यायसंगत है, किन्तु सरकार ने इसे धीरे धीरे अधिक लम्बे समय में करने का निश्चय किया है और उस समय शुल्क में केवल थोड़ी सी वृद्धि की, ताकि शुल्क का वह स्तर काफी समय तक रहे और हमारे निर्यात को क्षति न पहुंचे। इस के साथ ही सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जिस में मूल्य में अधिक घटा-बढ़ी के अनुसार स्वयमेव समायोजन हो जायें। इस व्यवस्था का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और वित्त मंत्री प्रशुल्क विधेयक में इसे पुरःस्थापित कर देंगे। इस व्यवस्था के अधीन मूल्य चढ़ने के समय सरकार लाभ प्राप्त कर सकेगी और मूल्यों के एकदम गिरने के समय उद्योग को स्वयम उसका लाभ प्राप्त होसकेगा। इस व्यवस्था में विशिष्ट शुल्क के लाभ तो रहेंगे, किन्तु मूल्यानुपातेन शुल्क की प्रशासनात्मक कठिनाइयां नहीं रहेंगी।

यह विचार किया गया कि इस व्यवस्था के लागू होने तक शुल्क की दर इतनी बढ़ा दी जाये कि वह प्रचलित मूल्य के उपयुक्त हो। अतः सरकार ने ८ जनवरी, १९५५ को एक अधिसूचना निकाली जिस के अनुसार चाय का निर्यात शुल्क सात आने से बढ़ा कर दस आने प्रति पौंड कर दिया गया। चाय के वर्तमान भाव की तुलना में यह शुल्क थोड़ा है। प्रसंगवश, मैं यह बता दूं कि श्री लंका ने जनवरी, १९५५ में चाय पर शुल्क १०० सेंट, अर्थात् १ रुपया प्रति पौंड से बढ़ा कर १३० सेंट अर्थात् १ रु० ४ आने ९ पा० प्रति पौंड कर दिया है।

मैं सभा के माननीय सदस्यों से इस संकल्प को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करता हूं।

सभापति महोदय : इस पर कोई माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं। अतः मैं इसे सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनुसार लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२, दिनांक ८ जनवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से चाय पर निर्यात शुल्क ७ आने से बढ़ा कर १० आने प्रति पौंड कर दिया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे तथा डीकार्टीकेटेड बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं *प्रस्ताव करता हूं :

(१) "भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनुसार, लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. ११३ दिनांक ९ जनवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से मूंगफली पर निर्यात शुल्क प्रति टन (२२४० पौंड) १५० रुपये से बढ़ा कर ३०० पये कर दिया गया था।"

(२) "भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनुसार लोक-सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. ३३२, दिनांक ५ फरवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से मूंगफली की खली पर निर्यात शुल्क २३० रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से और मूंगफली की खली के चूरे पर (जिस में १/२ प्रतिशत से कम तेल होता है) निर्यात शुल्क १७५ रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से लगाया गया था।"

(३) "भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ के ३२) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनसार लोक सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. ३८६, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिस के द्वारा—

(क) डीकार्टीकेटेड बिनौले की खली पर निर्यात शुल्क १०० रुपये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से और मूंगफली, खोपरा, महुआ, तम्बाकू के बीज, नीम के बीज तथा डीकार्टीकेटेड बिनौले की खली को छोड़ कर सभी खलियों पर निर्यात शुल्क ५० पये प्रति टन (२२४० पौंड) के हिसाब से, और

(ख) मूंगफली की खली के चूरे पर (जिस में १/२ प्रतिशत से कम तेल होता है) लगाया गया निर्यात शुल्क मूंगफली की खली के चूरे पर (जिस में १ प्रतिशत से कम तेल होता है) भारत के गजट में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लगाया गया था।"

मैं आरम्भ में यह बताना चाहूंगा कि सामान्यतया हमारे निर्यात के अभ्यंश का आय-व्ययक कैसे बनाया जाता है और निर्यात शुल्क कैसे निश्चित किये जाते हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, बहुत से पदार्थों के सम्बन्ध में हमारे निश्चयों पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का बन्धन लगा हुआ है। पदार्थों के मूल्य विदेशी बाजारों में कई बार घटते बढ़ते हैं और हमें विश्व की परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्यातों को अधिक या कम करना पड़ता है। आन्तरिक मांग और सम्भरण का भी निर्यात की राशि पर प्रभाव पड़ता है। मांग के एक जैसा रहने पर भी उत्पादन में कमी के कारण सम्भरण का घटना-बढ़ना अनिवार्य है।

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तावित।

मूंगफली की खली के चूरे तथा डीकार्टीकेटेड बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प

निर्यात कर लगाने में या उस के बढ़ाने घटाने में मुख्य विचार इस बात का किया जाता है कि यदि देश के अन्दर के मूल्यों और विदेशों के मूल्यों में अन्तर बहुत अधिक हो तो उस का लाभ राज्य को मिले। पहले प्रस्ताव के द्वारा हम चाहते हैं कि यह सभा सरकार के उस आदेश का समर्थन करे जिस के द्वारा मूंगफली का निर्यात शुल्क प्रति २,२४० पौंड के टन पर १५० रुपये से बढ़ा कर ३०० रुपये कर दिया गया है। दूसरे प्रस्ताव के द्वारा हम ने मूंगफली की खली पर प्रति टन २३० रुपये का और तेल निकाली हुई मूंगफली के चूरे पर १७५ रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया था। तीसरे प्रस्ताव में आप देखेंगे कि इस का पहला भाग खली की किस्म की विभिन्नता के बारे में है। इस प्रस्ताव के पहले भाग के द्वारा हम ने तेल निकाली हुई मूंगफली के एक विशेष प्रकार के चूरे पर १७५, रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया है। उस में तेल की मात्रा १/२ प्रतिशत से कम होती है। तीसरे प्रस्ताव के दूसरे भाग के द्वारा हम ने यही बात एक प्रतिशत से कम तेल वाली तेल निकाली मूंगफली के चूरे पर लागू कर दी है। तीसरे प्रस्ताव के तीसरे भाग के द्वारा हम ने यह किया है कि प्रति २,२४० पौंड छिले हुए बिनौले की खली पर १०० रुपये का निर्यात शुल्क तथा अन्य खलियों पर ५० रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगा दिया है। यहां उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन बातों का विचार किया जाता है उन्हीं के आधार पर ऐसा किया गया है।

सभा को निस्सन्देह याद होगा कि मूंगफली तथा मूंगफली के तेल से सम्बन्धित हमारी निर्यात नीति समय समय पर बदलती रही है। २८ नवम्बर, १९५४ से ले कर अब तक हम ने मूंगफली के तेल और मूंगफली के निर्यात के जो अभ्यंश निर्धारित किये हैं उन के अनुसार तेल की दृष्टि से ८४,००० टन का निर्यात किया गया है। साधारणतयः एक वर्ष की अधिकतम मात्रा जो हम ने निर्धारित की है वह ८०,००० टन है। यह निश्चय १९५० में किया गया था। परन्तु जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं प्रति वर्ष के निर्यात की मात्रा का निश्चय देश की आवश्यकताओं, मूल्यों इत्यादि का अवलोकन कर के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है। उदाहरण के लिये १९५२–५३ में निर्यात के लिये ६०,००० टन का अभ्यंश निर्धारित किया गया था। उस के बाद फिर जांच की गई और चूंकि बाजार की स्थिति बहुत कमी की थी इसलिये जून १९५३ के आरम्भ में अग्रेतर सौदे रोक दिये गये और अगस्त तक जहाजों द्वारा तेल का भेजा जाना भी बन्द कर दिया गया। उस के बाद फिर १९५५ की फ़सल के अच्छे होने की आशा में मूल्य गिरने लगे और ११२० रुपये तथा ११५० रुपये के भीतर चढ़ते उतरते रहे। इसलिये अगस्त और अक्तूबर १९५४ में पुरानी फसल में से १५,००० और १४,००० टन के अभ्यंश फिर निर्यात के लिये करार किये गये। नई फ़सल के अनुमान का पता लगते ही ७६,००० टन का नियतन और किया गया। देश में भाव १००० और ११२० रुपये प्रति टन था जब कि विदेशों में मूंगफली का भाव १८०० रुपये प्रति टन था। उस समय यह भी सोचा गया कि निर्यात से बाजार में चहल पहल तो आ जायेगी परन्तु कहीं ऐसा न हो कि अधिक निर्यात शुल्क लगाने के कारण भाव बहुत अधिक बढ़ जायें। जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है २९ जुलाई, १९५४ को मूंगफली पर ३५० रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया गया था। चूंकि देश के भाव में मद्रास में १३२ रुपये प्रति टन की कमी हो गई इसलिये २ सितम्बर, १९५४ को निर्यात शुल्क ३५०

[श्री करमरकर[

रुपये से घटा कर २२५ रुपये कर दिया गया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

चूंकि अब ४.३० म० प० हो चुके हैं इसलिये सभा अब स्थगित होगी और ५ म. प. पर पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात लोक-सभा पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा पांच बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

१९५५-५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): महोदय, मैं भारत सरकार की १९५५–५६ की अनुमित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

इस वर्ष, पहली बार, माननीय सदस्य देखेंगे कि बजट सम्बन्धी कागज-पत्रों के साथ-साथ बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण और व्याख्यात्मक ज्ञापन के हिन्दी संस्करण प्रचारित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन इस समारम्भ का स्वागत करेगा। बजट सम्बन्धी कागज-पत्रों में बहुसंख्यक नितान्त पारिभाषिक शब्द हैं, जिन के लिए उपयुक्त पर्याय गढ़ने और उन्हें प्रामाणिक बनाने का कार्य अभी शेष है। इस प्रथम प्रयास में अपूर्णता अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस अपूर्णता की ओर ध्यान न देंगे।

१९५४ में आर्थिक स्थिति साधारणतः सन्तोषजनक रही। कुल मिला कर देश में वर्षा समय पर और पर्याप्त हुई। हां, देश के कुछ भागों में बाढ़ के कारण व्यापक क्षति हुई। जलवायु सम्बन्धी किसी अन्य संकट का सामना नहीं करना पड़ा। सामान्यतः फसल अच्छी रही और १९५३ में अर्थ-व्यवस्था में जो स्थिरता आयी थी वह बनी रही।

वर्ष के अधिकांश भाग में वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्ति गिराव की ओर रही। थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक, जो दिसम्बर, १९५३ के अन्त में ३९२.६ था, थोड़ा बढ़ कर अप्रैल, १९५४ के मध्य में ४०४·२ हो गया। इस के बाद मूल्यों में तेजी से गिरावट आयी और जून के अन्त तक सूचक अंक ३७८·४ हो गया। सितम्बर के अन्त तक सूचक अंक में साधारण सी वृद्धि हुई और उस के बाद खरीफ फसल कटने पर फिर गिरावट आयी और जनवरी, १९५५ के अन्त में सूचक अंक ३६० रह गया।

हाल में मूल्यों में कमी अधिकांशतः अन्न, तेलहन जैसे कुछ कच्चे माल तथा काली मिर्च जैसी कुछ विधि वस्तुओं के मूल्य गिरने के कारण हुई है। दिसम्बर, १९५३ की तुलना में दिसम्बर, १९५४ में चावल का मूल्य लगभग १२ प्रतिशत और गेहूं का मूल्य लगभग १६ प्रतिशत कम रहा। वास्तव में १९५४ की पहली छमाही में गेहूं के मूल्य ३० प्रतिशत तक कम हो गये, और गेहूं उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने १० रुपये प्रतिमन के भाव पर स्वयं गेहूं खरीदने की अपनी नीति की घोषणा की। मोटे अनाज के मूल्य भी हाल के महीनों में तेजी से गिरे हैं और भारत सरकार ने सहायता पहुचाने के उद्देश्य से इस निर्णय की घोषणा की है कि वह किसानों से ५ रुपये ८ आने प्रतिमन के मूल्य पर ज्वार और मक्का और ६ पये प्रति मन के भाव पर बाजरा, ऐसे प्रदेशों की कुछ निश्चित मंडियों में खरीदने को तैयार है, जहां मूल्य इस से नीचे चले गये हैं, सब मिला कर इन उपायों का प्रभाव उत्साहवर्द्धक रहा।

थोक मूल्यों में कमी कुछ सीमा तक विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के

रहन-सहन के खर्च में दिखायी पड़ी है। श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के व्यय का अखिल भारतीय सूचक अंक जनवरी और दिसम्बर, १९५४ के बीच लगभग ७ प्रतिशत घट गया। जुलाई-अगस्त, १९५३ में सूचक अंक सब से ऊंचा, अर्थात् १११ तक पहुंच गया था। इस की तुलना में दिसम्बर, १९५४ में यह ९७ रह गया, जो लगभग १३ प्रतिशत कमी का द्योतक है। कई केन्द्रों में, विशेषत: देश के पूर्वी भागों में, इस से भी अधिक कमी हुई। मैं यह बता देना चाहता हूं कि रहन-सहन के व्यय के वर्तमान सूचक अंकों में से अधिकांश अंक युद्ध से पहले के स्तरों या १९४४ के स्तरों पर आधारित हैं। इन सूचक अंकों को अपेक्षाकृत हाल के किसी आधार पर लाने और उपलब्ध सूचक अंकों में सुधार करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

वर्तमान समाप्तप्राय वर्ष में देश में कृषिजन्य पदार्थों की उपज सामान्यत: सन्तोषजनक रही। १९५३–५४ में, समय पर अच्छी वर्षा होने से कृषिजन्य पदार्थों की उपज में उल्लेखनीय सुधार हुआ और १९५०–५१ की तुलना में उपज १८ प्रतिशत अधिक रही। १९५३–५४ में ६ करोड़ ६० लाख टन अन्न पैदा हुआ, जो पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य से लगभग ४४ लाख टन अधिक है; तेलहन की उपज ५६ लाख टन रही, जो पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य से लगभग १ लाख टन अधिक है। कपास की उपज ३९ लाख गांठ रही और पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य के अत्यन्त निकट पहुंच गयी। दूसरी ओर, हाल के वर्षों में जूट के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के साथ साथ जूट की उपज में भी भारी उतार-चढ़ाव रहा; १९५०–५१ के आंकड़ों की तुलना में अब यह लगभग ४.५ प्रतिशत कम है। कृषि पदार्थों की उपज में कुछ वृद्धि तो पिछले दो वर्षों में मौसम अनुकूल रहने के कारण हुई है, किन्तु अधिकांश वृद्धि, जो उपज में स्थायी वृद्धि मानी जानी चाहिए, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार, रासायनिक खादों के अधिक उपयोग तथा अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग और कृषि की उन्नत प्रणालियों जैसे विभिन्न उपायों से हुई है, जिन से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है।

अन्न के उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप सरकार अन्न के यातायात और वितरण पर नियंत्रणों को और भी नरम करने में समर्थ हुई। जुलाई १९५४ में चावल पर से प्रतिबन्ध उठा लिये जाने से अन्न के वितरण पर नियंत्रण लगभग बिलकुल ही समाप्त हो गए हैं। केवल गेहूं के अन्तःक्षेत्रीय यातायात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं, जो सरकार के पास भंडार का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए बने रहने दिये गये हैं।

१९५४ के अन्त में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास १५ लाख टन से अधिक अन्न का अच्छा भंडार था। देश में अन्न की उपज में वृद्धि होने से १९५४ में केवल लगभग ८ लाख टन अन्न का ही आयात किया गया, जब कि १९५१ में ४७ लाख टन, १९५२ में ३९ लाख टन और १९५३ में २० लाख टन का आयात किया गया था। अब अन्न का और आयात, जिस की मात्रा अधिक नहीं होगी, अपने सुरक्षित (रिजर्व) भण्डारों में वृद्धि करने के प्रयोजन से ही किया जायेगा। वास्तव में अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिस में हम अपनी पुरानी विदेशी मंडियों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने के लिए उन में एक सीमित मात्रा में बढ़िया किस्म का चावल भेज सकते हैं।

इस वर्ष बहुत से उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। कपड़े का उत्पादन, जो १९५३ में ४ अरब ९० करोड़ गज था, १९५४ में बढ़ कर ५ अरब गज हो गया। सूत के उत्पादन

[श्री सी० डी० देशमुख]

में भी इस वर्ष वृद्धि हुई । हथकरघा उद्योग में वर्ष के पहले दस महीनों में ७८,००० गांठ की खपत हुई, जब कि १९५३ के सारे वर्ष में ७३,००० गांठ की हुई थी । हथकरघा उद्योग को अधिक ऋण और अन्य प्रकार की सहायता मिलने से करघे के कपड़े के उत्पादन में, जो पिछले वर्ष १ अरब ३० करोड़ गज़ था, १० करोड़ गज़ की वृद्धि हुई । सीमेंट का उत्पादन १९५३ में ३७ लाख ८० हजार टन था, जो १९५४ में बढ़ कर ४३ लाख ६० हजार टन हो गया । जूट का उत्पादन १९५३ की अपेक्षा ५०,००० टन अधिक रहा । जूट उद्योग के ९५ प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य, जिन्हें काम के घण्टे पहले घटाने पड़े थे, जुलाई, १९५४ से सप्ताह में काम के घण्टों की संख्या ४२½ से बढ़ा कर ४५ करने और अक्तूबर, १९५४ से ४८ करने में समर्थ हुए । १९५४ में तैयार इस्पात का उत्पादन, पिछले सब वर्षों के उत्पादन से अधिक रहा । १९५४ में तैयार (फिनिश्ड) इस्पात का उत्पादन १२ लाख ३० हजार टन, अर्थात् १९५३ के उत्पादन से लगभग २ लाख टन अधिक रहा । १९५३ की अपेक्षा १९५४ में लगभग १० लाख टन अधिक कोयला निकाला गया । महत्वपूर्ण उद्योगों में से केवल एक उद्योग, अर्थात् चीनी उद्योग में उत्पादन घट गया । मौसम की प्रतिकूल स्थितियों तथा अन्य विशेष कारणों से इस उद्योग में, उत्पादन में लगभग २ लाख टन की कमी हुई ।

औद्योगिक विकास की प्रगति भी उत्साह-वर्द्धक रही । इस वर्ष नये कारखानों की स्थापना के लिए ११० लाइसेंस और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए २२६ लाइसेंस दिये गये । देश में कई ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किये गये जिन का देश में निर्माण नहीं होता था, जैसे आल गियर हेड लेथ १२½", मोटराइज्ड बेंच ग्राइन्डर, रोलर बेयरिंग, बड़े आकार के पम्प, फ्यूएल इंजेक्शन का साज़-सामान, रटेपल फाइबर और क्लोरोमाइसिटीन । औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लाने में सहायता देने के उद्देश्य से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कार्य किये गये । पहला यह कि सरकार के स्वामित्व में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन) की स्थापना की गयी । इस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों का मिलजुल कर विकास हो सके । यह निगम उद्योगों के लिए पूंजी की व्यवस्था उसी सीमा तक करेगा जहां तक ऐसा करना औद्योगिक विकास के लिए प्रासंगिक होगा, अन्यथा नहीं । दूसरा कार्य यह हुआ कि सरकार के सहयोग और सहायता तथा पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सद्भाव से ५ करोड़ रुपये की पूंजी से भारत में औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन) की स्थापना की गयी । यह निगम एक गैर-सरकारी प्रतिष्ठान है और इसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों ने पूंजी लगायी है । यह निगम, जिसे सरकार ७½ करोड़ रुपये का अब्याजक ऋण और पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक १ करोड़ डालर का ऋण देगा, गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विकास में सहायता देगा ।

पिछले वर्ष भी छोटे पैमाने के तथा घरेलू उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया । फोर्ड निधि द्वारा पोषित विशेषज्ञों के एक दल की सिफारिशों पर छोटे उद्योगों के लिए भारत सरकार ने चार प्रादेशिक शिल्पिक-शालाएं, विपणन सेवा निगम (मार्केटिंग सर्विस कारपोरेशन) और छोटे उद्योग

के सम्बन्ध में एक निगम स्थापित किया है, जिस से विभिन्न दिशाओं में छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता मिलेगी। इन शालाओं की कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करने तथा विकास सम्बन्धी एक कार्य-क्रम को क्रियान्वित करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों तथा हस्तशिल्पों के विकास के लिए सुव्यवस्थित रूप में सहायता दी गयी।

सरकारी कारखानों के लिए भी यह वर्ष सन्तोषजनक रहा। सिंदरी रासायनिक खाद कारखाने में उत्पादन लगभग निर्धारित उत्पादन शक्ति तक पहुंच गया है। चित्तरंजन और इंडियन टेलीफोन्स जैसे अन्य कारखानों में भी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हाल ही में हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी का उद्घाटन किया गया है, मशीन टूल फैक्टरी में थोड़ा सा उत्पादन होने लगा है और पेनिसिलीन और डी० डी० टी० फैक्टरियों में जल्दी ही उत्पादन शुरू होने वाला है। रूरकेला में इस्पात का नया कारखाना बनाने का प्रारम्भिक कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और जैसा कि सदन को विदित है इस्पात का एक अतिरिक्त कारखाना स्थापित करने के बारे में, जिस में ७५०,००० टन तैयार इस्पात का उत्पादन हो सकेगा, रूस के साथ कुछ ही दिन पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। स्पात और रासायनिक खाद तैयार करने के और अधिक कारखाने खोलने के प्रस्ताव और बिजली की भारी मशीनें तथा कोयले से कृत्रिम तेल बनाने की योजनाएं विचाराधीन हैं।

यद्यपि उत्पादन के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई और उत्पादन में वृद्धि से कुछ सीमा तक अधिक लोगों को काम-काज मिला, फिर भी नियोजन-स्थिति अब भी कुछ चिन्ता का विषय बनी हुई है। अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह समस्या कितनी बड़ी है। कम उन्नत देशों में बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगार की परिभाषा और माप विशेष समस्याएं उपस्थित करती हैं। इन पर हमारे विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि बेरोजगारी के परिमाण, प्रकोप और कारणों के सम्बन्ध में अधिकाधिक सूचना मिलती रहेगी। नियोजन केन्द्रों में रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, जो दिसम्बर, १९५३ में लगभग ५,२२,००० थी, लगातार बढ़ते हुए नवम्बर, १९५४ में ५,८१,००० तक पहुंच गयी। यह वृद्धि आंशिक रूप में जनसंख्या की वृद्धि की द्योतक है लेकिन यह भी बेरोजगारी का केवल अधूरा चित्र ही प्रस्तुत करती है विभिन्न सर्वेक्षणों और जांच-पड़ताल से जो तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं उन के संकलन में कुछ समय लगेगा। एक विशाल देश में, जिस की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है, सभी लोगों को काम-काज दिलाने की समस्या को शीघ्रता और सुगमता से हल नहीं किया जा सकता। नगर और ग्राम्य क्षेत्रों में शीघ्रता से अधिक से अधिक व्यापक परिमाण पर विकास कर के और उत्पादन की विविध, और जहां सम्भव हो, विकेन्द्रीकृत प्रणाली के द्वारा ही, जनता की आवश्यकता के अनुरूप नियोजन के अवसर प्राप्त किये जा सकते हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि अगली पंचवर्षीय योजना में देश के आर्थिक विकास के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

बढ़ते हुए उत्पादन और आर्थिक क्रिया-कलाप की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस वर्ष न की उपलब्धि में सारभूत वृद्धि हुई। नोट-परिचालन में ७५ करोड़ रुपये की और अनुसूचित बैंकों के अभियाचन दायित्वों (डिमाण्ड लाएबिलिटी) में लगभग ५५ करोड़

[श्री सी० डी० देशमुख]

रुपये की वृद्धि हुई । धन की अधिक उपलब्धि का प्रायः एकमात्र कारण देश में विकास कार्यों का प्रसार है; विदेशी शोधन की स्थिति न्यूनाधिक सन्तुलित रही ।

इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि पूंजी लगाने वालों में फिर से विश्वास की भावना पैदा होती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य सुधार होने से पूंजी बाजार पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है । पिछले वर्षों, विशेषकर पिछले दो वर्षों की तुलना में १९५४ में जनता ने सरकारी और गैर-सरकारी ऋणों के प्रति जो चि प्रकट की वह उत्साहवर्द्धक है । मुद्रा विषयक नीति तथा ब्याज की दरों में, केवल अल्पकालीन दरों में साधारण सी वृद्धि को छोड़ इस वर्ष और कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

१९५४ की पहली ो तिमाहियों में देश के शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ़ पेमेण्ट्स) की स्थिति से ११ करोड़ पये के अधिशे का पता चलता है । वर्ष की तीसरी तिमाही में १५ करोड़ रुपये की कमी रही । अनुमान है कि अन्तिम तिमाही में, जिस के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं ं, थोड़ा अधिशे रहेगा । इस वर्ष आयात में, विशेषकर औद्योगिक कच्चे माल के आयात में वृद्धि हुई और देश में चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण चीनी भी पहले से अि क मात्रा में मंगा ी ग ी । परिणाम यह हुआ, यद्यपि हमारा निर्यात व्यापार भी बढ़ा—जिस का मुख्य कारण विदेशों में हमारी प्रधान निर्यात वस्तु जूट और चाय की मांग का बढ़ना तथा १९५१-५२ के बाद पहली बार आयात-मूल्यों की तुलना में नि ति-मूल्यों का अच्छा होना है—फिर भी १९५४ की दूसरी छमाही में व्यापार खाते में भारी कमी रही । किन्तु सम्पूर्ण वर्ष को देखते हुए मुझे आशा है कि विदेशों के साथ हमारा लेन-देन लगभग सन्तुलित रहेगा, जब कि १९५३ में ५५ करोड़ रुपये का अधिशे था । स्थल प से इस का संकेत हमारे पौंड पावने की वृद्धि से मिलता है । इस वर्ष स में ४ करोड़ रुपये की वृद्धि ई; १ जनवरी, १९५४ को यह ७२७ करोड़ रूपये था, किन्तु ३१ दिसम्बर, १९५४ को ७३१ करोड़ रुपये ो गया ।

यद्यपि शोधन-सन्तुलन की स्थिति अभी तक सन्तोषजनक रही है, आयात में वृद्धि से, जो बढ़े हुए निवेश-व्यय के कारण आवश्यक हो जायेगी, भविष्य में शोधन की स्थिति पर काफी दबाव पड़ेगा । इसलिए नि ति में वृद्धि कर के अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता है और निर्यात को प्रोत्साहन देने की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है । समय-समय पर निर्यात-शुल्कों और यथांशों (कोटा) का समांयोजन किया जाता है जिस से कि देश अपनी निर्यात मण्डियां बना े रख सके और उन में विस्तार कर सके और साथ ही दुनिया की मण्डियों में अपनी प्रातयोगितात्मक स्थिति भी सुदृढ़ कर सके । सलिये मेंगनीज़, काली मिर्च सरसों के तेल मूंगफली के तेल अलसी के तेल, रेंडी के तेल और कपास पर से निर्यात-शुल्क या ो समाप्त कर दिये गये हैं या पटा दिय गये हैं । स वर्ष सूती कप े, रेशम और रेयन के सम्बन्ध में निर्यात- ोत्साहन परिषदें स ापित की गयीं तथा लिनोलियम और नकली रेशे आदि जैसी विदशों को निर्यात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल और मशीनी हिस्सों पर आयात-शुल्क की वापसी के लिए नियम बनाये गये हैं ।

यद्यपि १९५३ की तुलना में १९५४ में डालर क्षेत्र के साथ अधिशेष में कमी की सम्भावना है, फिर भी हमारी डालर-स्थिति

में सुधार जारी रहा । १९५४ की पहली छमाही में, डालरक्षेत्र के साथ चालू खाते में, डालर क्षेत्र से प्राप्त सरकारी सहायता को छोड़, ७ करोड़ पये का अधिशेष था, जब कि १९५३ में यह १३ करोड़ रुपये का था । यद्यपि अन्न की खरीद में कमी होने के कारण १९५४ की पहली छमाही में सरकारी आयात में, पहले वर्ष की अन्तिम छमाही के आयात की अपेक्षा ६६ प्रतिशत से अधिक की कमी हुई, परन्तु व्यापारिक आयात, विशेषकर कपास के आयात से, सरकारी आयात की कमी बराबर हो गयी । धातविक और अधातविक खनिजों के निर्यात में भी कुछ कमी हुई ।

१९५४ में, जिस के बारे में केवल प्रारम्भिक आंकड़े उपलब्ध हैं, हम ने डालर क्षेत्र में अपने दायित्वों को निभाने के लिए स्टर्लिंग क्षेत्र प्रारक्षित निधियों से १ करोड़ २० लाख डालर निकाले । १९५३ में अधिशेष १ करोड़ ५० लाख डालर था । इस का कारण यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि (इंटर्नेशनल मोनीटरी फण्ड) से अपनी मुद्रा का एक भाग फिर से खरीदने के लिए हम नें इस अवधि में उस संगठन को ४ करोड़ ७० लाख डालर विशेष रूप से दिये । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले फरवरी महीने में अपने बजट-भाषण में मैं ने सरकार की इस इच्छा की चर्चा की थी कि १९४८ में निधि से १० करोड़ डालर की जो खरीद की गयी थी, उस में से सरकार ७ करोड़ २० लाख डालर के सम मूल्य की पुनः खरीद करना चाहती है । हमें आशा है कि हम अगले महीने २ करोड़ ५० लाख डालर और चुकायेंगे, जिस से बकाया रकम लगभग २ करोड़ ८० लाख डालर रह जायगी, जिस पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा ।

भारत को अपनी विकास योजनाओं के लिये मित्र देशों से बराबर सहायता प्राप्त होती रही । चालू वर्ष में अमेरिका की सरकार ने भारत को विकास सहायता के रूप में ६ करोड़ ५ लाख डालर की स्वीकृति दी । इस में से लगभग ५० प्रतिशत सहायता का उपयोग गेहूं और कपास जैसी कृषि वस्तुओं को प्राप्त करने में किया जा रहा है । भारत सरकार ने यह मान लिया है कि इस ६ करोड़ ५ लाख डालर की रकम में से ४ करोड़ ५० लाख डालर या उस के बराबर रुपयों को उद्धार-ऋण समझा जाय । कनाडा की सरकार ने लगभग १ करोड़ ३० लाख डालर की और रकम, आस्ट्रेलिया की सरकार ने २५ लाख पौंड और न्यूजीलैंड की सरकार ने २,५०,००० पौंड की और रकम, देने को कहा है । फोर्ड निधि ने, जो विकास के एक कार्यक्रम के लिए सहायता देती रही है, ११ लाख डालर की अतिरिक्त रकम दी । कोलम्बो योजना के अधीन हम भी पड़ोसी देशों को सहायता पहुंचा रहे हैं । अगले वर्ष के बजट में कोलम्बो योजना के अधीन विदेशी सहायता के रूप में तथा मित्र देशों से कुल ७४ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है; जब कि अन्य देशों को इसी प्रकार की सहायता प्रदान करने पर हम लगभग २ करोड़ रुपया खर्च करेंगे । हमारे मित्र हमारे आर्थिक विकास के प्रति निरंतर जो सक्रिय और सहायतापूर्ण रुचि प्रकट कर रहे हैं, उस के लिए, मैं उन की सराहना करता हूं ।

चालू वर्ष में पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भारत को दो और ऋण मिले; पहला, टाटा को ट्रोम्बे में तापीय विद्युत् योजना के लिए १ करोड़ ६२ लाख डालर का ऋण, और दूसरा, हाल में स्थापित "इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया" को १ करोड़ डालर का ऋण । इन को मिला कर, बैंक द्वारा भारत को दिये गये ऋणों की

[श्री सी० डी० देशमुख]

कुल रकम १२ करोड़ ६७ लाख डालर हो गयी है । ये दोनों ऋण यद्यपि ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए हैं, फिर भी भारत सरकार ने, इन के लिए, यथापूर्व, प्रतिश्रुति (गारंटी) दी है ।

ब्रिटेन की सरकार ने स्टर्लिंग की परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में जो उपाय किये हैं, उन के विषय में भी मैं यहां कुछ चर्चा करना चाहूंगा । "यूरोपियन पेमेंट्स यूनियन" के अन्य सदस्यों पर ब्रिटेन के ऋणों में कमी कर के तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अपरिशोधित ऋणों को चुका कर स्टर्लिंग को अल्पकालीन वित्तीय देनदारियों के बोझ से हल्का कर लिया गया है । अ-निवासियों के पास के स्टर्लिंग धन के उपयोग और स्वतः अन्तरणीयता के विस्तार के द्वारा विनिमय नियंत्रण कार्यों को सरल बनाने के लिए भी अनेक उपाय किये गये हैं और कई वस्तुओं के बाजार फिर से खोल कर मुद्रा की सीमित परिवर्तनीयता की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । ये उपाय सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र के लिए लाभदायक हैं और स्टर्लिंग की बढ़ती हुई शक्ति के द्योतक हैं, जिस के लिए स्टर्लिंग-क्षेत्र के सभी देशों ने योगदान दिया है । भारत ने भी मुद्रा-विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को नरम कर दिया है और मुद्रा-विनिमय सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार करने के लिए भी कुछ उपाय किये गये हैं । हमें यह न भूलना चाहिए कि विकास कार्यक्रमों की गति तीव्र होने के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का व्यय भी तीव्रता से बढ़ेगा और हमें अपने पौंड पावने को बचाये रखने तथा निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने का कोई भी प्रयत्न उठा न रखना चाहिए । इस अवसर पर मैं सदन को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि मार्च १९५१ के अन्त से १९५४ के अन्त तक, अर्थात् योजना के लगभग चार वर्षों में, हमारे पौंड पावने में १५३ करोड़ रुपये की कमी हुई । मार्च १९५५ के अन्त तक, हमें विदेशी सहायता के रूप में लगभग ५६ करोड़ रुपये के अनुदान तथा लगभग १०० करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हो चुकेंगे । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यद्यपि शोधन-संतुलन की हमारी वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक है, किन्तु मेरे विचार से यह सोचना यथार्थ न होगा कि दीर्घकालीन दृष्टि से, विदेशी विनिमय की स्थिति निरन्तर आपेक्षिक अल्पता से पृथक् कुछ और होगी ।

संक्षेप में, १९५४ के वर्ष को युद्धोत्तर संक्रांति काल का अन्त माना जा सकता है । खाद्य-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, सामग्री की उपलब्धि की स्थिति में सुधार तथा मुद्रा-स्फीति की अवस्थाओं का अन्त युद्धकालीन दबावों तथा कठिनाइयों की समाप्ति का द्योतक है । अनियन्त्रण की दिशा में जो कार्य १९५२ में प्रारम्भ किया गया था, वह १९५४ में प्रायः पूरा हो गया और विस्तृत क्षेत्र में, बाज़ार की मांग और पूर्ति की शक्तियां परस्पर अबाध रूप से काम करने लगीं । यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अधिक न बिगड़े अथवा भीषण रूप में अनावृष्टि या अल्पवृष्टि जैसी दैवी विपत्तियां प्रकट न हों, तो हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में देश का सुआयोजित आर्थिक विकास ही आर्थिक स्थिति का निर्णायक तत्व सिद्ध होगा ।

अब मैं चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा ।

चालू वर्ष के बजट में ४५१.७३ करोड़ रुपये के राजस्व और ४६७.०९ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी थी; इस प्रकार राजस्व खाते में १५.३६ करोड़

रुपये की कमी हुई । अब मुझे आशा है कि राजस्व खाते में केवल ५ करोड़ रुपये की कमी होगी । यह वृद्धि व्यय में ११.०१ करोड़ रुपये की बचत और राजस्व में ६५ लाख रुपये की कमी का परिणाम है ।

मूल बजट के १७५ करोड़ रुपये की तुलना में अब सीमा-शुल्क के राजस्व की राशि १८० करोड़ रुपये आंकी गयी है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इस वर्ष देश के निर्यात व्यापार के हित में कई निर्यात-शुल्क समाप्त या कम कर दिये गये, किन्तु इस से राजस्व में जो कमी हुई वह चाय पर निर्यात कर बढ़ा दिये जाने से न केवल पूरी हो गयी, बल्कि राजस्व में वृद्धि हो गयी और आशा है कि चाय के निर्यात-शुल्क से इस वर्ष ६.६ करोड़ रुपया अधिक मिलेगा । देश में चीनी का उत्पादन घटने से, विदेशों से और भी बड़े परिमाण में चीनी मंगाने के कारण भी राजस्व में लगभग १० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इन वृद्धियों की तुलना में इस वर्ष सीमा-शुल्क के अन्तर्गत राजस्व में लगभग ६ करोड़ रुपये की कमी इसलिए होगी कि बाहर से मंगाये जाने वाले मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल और पुर्जे चिकनाने के तेलों के स्थान पर अब धीरे धीरे भारत के तेल साफ करने के कारखानों में बने तेलों का उपयोग होने लगा है; एक कारखाना इसी साल चलने लगा । अब अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से १०३.६५ करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी । यह रकम प्रायः वही है जो मूल बजट में थी । पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल के बढ़े हुए उत्पादन से जो और राजस्व प्राप्त हुआ उस का प्रभाव चीनी के राजस्व में ३।। करोड़ रुपये की कमी और तम्बाकू के राजस्व में भी प्रायः इतनी ही कमी होने से दूर हो गया । चीनी के अन्तर्गत इस कारण कमी हुई कि १९५४ में उत्पादन घट गया और तम्बाक के अन्तर्गत कमी का कारण यह है कि किसानों और व्यापारियों के पास तम्बाकू का बहुत बड़ा स्टाक जमा होने और फलतः मूल्यों के गिर जाने से इस वर्ष सहायता के रूप में शुल्क में रियायत की गयी । पिछले बजट में जिन नये उत्पादन शुल्कों का समावेश किया गया था उन से, न्यूनाधिक, आशा के अनुरूप राजस्व-प्राप्ति हुई है । अब अनुमान लगाया गया है कि इन नये उत्पादन-शुल्कों से कुल ४.७५ करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, जब कि बजट में ४.२ करोड़ रुपया इकट्ठा होने का अनुमान किया गया था । आय कर से १६५ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है; और बजट में भी यही राशि रखी गयी थी । मैं ने बजट में, पाकिस्तान द्वारा, विभाजन-ऋण की अदायगी के रूप में ९ करोड़ रुपये की जो राशि जमा खाते डाली थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मैं ने पिछले साल अपने बजट भाषण में जो आशा प्रकट की थी उस के विपरीत, कई कारणों से, दोनों देशों के अनिर्णीत वित्तीय प्रश्नों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निबटारा नहीं हो सका । जैसा कि सदन को विदित है निकट भविष्य में ही आगे बातचीत होने वाली है और मुझे आशा है कि इस से इन जटिल प्रश्नों का सन्तोषजनक निबटारा हो सकेगा । मूल बजट में सम्मिलित, सम्पत्ति-शुल्क का ४ करोड़ रुपये का अनुमान आशाप्रद सिद्ध नहीं हुआ और अब मैं चालू वर्ष में, इस स्रोत से केवल १.२६ करोड़ रुपये की ही आशा करता हूं । किन्तु सम्पत्ति-शुल्क की आय प्रायः सब की सब राज्यों को जाती है, इसलिए कमी से केन्द्रीय बजट पर प्रभाव नहीं पड़ता । यहां मैं यह भी बता दूं कि राज्यों के मध्य सम्पत्ति-शुल्क की आय का वितरण, संविधान के अनुच्छेद २६९ के अधीन, संसद् द्वारा विधि द्वारा, वितरण के हेतु निर्दिष्ट

[श्री सी० डी० देशमुख]

किये गये सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना है। हम लोग वितरण-सिद्धान्तों को निर्दिष्ट करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, किन्तु सम्पत्ति-शुल्क अधिनियम के प्रयोग का बहुत ही सीमित ज्ञान होने से और स्रोत एवं संग्रह-क्षेत्र जैसे आधारभूत तथ्य तथा अंकों के अभाव में, जो वितरण योजना के निर्माण के लिए आवश्यक है, अभी ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ। अतएव हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि अगले वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) से इस प्रश्न पर परामर्श देने के लिए कहा जाय और बीच की अवधि में उसी आधार पर अन्तर्कालीन वितरण किया जाय जिस आधार पर, राज्यों के मध्य, आय कर के अंश का होता है। अगला वित्त आयोग इस अन्तर्कालीन वितरण का पुनरीक्षण कर सकेगा, और चूंकि कुछ समय तक इस शुल्क से बहुत अधिक संग्रह होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए इस से राज्यों के वित्तीय साधनों में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा। राजस्व के अन्य विविध शीर्षकों के अधीन लगभग ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

अब आलोच्य वर्ष में ४५६.०८ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया है जिस में से असैनिक (सिविल) व्यय की रकम २५८.०६ करोड़ रुपया होगी, अर्थात् मूल बजट में ३.४१ करोड़ रुपये की बचत होगी और रक्षा सेवाओं के व्यय की रकम १९८.०२ करोड़ रुपया होगी, अर्थात् मूल बजट में ७.६ करोड़ रुपये की बचत होगी।

असैनिक (सिविल) व्यय में जो बचत हुई है वह अनेक परिवर्तनों का परिणाम है जिन में से मैं केवल उन्हीं का उल्लेख करूंगा जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। तम्बाकू के उत्पादन-शुल्क से, जिस का उल्लेख पहले हो चुका है, प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हो जाने से राज्यों को दिया जाने वाला केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का अंश, जिस की अदायगी को व्यय माना जाता है, १.१८ करोड़ रुपया कम हो जायगा। शिक्षा योजनाओं के निमित्त ८.१३ करोड़ रुपये की व्यवस्था से राज्यों को की जाने वाली अदायगियां केवल ६ करोड़ रुपये तक ही पहुंचेंगी, क्योंकि कुछ राज्यों में व्यय की प्रगति धीमी हुई है। इसी प्रकार, सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के हेतु राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में भी ४.४९ करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है। दूसरी ओर राज्यों के बाढ़ और दुर्भिक्ष सहायता अनुदान मूल बजट के २ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६ करोड़ रुपये हो गये हैं, विस्थापितों पर होने वाले व्यय में ८९ लाख रुपये की वृद्धि हुई है, और पांडीचेरी राज्य के व्यय के कारण केन्द्रीय बजट में ७६ लाख की वृद्धि हुई है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में बचत का मुख्य कारण यह है कि बजट बनाते समय जितना सामान प्राप्त होने की प्रत्याशा थी उस की अपेक्षा कम सामान प्राप्त हुआ है। मितव्ययता के कारण भी मांगों में कमी हुई।

आगामी वर्ष, वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर, ४६८.७६ करोड़ रुपये के राजस्व और ४९८.९३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार ३०.१७ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

आगामी वर्ष सीमा-शुल्कों से १६५ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है जब कि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान १८० करोड़ रुपये है। हाल ही में चाय निर्यात-शुल्क में वृद्धि हो जाने से चालू वर्ष की आय की अपेक्षा ११ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। किन्तु मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल और पुर्जे चिकनाने

के तेलों का आयात घट कर, वर्तमान आयात-स्तर का प्रायः एक-चौथाई रह जायगा, क्योंकि बम्बई में तेल साफ करने का दूसरा कारखाना भी पूरा उत्पादन करने लगेगा। इस का परिणाम यह होगा कि इस शीर्षक के अधीन, चालू वर्ष के संग्रहों की तुलना में लगभग २० करोड़ रुपये की कमी हो जायगी, किन्तु इस राजस्व का एक बड़ा भाग उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त हो जायगा। चालू वर्ष की अपेक्षा चीनी के आयात में भी कमी होने की आशा है। परिणाम यह होगा कि आगामी वर्ष सीमा-शुल्कों से होने वाले राजस्व में १५ करोड़ रुपये की कमी रहेगी। चालू वर्ष के १०३.६५ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में आगामी वर्ष उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व १२३.४५ करोड़ रुपये रखा गया है इस वृद्धि का एक बडा कारण यह है कि देश में पहले से अधिक मिट्टी का तेल और पेट्रोल पैदा होने से इन वस्तुओं के उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी; आशा है कि तम्बाकू उत्पादन-शुल्क से भी ३.३ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी और उत्पादन में सुधार होने से चीनी उत्पादन-शुल्क से भी १.५ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी। आय कर के अधीन चालू वर्ष की भांति आगामी वर्ष भी १६५ करोड़ रुपये की राशि दिखलायी गयी है। बकाया रकमों की क्रमिक अदायगी के कारण, जितने संग्रह की आशा की गयी थी उस में हाल में कुछ कमी हुई है, किन्तु मुझे आशा है कि सामान्य संग्रह में सुधार होने पर यह कमी पूरी हो जायगी। सम्पत्ति-शुल्क से आगामी वर्ष ३ करोड़ रुपये के राजस्व की आशा है, किन्तु, जैसा कि मैं पहले ही संकेत कर चुका हूं यह प्रायः सब का सब राज्यों को चला जायगा। चल मुद्रा (करेंसी) और टकसाल के अधीन सरकार को दी जाने वाली रिज़र्व बैंक के लाभ की रकम आगामी वर्ष के लिए २० करोड़ रुपये आंकी गयी है, जब कि इस वर्ष यह १७.५ करोड़ रुपये थी; वृद्धि का कारण यह है कि निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेण्ट) द्वारा संधारित राजकोष हुंडियों से पहले से अधिक प्राप्ति होगी। सरकारी हिसाब में आयातित चीनी की बिक्री के लाभ से भी मैं ८ करोड़ रुपया राजस्व में ले रहा हूं। दूसरी ओर, पिछले दो वर्षों में जो कुछ हुआ है उस को देखते हुए मैं पाकिस्तान द्वारा देय विभाजन ऋण की अदायगी के लिए कोई रकम नहीं ले रहा हूं। यदि, जैसी कि मुझे आशा है, अगले वर्ष कोई निबटारा हुआ, तो मैं अपने संशोधित अनुमानों में उक्त ऋण की रकम को सम्मिलित कर लूंगा।

आगामी वर्ष ४९८.९३ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है—प्रतिरक्षा सेवाओं के अधीन २०२.६८ करोड़ रुपया और नागर (सिविल) शीर्षकों के अन्तर्गत २९६.२५ करोड़।

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमित व्यय में ४.६६ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है। यह वृद्धि मुख्यतः जल सेना और वायु सेना के सामान्य विस्तार कार्यक्रम और अंशतः नवीन निवृत्ति वेतन संहिता (न्यू पेंशन कोड) के प्रख्यापन तथा उन कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन सम्बन्धी कुछ लाभ प्रदान करने के कारण हुई है, जो पहले थोड़ी अवधि के लिए नियुक्त किये गये थे, किन्तु बाद में लम्बी अवधि तक रखे गये। स्थल सेना के कुछ आधुनिकीकरण कार्यों के लिए यद्यपि सारभूत रकमें सम्मिलित की गयी हैं फिर भी उस के बजट में वास्तव में लगभग १ करोड़ रुपये की कमी हुई है। दूसरी दिशाओं में मित-व्ययता करने के कारण ही ऐसा सम्भव हो सका है। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षा सेनाओं की शक्ति में किसी प्रकार की कमी की आशा करना यथार्थता नहीं है,

[श्री सी० डी० देशमुख]

फिर भी हम पहले से अच्छे संरक्षण और कर्मचारियों के उपयोग, खपत के परिमाण-में कमी और दुरुपयोग से बचे रह कर यथा-सम्भव अधिक से अधिक मितव्ययता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मितव्ययता का आन्दोलन उद्यमपूर्वक चलता रहा और चलाया जा रहा है और मुझे ज्ञात है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के मेरे सहयोगी इस दिशा में बराबर ध्यान देते हैं ।

प्रतिरक्षा सेवाओं को जो सामान चाहिए उस का उत्पादन करने में भी भारत में विशेष प्रगति हुई है । जैसा कि सदन को ज्ञात है, पिछले साल सरदार बलदेव सिंह की अध्यक्षता में एक समिति इस बात की छानबीन करने के लिए नियुक्त की गयी थी कि सैनिक सामग्री बनाने के हमारे कारखानों का संगठन किस प्रकार का है और उन की उत्पादन की विधि और प्रणाली क्या है जिस से कि उन के कार्यों का विस्तार और उन के संचालन में मितव्ययता की जा सके । समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर सरकार विचार कर रही है । विद्युदणु (इलेक्ट्रौनिक) साज-सज्जा के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना की जा रही है । कुछ अन्य प्रकार का सामान भी भारत में ही तैयार करने की योजनाओं पर विचार हो रहा है; उद्देश्य यह है कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मभरित बन सकें ।

असैनिक (सिविल) व्यय का उल्लेख करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि १ अप्रैल, १९५५ से हम लेखा-परीक्षा (आडिट) को हिसाब खातों (एकाउंट्स) से पृथक् करने का कार्य आरम्भ कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में सार्वजनिक खाता समिति (पब्लिक अकाउण्ट्स कमिटी) बराबरजोर डालती रही है, जो उचित ही था । जैसा कि मैं ने पिछले साल बजट चर्चा के समय कहा था, पृथक्करण की आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किन्तु एक दीर्घकालीन तथा सुस्थापित व्यवस्था में ऐसा आधारभूत परिवर्तन, जिस का प्रभाव केन्द्र और राज्यों दोनों पर पड़ता है, केवल अध्यायों में ही पूरा किया जा सकता है जिस से प्रशासन-व्यवस्था में बाधा न पड़े । वित्त मंत्रालय, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कम्प्ट्रोलर ऐण्ड आडीटर-जनरल) से परामर्श करता रहा है और अब, प्रथम प्रयास के रूप में, यह निश्चय किया गया है कि १ अप्रैल १९५५ से पूर्ति, खाद्य और पुनर्वास में इस सुधार का समावेश किया जाय । इस निश्चय के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में विभागीय हिसाब खाता कार्यालय संगठित किये जा रहे हैं । प्रारम्भ में इन कार्यालयों के लिए भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग से अतिरिक्त कर्मचारी लिये जायेंगे और यह योजना नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सतत् परामर्श से परिपालित की जायगी । राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले हिसाब खातों के विषय में भी ऐसा ही परिवर्तन करने के उद्देश्य से नियंत्रक-महालेखा परीक्षक राज्यों से पत्रव्यवहार कर रहे हैं और आशा है कि आगामी वित्त वर्ष में कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार का समारम्भ सम्भव हो सकेगा ।

आगामी वर्ष असैनिक (सिविल) व्यय में ३८.१९ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है । अधिकांश वृद्धि विकास व्यय के लिए अपेक्षाकृत बड़ी धन राशियां प्रदान करने के कारण हुई है और यह योजना के अन्तिम वर्ष में अनिवार्य भी है । सदा की भांति, अलग अलग परिवर्तनों का विशेष और पूरा ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । यहां मैं केवल उन्हीं का उल्लेख करूंगा जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

राष्ट्र-निर्माण और विकास सेवाओं पर कुल ७५.३ करोड़ रुपया व्यय होगा, जब कि चालू वर्ष में ५०.६९ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। दूसरे शीर्षकों से ४.६ करोड़ रुपये का अन्तरण होने पर भी वृद्धि २०.०१ करोड़ रुपये की होगी। इस प्रकार शिक्षा विषयक बजट ७.३ करोड़ रुपये की वृद्धि से १८.३१ करोड़ रुपये का हो गया है जिस में से १० करोड़ रुपये की व्यवस्था बुनियादी, सामाजिक और माध्यमिक शिक्षा के निमित्त राज्यों को अनुदान देने के लिए ३.५ करोड़ रुपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन) के लिए और १.२९ करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए है। वैज्ञानिक विभागों और अनुसंधान योजनाओं के व्यय में २.०१ करोड़ रुपये की वृद्धि; चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय में १.९६ करोड़ रुपये की वृद्धि और कुटीर तथा छोटे परिमाण के उद्योगों के विकास-व्यय में २.२३ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। खादी तथा हथकरघा उद्योग के विकास के लिए ४.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो मिल के कपड़े पर लगाये गये विशेष उप-कर निधि से दी जायगी। राष्ट्र-निर्माण तथा विकास सेवाओं के अधीन २०.०१ करोड़ रुपये की वृद्धि के अतिरिक्त, जिस का उल्लेख पहले किया जा चुका है, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के व्यय में ४.४४ करोड़ रुपये की वृद्धि, अपनी विकास योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अपने विधान मंडलों वाले भाग 'ग' के राज्यों के अनुदानों में २.४१ करोड़ रुपये की वृद्धि, अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के अनुदानों में ८१ लाख रुपये की वृद्धि, वित्त आयोग के पंचाट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्यों के अनुदानों में ५० लाख रुपये की वृद्धि और पिछड़े वर्गों के सामाजिक कल्याण तथा मंगल के हेतु दिये जाने वाले अनुदानों में १.१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार आगामी वर्ष के लिए विकास सेवाओं के निमित्त जो कुल अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है उस का औसत लगभग २९.२७ करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

असैनिक (सिविल) व्यय की शेष वृद्धि में, ३ करोड़ रुपये की राशि चावल के वर्तमान भंडार की बिक्री से होने वाले प्रत्याशित घाटे की पूर्ति में बट्टे खाते की पहली किस्त का द्योतक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सरकार के पास लगभग १५ लाख टन का अन्न-भंडार होगा, जिस में अधिकांश चावल होगा। यह भंडार, पिछले जुलाई महीने में विनियंत्रण होने से, अंशतः राज्यों से लिये गये भंडारों तथा अंशतः बर्मा सरकार से किये गये करार के अधीन बर्मा से मंगाये गये चावल से मिल कर बना है। हाल ही में मल्यों में जो गिरावट आयी है उस को देखते हुए इस भंडार की बिक्री से, जिस में दो या तीन साल लग जायेंगे, काफ़ी घाटा रहेगा और यद्यपि घाटे की सीमा का अभी ठीक अनुमान सम्भव नहीं है, फिर भी, प्रचलित मूल्यों के अनुसार घाटे की रकम ४५ करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह घाटा उन राज-सहायताओं से भिन्न है, जो युद्ध के बाद के वर्षों में दी जाती थीं और जो मूल्य-नियंत्रण और राशन-व्यवस्था का एक अंग थीं। यह तो प्रत्यक्ष व्यापारिक घाटा है जो चालू वर्ष की विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ है जब कि फसल अच्छी होने और नियंत्रण न रहने से हमें बहुत बड़ा भंडार बनाये रखने की आवश्यकता पड़ी जिस के, जमा रहने पर, जल्दी ही खराब हो जाने की आशंका है। खाद्य स्थिति में सुधार होने पर, भविष्य में इस प्रकार के बड़े घाटों की आशंका नहीं है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

यदि सभी घाटों को, तत्काल राजस्व पर लाद दिया जाय तो राजस्व बजट का स्वरूप बिलकुल ही बिगड़ जायगा । मैं यह वांछनीय और आवश्यक समझता हूं कि इन घाटों को एक उचित अवधि में राजस्व में प्रसारित कर दिया जाय । हानि की अन्तिम रकम मालूम न होने तक, घाटा पूरा करने की ओर, म न राजस्व बजट में ३ करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था की है । १.३४ करोड़ रुपये की व्यवस्था भी, कुछ व्यय को—जो प्रारम्भ में पूंजी खाते में डाला गया था—राजस्व में पहली किस्त के रूप में डालने के लिए, उस प्रबन्ध के अनुसार की गयी है जिस का मैं ने पिछले साल उल्लेख किया था । अनुमान है कि उस प्रबन्ध के अन्तर्गत उन चारों मदों—औद्योगिक आवासन अनुदानों, स्थानीय निर्माण कार्यों के अनुदानों, गाडगील समिति के अधीन अनुदानों और सरकार द्वारा विस्थापितों के क्षतिपूरण—का सम्पूर्ण व्यय इस साल १९.३६ करोड़ रुपया होगा, जो आगामी वर्ष के प्रारम्भ से, १५ वर्ष की अवधि में राजस्व में डाला जायगा । इस के अतिरिक्त, हम ने, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से, ग्राम्य जल पूर्ति व्यवस्था और सफाई की योजनाओं को उसी प्रकार व्यवस्थित करने का निश्चय किया है क्योंकि ये भी उसी प्रकार की हैं । ये योजनाएं इसी वर्ष प्रारम्भ की गयी हैं और पहले वर्ष ८१ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है । यह सारा व्यय १५ वर्ष की अवधि में राजस्व में डाला जायगा और, जैसा कि पहले बताया गया है, अगले साल १.३४ करोड़ रुपया राजस्व के खर्च खाते में डाला जायगा । अन्य वृद्धियों में १.५५ करोड़ रुपया वह है जो राज्यों को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में उन के अंश के रूप में—तम्बाक उत्पादन-शुल्क से आगामी वर्ष राजस्व में वृद्धि होने के कारण—दिया जायगा, १.४६ करोड़ रुपया उत्तर-पूर्व सीमा प्रदेश की प्रशासनिक और विकास सेवाओं के विस्तार के लिए और १.२७ करोड़ रुपया नागर-निर्माण-कार्यों के लिए है ।

पूंजी परिव्यय के लिए चालू साल के बजट में १४५.७५ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी थी । अब १७८.५४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है । यह वृद्धि, सरकारी व्यापारिक योजनाओं के अधीन, अधिकांश में राज्य सरकारों से चावल के भंडार खरीदने से, ६१.५९ करोड़ रुपया अधिक लग जाने के कारण हुई है, किन्तु दूसरी मदों में २८.८० करोड़ की बचत होने के कारण इस में कुछ कमी हो गयी । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के हिस्से खरीदने की सम्भावना में, बजट में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु इस वर्ष इस व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जायगा । मुख्यतः इमारतों और सड़कों के निर्माण की गति धीमी होने के कारण नागर-निर्माण कार्यों के अधीन लगभग ७ करोड़ रुपये की बचत हुई है । ऐसे ही कारणों से औद्योगिक आवासन अनुदानों में ४ करोड़ रुपये की और प्रतिरक्षा-पूंजी-परिव्यय में लगभग ४.७ करोड़ रुपये की बचत हुई है ।

आगामी वर्ष के लिए २२३.३ करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है जिस में २९ करोड़ रुपया, केन्द्रीय भण्डार (सेण्ट्रल रिजर्व) के लिए अधिकांश में गेहूं का सामान्य आयात करने के निमित्त सरकारी व्यापारिक योजनाओं के लिए है । जैसा कि मैं ने पहले बताया है, योजना के अन्तिम वर्ष में अधिक परिव्यय अनिवार्य है ।

रेलों के लिए चालू वर्ष के ३२।। करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में ६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । रेलों की पंच वर्षीय योजनायें योजना की अवधि में ४०० करोड़

रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी थी जिस में से ३२० करोड़ रुपये रेलों को अपने निजी साधनों से प्राप्त करने थे । यद्यपि पांच वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण पूंजीपरिव्यय, मूल योजना से केवल कुछ ही अधिक रहेगा, इस अवधि में, रेलों के अपने साधनों में कुछ कमी हुई है । यही कारण है कि आगामी वर्ष के लिए रेलों को पहले से बड़ी रकम दी गयी है । अनुमान है कि विस्थापितों को नकदी तथा सरकारी सम्पत्ति और उद्धार ऋणों से मुक्ति के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकमें ३१ करोड़ रुपया होगी जिस में से लगभग ९१$^{१}/_{२}$ करोड़ रुपया निष्क्रान्त सम्पत्ति की बिक्री की रकम से पूरा किया जायगा, अर्थात् चालू वर्ष के ७।। करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में लगभग २१ करोड़ रुपये की रकम । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में लगाने के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो इतनी ही रकम के उद्धार ऋण के अतिरिक्त है । हैदराबाद नोट निर्गम के लिए परिसम्पद (पावना) के रूप में जो हैदराबादी प्रतिभूतियां हैं उन के बदले रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को आगामी वर्ष ७.७ करोड़ रुपया देय होगा, क्योंकि यह निर्गम बैंक के हाथ में चला गया है । राज्य के परिसम्पद (पावनों) और दायित्वों (देनदारियों) के बटवारे के लिए, निबटारे के अंग के रूप में यह निश्चय किया गया है कि उन हैदराबादी प्रतिभूतियों का दायित्व भारत सरकार ग्रहण करेगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समाहार से पहले, अपनी चलमुद्रा (करेंसी) के प्रसार के लिए तदर्थ निर्मित किया गया था । नागर निर्माण कार्यों के लिए इस वर्ष के २४ करोड़ रुपये की तुलना में ३२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिस में उस सरकारी सम्पत्ति का समायोजन सम्मिलित नहीं है, जो क्षति-पूर्ति योजना के अंग के रूपमें विस्थापित व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दी गयी है । आगामी वर्ष प्रतिरक्षा व्यवस्था पर २२.३७ करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का अनुमान है, जब कि चालू वर्ष में १३.०९ करोड़ रुपये की व्यवस्था है । यह वृद्धि अंशतः पूंजी परिव्यय को चालू वर्ष से अगले वर्ष में ले जाने और अंशतः सामान्य विस्तार कार्यक्रम के कारण है ।

अभी जिस पूंजी-परिव्यय के लिए व्यवस्था का उल्लेख किया गया है उस के अतिरिक्त अनुमानों में, २४९ करोड़ रुपये की मूल व्यवस्था की तुलना में, राज्य सरकारों और दूसरों को अधिकांश में उन की विकास योजनाओं के हेतु ऋण रूप में देने के लिए, इस साल का ३०६ करोड़ रुपया और अगले साल का ३५५ करोड़ रुपया सम्मिलित है । इन उद्धार ऋणों का सविस्तार विवरण व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

चालू वर्ष के बजट में, २३९ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण घाटे को राजकोष हुण्डियों से पूरा करने की व्यवस्था थी । संशोधित अनुमानों के आधार पर सम्पूर्ण घाटा २०८ करोड़ रुपये का रह जायगा । चूंकि पूर्व शेष, ५० करोड़ रुपये की न्यूनतम रकम से, जिस का बनाये रखा जाना आवश्यक है, लगभग १९ करोड़ रुपया कम था, इसलिए राजकोष हुंडियों का विस्तार २२० करोड़ रुपये तक पहुंचेगा ।

इस वर्ष सरकार ने ३।। प्रतिशत राष्ट्रीय योजना ऋण, १९६४ जारी किया । यह ऋण केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए संयुक्त ऋण था । इस का अच्छा स्वागत हुआ और अभिदान की रकम १५८ करोड़ तक पहुंच गयी जिस में से २५।। करोड़ रुपया उन राज्यों को उधार दिया गया जो अन्यथा वे पृथक् रूप से स्वयं बाजार से ऋण लेते । छोटी बचतों की योजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है । सामान्य अधिकृत अभिकरण प्रणाली (जेनरल आथो-

[श्री सी० डी० देशमुख]

(राइज्ड एजेंसि सिस्टम) के अनुसार एजेन्टों की नियुक्तियां होती जा रही हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से इस आन्दोलन को ग्राम्य क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। अनेक राज्यों में बचत-पत्र (सेविंग्स सार्टीफिकेट) बेचने के लिए पंचायतों और दूसरे अभिकरणों, जैसे पश्चिमी बंगाल में यूनियन बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही ग्राम्य अभिकरण प्रणाली का विस्तार करने की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय परामर्श समिति के तत्वावधान में, जिसका हाल ही में विस्तार किया गया है, "महिला बचत आन्दोलन (वीमेंस सेविंग्स कैम्पेन) भी, इस बचत आन्दोलन को, न केवल वास्तविक धन-संग्रह द्वारा, बल्कि इसके सन्देश को फैला कर मूल्यवान सहायता दे रहा है। बचत-पत्रों की बिक्री के लिए १०० से अधिक स्वेच्छाप्रेरित सामाजिक और महिला संगठन नियुक्त किये जा सके हैं और 'आन्दोलन' के तत्वावधान में ? करोड़ से अधिक इकट्ठा किया जा चुका है। आलोच्य वर्ष में सरकार ने योजना के अधीन दो और निवेश निकाले। पहला इस दस वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों के रुप में है. ये बचत-यत्र छोटी-छोटी बचत करने वालों, विशेषतः ग्राम्य क्षेत्रों के लिए हैं और राष्ट्रीय बचत-पत्रों की अपेक्षा इन पर अधिक ब्याज मिलता है। यद्यपि ये मूलतः राष्ट्रीय योजना ऋण के पूरक रुप में परिचालित किये गये थे, किन्तु इनकी बिक्री जारी रखी गयी है। दूसरा निवेश पन्द्रह वर्षीय वार्षिकी बचत-पत्र है जिन का उद्देश्य उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जो अपन और अपने आश्रितों के लिए, एक पिण्ड राशि निवेश से नियमित मासिक धन राशि की व्यवस्था करना चाहते हैं। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पहली बार इस बात की सम्भावना दिखायी दे रही है कि हम ४५ करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य को पार कर जायेंगे, जो छोटी-छोटी बचतों के संग्रह के लिए कुछ वर्ष पहले निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि यह स्थिति उत्साहवर्द्धक है फिर भी मैं अधिक प्रयत्न के लिए तथा इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने और इस के द्वारा देश के विकास और समृद्धि के हेतु विशाल अंशदान देने के प्रत्येक व्यक्ति से हार्दिक सहयोग प्रदान करने की अपील करता हूं। देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए छोटी-छोटी बचतें सदा ही आवश्यक हैं और विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए, जिन के लिए अधिक से अधिक धन जुटाने की आवश्यकता है इन बातों का महत्व इस समय और भी बढ़ गया है।

किन्तु उद्धार ऋण और छोटी-छोटी बचतों से जो वृद्धि हुई उस का परिणाम अंशतः इसलिए घट गया कि पूंजीगत व्यय और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये उद्धार ऋण की रकम बढ़ गयी और उस के साथ ही इस वर्ष प्रत्याशित विदेशी सहायता में २३ करोड़ की कमी हो गयी।

आगामी वर्ष का सम्पूर्ण घाटा लगभग ३४० करोड़ रुपये आंका गया है इस कमी का कारण राजस्व और पूंजी बजटों में विकास व्यय के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्था है। आगामी वर्ष एक उद्धार ऋण --२।। प्रतिशत उद्धार ऋण १९५५—जिस की रकम ६० करोड़ रुपये है, ऋण करना पड़ेगा और एक दूसरे ऋण—४।। प्रतिशत उद्धार ऋण १९५५-६०—की, जिस की रकम ९ करोड़ रुपये है अदायगी वैकल्पित है। आगामी वर्ष इन दोनों ऋणों को अदा कर देने की व्यवस्था की गयी ह। १२५ करोड़ रुपये के नये बजार ऋण की व्यवस्था की गई है।

अगले वर्ष छोटी-छोटी बचतों की रकम ५२ करोड़ रुपये और विदेशी सहायता की रकम ७४ करोड़ रुपये रखी गयी है । देय ऋण तथा प्रेषणाएं शीर्षक के अधीन अन्य विविध लेन-देनों को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण घाटे को पूरा करने के लिए राजकोष हुण्डियों में ३४० करोड़ रुपये की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

आगामी वर्ष की अर्थोपाय स्थिति का सारांश यह है : सरकार को राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए ३० करोड़ रुपये की, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों और अन्यों की उद्धार ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए ५७८ करोड़ रुपये की और परिपक्व देय ऋण की अदायगी के लिए ६९ करोड़ रुपये की आवश्यकता है । इस की पूर्ति के लिए वह बाजार ऋण से १२५ करोड़ रुपये और छोटी बचतों से ५२ करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा करती है । आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित विदेशी सहायता की रकम ७४ करोड़ रुपये है तथा अन्य विविध देय ऋणों और प्रेषण लेन-देनों से ८६ करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकती है । इस से, बजट को सन्तुलित करने में, प्राप्त साधनों में ३४० करोड़ रुपये का अभाव रह जायेगा । चूंकि रोकड़ बाकी में ऐसी कोई रकम न रह जायगी जिसे निकाला जा सके, इसलिए इस सारे अभाव की पूर्ति के लिए राजकोष हुण्डियां जारी की जायेंगी ।

चालू और अगले वर्ष के बजट के भारी घाटे को हमारी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उत्पादन, मूल्यों, नियोजन एवं विदेशी विनिमय जैसे विविध आर्थिक निर्देशकों की दृष्टि से देखा जाना चाहिए । मेरे विचार से, ये सब इस बात का संकेत करते हैं कि हम और भी अधिक साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमें बढ़ना चाहिए भी । योजना के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता क्रमशः बढ़ती जा रही है और वर्तमान मूल्य तथा नियोजन परिस्थिति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि, यद्यपि अपने साधनों का अधिकतम विस्तार करने की दिशा में हमें कोई प्रयत्न उठा न रखना चाहिए, इस परिमाण के बजट घाटों से मुद्रा-स्फीति के किसी गम्भीर संकट की आशंका नहीं की जा सकती । इतने पर भी, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि स्थिति पर निरन्तर सावधानी के साथ दृष्टि रखी जायगी और यद्यपि सरकार वह खतरा उठायेगी जो किसी भी महत्वपूर्ण विकास प्रयत्न से आवश्यक रूप से जड़ा हुआ है, फिर भी वह खतरा ऐसा होगा जिस के सम्बन्ध में सतर्कता के साथ विचार कर लिया गया होगा ।

अब मैं आगामी वर्ष के बजट प्रस्तावों को ले रहा हूं ।

मैं पहले बता चुका हूं कि अगले साल के लिए, राजस्व खाते का घाटा, ३०·१७ करोड़ रुपये आंका गया है और सम्पूर्ण घाटा ३४० करोड़ रुपये का । अब मेरे सामने समस्या यह है कि इस घाटे का कितना भाग अतिरिक्त करों से पूरा किया जाय ।

मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि राजस्व खाते के घाटे का एक बहुत बड़ा कारण चालू खाता है । मेरे विचार से, बुद्धिमानी की बात यह है कि जहां तक हो सके चालू खर्च को चालू करों से ही पूरा किया जाय । दूसरी बातें भी हैं, जिन का उल्लेख मैं आगे चल कर करूंगा, जो यह बतलाती हैं कि करों में वृद्धि करने की आवश्यकता है । राजस्व खाते के घाटे के एक बड़े भाग को मैं नये और अतिरिक्त करों से पूरा करना चाहता हूं । इतने पर भी, सम्पूर्ण घाटे के जिस भाग को नये या अतिरिक्त करों से पूरा नहीं किया जा सकता वह भी

[श्री सी० डी० देशमुख]

काफी बड़ा है, किन्तु, जैसा कि मैं ने अपने भाषण में पहले बताया है, वर्तमान आर्थिक वातावरण में उतना बड़ा घाटा, मेरे विचार से, निरापद है और उचित भी ।

माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि यदि योजना की आवश्यकताओं और वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कुल मिला कर यह भारी घाटा न्यायसम्मत है, तो फिर इस सारे घाटे को अपूरित ही क्यों न छोड़ दिया जाय ? इस बात का, कि विभिन्न आर्थिक निर्देशक यह संकेत करते हैं कि बिना किसी अनुचित खतरे के घाटे की वित्त-व्यवस्था (डेफिसिट फाइनैंसिंग) का सहारा लिया जा सकता है, यह अर्थ नहीं है कि आन्तरिक साधनों को अधिक से अधिक सीमा तक जुटाने के प्रयत्न छोड़ दिये जायें और विवेकपूर्ण वित्त-व्यवस्था के स्थान पर नोट छापने के मुद्रणालय की शरण ली जाय । यद्यपि अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता को आघात पहुंचाये बिना अधिक से अधिक विकास का प्रबन्ध करने के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था का एक साधन के रूप में उपयोग किया जायेगा, फिर भी जनता को वर्तमान राजस्व में अधिक से अधिक योग देने के लिए तैयार रहना चाहिए । करों का स्तर निश्चित करते समय इन प्रासंगिक मामलों का निश्चय ही ध्यान रखा जायेगा कि विभिन्न वृद्धियों की अर्थ-व्यवस्था, बचत, निवेश और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

विस्तृत प्रस्तावों की चर्चा करने से पहले मैं कर जांच आयोग (टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन) की रिपोर्ट के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं । जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, यह आयोग १९५३ के प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था । पिछले वर्ष के अन्त में, अर्थात् नियत समय में, इस आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया और उस की रिपोर्ट पिछले दिसम्बर के आरम्भ में सरकार के पास पहुंच गयी । यह रिपोर्ट एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आलेख है जिस का सम्बन्ध कर-व्यवस्था के समस्त क्षेत्र—केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय—से है तथा आयोग ने अपनी सिफारिशों में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र को सम्मिलित किया है । यह रिपोर्ट अभी ही छपकर तैयार हुई है और माननीय सदस्यों को बजट-पत्रों के साथ इस की प्रतियां दी जा रही हैं । साथ ही यह जनता के लिये भी प्रकाशित की जा रही है । मुझे विश्वास है कि यह सदन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के इस महान कार्य के लिए उन के प्रति सराहना प्रकट करने में मेरा साथ देगा । आयोग की रिपोर्ट पर इस बात की छाप है कि समस्याओं के सभी रूपों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया गया है और निश्चय ही इस के लिए आयोग को भारी परिश्रम करना पड़ा होगा । मैं आयोग का आभारी हूं कि उस ने ठीक समय पर अपनी रिपोर्ट दे दी जिस से मैं अपने वर्तमान प्रयोजनों के लिए कम से कम उन के प्रस्तावों की स्थूल रूपरेखा का अध्ययन तो कर ही सका ।

मैं ने अभी कहा था कि यह रिपोर्ट बहुत बड़ी और ऐतिहासिक महत्व की है । ऐसी रिपोर्टों का बड़े ही ध्यान से अध्ययन करने की आवश्यकता है जिस के लिए, जैसा कि सदन अनुभव करेगा, अधिक समय उपलब्ध नहीं था । सच तो यह है कि रिपोर्ट की छपाई का काम अभी ही पूरा हुआ है इसलिए इसे राज्य सरकारों के पास भेजने तक का समय नहीं मिला । हम लोग जो कर सके वह यही कि बजट को ध्यान में रखते हुए, जो बिलकुल निकट था अपनी सुविधा के लिए वित्त मंत्रालय में इस का प्रारम्भिक अध्ययन किया और राज्यीय और स्थानीय

कर-व्यवस्था के बारे में सिफारिशों का एक संक्षिप्त विवरण गुप्त रूप से राज्य सरकारों के पास भेज दिया, जिस से कि वे अपने बजट बनाते समय इन का ध्यान रख सकें। अब रिपोर्ट छप कर प्रकाशित हो गयी है और केन्द्र तथा राज्यों में, सभी सिफारिशों का ब्योरेवार अध्ययन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सदन इस बात का अनुभव करेगा कि मेरे पास जो थोड़ा सा समय है उस में आयोग की, केन्द्रीय कर-व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाली सिफारिशों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना सम्भव न हो सकेगा। सच तो यह है कि यदि सम्भव भी हो, तो भी ऐसा कोई प्रयत्न करना रिपोर्ट के साथ न्याय करना नहीं होगा, क्योंकि इस से, जिस पृष्ठभूमि में ये सिफारिशें की गयी हैं, वे साफ नहीं होंगी। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि ये सिफारिशें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था के आधार और क्षेत्र को विस्तृत करने के सम्बन्ध में हैं और इन से करों के ढांचे में फिर से समायोजन करने की आवश्यकता होगी।

आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय कर-व्यवस्था के आधार और कार्यप्रणाली तथा दरों और दरों के ढांचे या गठन के बारे में हैं। जहां तक कर-व्यवस्था के आधार और कार्य-प्रणाली का सम्बन्ध है, विधि में परिवर्तन कर के ही इन में परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि मेरे विस्तृत प्रस्तावों से संकेत मिलेगा, मैं कोई सिफारिशों को तुरन्त ही क्रियात्मक रूप दे रहा हूं। सदन इस बात का अनुभव करेगा कि ऐसी कई सीमाएं हैं, जिन के कारण मैं वर्तमान बजट में आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियात्मक रूप नहीं दे सकता। पहली यह कि इन सिफारिशों में से बहुत सी ऐसी हैं, जिन के बारे में कोई निर्णय करने से पहले, उन का विस्तृत अध्ययन करना तथा और अधिक विचार करना आवश्यक है। मेरे पास जो थोड़ा सा समय था उस में मैं यह काम पूरा नहीं कर सका। दूसरी यह कि नये और अतिरिक्त दायित्वों को संभालने के लिए प्रशासन को सज्जित करने की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हमारे सामने है। और अन्तिम यह कि कर-दायित्व पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव न डालने वाले कार्यप्रणाली सम्बन्धी परिवर्तन वित्त विधेयक में सम्मिलित नहीं किये गये, जो उचित ही है, और वे विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करने के विधेयकों द्वारा क्रियान्वित किये जाने चाहिएं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस बारे में सहमत होगा कि इन सीमाओं के होते हुए भी जितनी सिफारिशों को क्रियात्मक रूप दिया गया है उन की संख्या कम नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि बाकी सुझावों पर सरकार विचार करेगी और सदन में यथाशीघ्र संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे।

करों की दरों के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की है कि आयोग ने जिन दरों का सुझाव दिया है या जो अन्तर्निहित हैं वे अधिकांश में इन दिशाओं में सम्भावनाओं का संकेत देते हैं--वास्तव में वे बजट प्रस्तावों के रूप में नहीं हैं। सदन को स्मरण होगा कि पहली कर जांच समिति लगभग तीस वर्ष पहले नियुक्त की गयी थी और एक तरह से उस समिति की सिफारिशों का एक पीढ़ी की कर-निर्धारण नीति पर प्रभाव पड़ा, हालांकि उस पीढ़ी में बहुत से वैधानिक और अन्य परिवर्तन हुए। इसी प्रकार वर्तमान आयोग की रिपोर्ट, आने वाले कुछ समय के लिए कर-निर्धारण नीति पर गहरा प्रभाव डालेगी। आयोग ने भावी नीति की दिशा दिखा दी है, लेकिन प्रति वर्ष या समय समय पर हम जो कदम उठायें उन पर समय की आर्थिक और बजट सम्बन्धी बातों को ध्यान में रख कर विचार करना आवश्यक होगा।

[श्री सी० डी० देशमुख]

सीमा-शुल्कों में परिवर्तन

मैं अब सब से पहले सीमा-शुल्क सम्बन्धी अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा । जहां भी संभव हो, कम से कम अंशत: परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के स्थान पर, धीरे-धीरे और भी ऊंचे आयात-शुल्क लगाने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसार काग़ज़ और काग़ज़ की लुगदी आदि से बनी चीज़ों, विज्ञापन विषयक परिपत्रों और बिना सोने या चांदी के मुलम्मे के छुरी-कांटों (कटलरी) जैसी चीज़ों पर और भी ऊंची दरों से आयात-शुल्क लगाये जा रहे हैं । इस के साथ ही आयात के यथांश अर्थात् कोटे बढ़ा दिये जायेंगे । यद्यपि इस से राजस्व पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी शुल्क समेत इन वस्तुओं के दाम इतने ऊंचे होंगे कि खपत में अनुचित विस्तार न हो सकेगा । जिप-जंजीरों, मिट्टी के बरतनों और चीनी के खपड़ों (टाइलों) जैसी कुछ वस्तुओं पर वैकल्पिक विशेष शुल्क (अल्टरनेट स्पेसिफिक ड्यूटी) लगाये जा रहे हैं, जिस से कम दाम वाली वस्तुओं के आयात से देसी वस्तुओं के निर्माण पर बुरा असर न पड़ सके ।

आयात तटकर में परिवर्तनों के रूप में, मैं रंगने और चमड़ा कमाने के पदार्थों, गोंदों, रालों, पेंसिल बनाने के काले सीसे और सुरमा (ग्रैफाइट) पर लगने वाला शुल्क बिल्कुल ही उठा देना चाहता हूं, किन्तु यह इस आधार पर कि जहां कहीं वरीयता का उपान्त (मार्जिन आफ प्रेफरेंस) करार से बंधा है वहां इसे बनाये रखा जाय । यह, आवश्यक कच्चे माल पर धीरे-धीरे शुल्क हटा लेने या कम कर देने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसार है ।

सूती कपड़े के निर्यात-शुल्क को भी बढ़ा कर ६। प्रतिशत किया जा रहा है जिस से कि दुनिया की मंडियों में हमारी प्रतियोगितात्मक स्थिति को बनाये रखने में सहायता मिल सके ।

इन परिवर्तनों से, जिन का सदन निश्चय ही स्वागत करेगा, लगभग ५० लाख रुपये का घाटा होगा । इन परिवर्तनों को समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम (सी कस्टम्स ऐक्ट) की धारा २.३ के अधीन एक अधिसूचना द्वारा लागू किया जायगा, जो आज ही प्रकाशित की जा रही है ।

वर्तमान समान दरों (फ्लैट रेट) के स्थान पर, चाय के निर्यात-शुल्कों के लिए भी एक खण्ड प्रणाली नियत की जा रही है । जब दाम गिरते जा रहे हों, तो उस समय एक निश्चित दर बोझिल बन जाती है; इस के विपरीत जब, जैसा कि अभी, दाम ऊंचे जा रहे हों, तो समान दर के कारण, मूल्य के रूप में कारभार क्रमश: हल्का हो जाता है । चाय की बहुत सी किस्में होने के कारण और क्योंकि ऐसी चायें बहुधा नीलाम द्वारा बेचे जाने के लिए ब्रिटेन भेजी जाती हैं और निर्यात के समय उचित मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए मूल्य के अनुसार कर लगाने की कोई प्रणाली निश्चित करना सम्भव नहीं हुआ । मध्य मार्ग के रूप में वर्तमान विधेयक में, मूल्य के अनुसार बदलने वाली कुछ खण्ड दरें नियत की गयी हैं । वर्तमान मूल्यों के रहते हुए इस से राजस्व प्राप्ति की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा ।

इन परिवर्तनों के कारण राजस्व में ५० लाख रुपये का घाटा रहेगा ।

अब मैं पहले वर्तमान उत्पादन-शुल्कों के परिवर्तनों का जिक्र करूंगा । मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि चीनी पर वर्तमान उत्पादन-शुल्क ३ रुपये १२ आने प्रति हंडरवेट से बढ़ा कर ५ रुपया १० आना प्रति हंडरवेट कर दिया जाय । कर जांच आयोग का विचार है कि

चीनी के उत्पादन-शुल्क में काफी वृद्धि करना उचित है । पिछले एक-दो वर्षों में दानेदार चीनी की खपत बहुत बढ़ गयी है और काफी विदेशी मुद्रा खर्च कर के बहुत बड़े परिमाण में विदेशों से चीनी मंगानी पड़ी और मंगानी पड़ रही है । शुल्क बढ़ने से कुछ सीमा तक खपत भी घट सकती है । इस से ५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है ।

मेरा दूसरा प्रस्ताव सूती कपड़े के शुल्कों के सम्बन्ध में है । मैं वर्तमान वर्गीकरण को वैज्ञानिक संगति देना और शुल्कों का समायोजन (एडजस्टमेंट) करना चाहता हूं । अभी शुल्क के प्रयोजन से सूती कपड़े को चार श्रेणियों में बांटा गया है—बहुत बारीक (सुपरफाइन), बारीक (फाइन), बीच के दर्जे का (मीडियम) और मोटा (कोर्स) । कर परिवर्तन के आधार के रूप में और कपड़े का उपयोग करने वाले समुदाय के स्थूल वर्गों के निर्देशक के रूप में यह वर्गीकरण कुछ अवास्तविक बन गया है । मैं दो श्रेणियों में कपड़े का वर्गीकरण करना चाहता हूं—बहुत बारीक और अन्य । बहुत बारीक कपड़े पर शुल्क की दर ढाई आना प्रति वर्ग गज और अन्य कपड़े पर एक आना प्रति वर्ग गज होगी । हथकरघा उद्योग में विकास के लिए तीन पाई प्रति गज का विशेष उपकर इस के अतिरिक्त होगा ।

इन प्रस्तावों के कारण बहुत बारीक कपड़े के प्रति रैखिक अर्थात् सीधे गज पर लगभग तीन पाई और बीच के दर्जे तथा मोटे कपड़े के प्रति रैखिक गज पर लगभग ६ पाई की वृद्धि होती है । दूसरी श्रेणी के कपड़े की तुलना में बहुत बारीक कपड़े का कुल उत्पादन बहुत नहीं है । कर जांच आयोग ने यह विचार प्रकट किया है कि सभी किस्म के कपड़े के शुल्कों की दर में वृद्धि करना उचित है । ये समायोजन करते समय अतिरिक्त जस्व की आवश्यकता का भी ध्यान रखना है । सभी बातों का विचार कर लेने पर, मैं नहीं समझता कि यह वृद्धि अनुचित कही जा सकती है ।

शुल्क लगाने के लिये रैखिक अर्थात् सीधे गज के स्थान पर वर्ग गज को इसलिए इकाई (यूनिट) माना गया है कि यह आधार अधिक न्यायसंगत है । अब आगे से, कर लगाने के लिये कपड़े की श्रेणी, धागे की संख्या के आधार पर निर्दिष्ट की जायेगी, ताने के धागे की संख्या के आधार पर नहीं । मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि यह वैज्ञानिक संगति ठीक है ।

इन समायोजनों से ९ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

मेरा तीसरा प्रस्ताव दियासलाइयों के बारे में है । छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता देने की सरकार की नीति के अनुसार मैं दियासलाई के मझोले और घरेलू समूह के कारखानों की वर्तमान वरीयता (प्रिफरेंस) की सीमा बढ़ा देना चाहता हूं । मझोले यानी बीच के दर्जे के कारखानों के लिए, ४० तीलियों की डिब्बियों के एक गुरस पर अभी एक आने की रियायत है । अब यह बढ़ा कर दो आना प्रति गुरस की जा रही है । दूसरी श्रेणियों के लिए भी रियायतों में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है । इन रियायतों से राजस्व में ५० लाख का घाटा रहेगा जिस में से राज्यों का हिस्सा २० लाख रुपया होगा ।

मेरा चौथा प्रस्ताव सिगरेटों के बारे में है । १९५१ में, हर दस सिगरेटों पर, उन के खुदरा मूल्य के अनुसार, ३ पाई और ६ पाई का अस्थायी अधिभार (सरचार्ज) लगाया गया था । कर जांच आयोग ने सिफारिश की है कि ये अधिभार उस श्रेणी के सिगरेटों पर से उठा लिये जाने चाहिएं जिन का मूल्य १० रुपये से लेकर १५ रुपये प्रति हजार है, क्योंकि, आयोग के मत से इस श्रेणी पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

कर-भार अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, और इस प्रकार राजस्व में जो घाटा रहे उसे उस श्रेणी के सिगरेटों पर शुल्क बढ़ा कर पूरा किया जाय जिस का मूल्य ४० रुपये से ले कर ५० रुपये प्रति हजार तक है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है इस समायोजन के साथ ही, १० रुपये से ले कर १५ रुपये प्रति हजार की श्रेणी को छोड़ कर, दूसरी श्रेणियों के अधिभार को बुनियादी उत्पादन-शुल्क में मिला दिया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को कुछ परिणामात्मक परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जा रहा है और आवश्यक हेर-फेर किया जा रहा है। सब मिला कर इन का राजस्व विषयक कोई महत्त्व नहीं है।

अब मैं नये उत्पादन शुल्कों को ले रहा हूं। कर जांच आयोग ने बहुत से नये उत्पादन-शुल्क लगाने की सिफारिश की है। मुझे भी यही जान पड़ता है कि हमारी आवश्यकताओं और देश के औद्योगिक विकास के स्वरूप को देखते हुए उत्पादन-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि किये बिना काम नहीं चलेगा और हमें, अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति तथा सीमा-शुल्कों से होने वाले घाटे की, जो विदेशी तैयार माल की जगह देसी माल की खपत के कारण हो रहा है, पूर्ति के लिए संरक्षण की छाया में विकसित देश के संगठित उद्योग-धन्धों के उत्पादन से ही अधिक आशा करनी पड़ेगी। मैं अगले साल उन नये उत्पादन-शुल्कों से इस दिशा में श्रीगणेश करना चाहता हूं जिन के संग्रह में, मेरे विचार से कोई बड़ी प्रशासनिक समस्या पैदा नहीं होगी। ये शुल्क कारखानों में बनी वस्तुओं पर लगेंगे और उत्पादन-शुल्क की दर मूल्य के अनुसार १० प्रतिशत होगी। जिन वस्तुओं पर शुल्क लगेंगे वे हैं—ऊनी कपड़े, सिलाई की मशीनें, बिजली के पंखे, बिजली की रौशनी वाले बल्ब, बिजली की सूखी (ड्राइ) और स्टोरेज बैटरियां, काग़ज़ (अखबारी काग़ज़ को छोड़ कर) और काग़ज़ का गत्ता तथा रंग (पेण्ट) और वार्निश। इन सब शुल्कों से ४ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है।

आयात और उत्पादन शुल्कों का वर्तमान अन्तर बनाये रखने के लिए, जहां आवश्यक दिखायी देगा, इन वस्तुओं के आयात पर उत्पादन-शुल्क की दर से प्रति-संतुलनकारी (काउंटरवेलिंग) आयात-शुल्क लगाया जायगा।

उत्पादन-शुल्कों में परिवर्तन करने से १७.७ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अब मैं प्रत्यक्ष करों से सम्बन्ध रखने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा।

कर जांच आयोग की बहुसंख्यक सिफारिशों में से कुछ का सम्बन्ध कर-व्यवस्था के स्थूल ढांचे से और दूसरों का विस्तार की बातों से है, जैसे कि कुछ श्रेणियों की आय को कर के लिए सम्मिलित किया जाय या छोड़ दिया जाय, प्रवर्तन (इंसेंटिव) के लिए रियायत और ऐसी ही दूसरी रयायतें दी जायं या नहीं। जहां तक व्यक्तिगत कर-निर्धारण के बुनियादी गठन का सम्बन्ध है, आयोग ने वर्तमान आयखण्डों के वर्गीकृत विधिकरण का, विशेषत: अधिकर (सुपर टैक्स) सम्बन्धी आयखण्डों का और इन खण्डों के मध्य दरों के समायोजन का सुझाव दिया है। आयोग ने, अर्जित आय के सम्बन्ध में एक निश्चित सीमा के बाद रियायत वापस ले लेने की सिफारिश की है; निश्चित सीमा के लिए उस ने २४,००० रुपये का सुझाव दिया है। अधिकर की सीमा को भी, आयोग ने २५,००० से घटा कर २०,००० रुपये

कर देन का सुझाव दिया है । आयोग ने समायोजन के जिस स्थूल स्वरूप का सुझाव दिया है उसे सरकार ने मान लिया है और अभी मैं जिन प्रस्तावों की व्याख्या करूंगा उन का उद्देश्य उन परिवर्तनों के साथ इस योजना को परिपालित करना है जो आवश्यक तथा वांछनीय समझे गये हैं । जैसा कि मैं ने पहले बताया है, चालू वर्ष के प्रस्तावों में आयोग की सभी सिफारिशें सम्मिलित नहीं हैं; इन में केवल वे ही हैं जो तात्कालिक दृष्टि से व्यावहारिक तथा साध्य जान पड़ी हैं ।

मैं पहले कर-व्यवस्था को लेता हूं ।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार विवाहित व्यक्तियों के लिए वर्तमान कर-मुक्त खण्ड १,५०० से बढ़ा कर २,००० रुपये और अविवाहित व्यक्तियों के लिए घटा कर १,००० रुपय किया जा रहा है । पारिवारिक छट की उपयुक्त योजना का विकास करने की दिशा में यह प्रथम प्रयास है । आयोग ने इस योजना के परिपालन का सुझाव दिया है । इस से राजस्व में ९० लाख रुपये का घाटा रहेगा ।

५,००० रुपये से १०,००० रुपये तक के वर्तमान खण्ड को दो खण्डों में बांटा जा रहा है, ७,५०० रुपये से १०,००० रुपये तक के खण्ड पर कर, एक आना नौ पाई में छः पाई बढ़ा कर दो आना तीन पाई किया जा रहा है । अनुमान है कि इस से राजस्व में १.३५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

१०,००० पय से १५,००० पये के दूसरे खण्ड में कर की दर तीन आना से बढ़ा कर तीन आना तीन पाई की जा रही है । इस से राजस्व में ८५ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है ।

मैं सिद्धान्त रूप से, आयोग की यह सिफारिश स्वीकार करता हूं कि अर्जित आय की ऊंची रकमों पर छूट न दी जानी चाहिए । स सम्बन्ध में प्रथम प्रयास के रूप में २५,००० रुपये से अधिक की आय पर छूट को क्रमानुसार कम करना चाहता हूं; ४५,००० रुपये के स्तर के पहुंचते ही रियायत बन्द हो जायगी । २५,००० रुपये और ४५,००० रुपये के बीच अभी दी जाने वाली ४,००० रुपये की छूट, आय की १,००० रुपये की प्रत्येक रकम पर २०० रुपया कम कर दी जायेगी ।

इस से १.९ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

अधिकर के वर्तमान खंडों का फिर से समायोजन किया गया है और जिस स्तर पर अधिकर लगाया जाता है उसे २५,००० रुपये से घटा कर २०,००० रुपये कर दिया गया है । पुनस्समायोजन प्रायः उसी ढंग का है जिस का आयोग ने सुझाव दिया है, किन्तु दरों और खंडों में कुछ समायोजन किय गये हौं अनुमान है कि अधिकर में इन परि-वतनों से ५.७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

मैं ो अन्य परिवर्तनों का भी जिक्र करूंगा जो कर-निर्धारण-व्यवस्था में किये जा रहे हैं । पहला उस छट की सीमा में वृद्धि है जो जीवन बीमा-पत्रों (पालिसि ों) के चन्दे की अदायगी और मान्य निर्वाह-निधि (प्रावीडेंट फण्ड) के अभिदानों (सब्स-क्रिप्शन) पर दी जा ी है । आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आय के छटे अंश की वर्तमान सीमा को, जो अधिक से अधिक ६,००० रुपया है, आय के पाचवें अंश की ८,००० रुपये की अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा रहा है । अविभक्त हिन्दू परिवा ों को भी ऐसी ही सुविधा दी जा रही है । इस रियायत का उद्देश्य बचत को प्रोत्साहन देना है और इस के कारण राजस्व में २५ लाख

[श्री सी०डी० देशमुख]

का घाटा रहेगा । दूसरा परिवर्तन, चार या अधिक सदस्यों के अविभक्त हिन्दू परिवारों को, जो बंटवारे के अधिकारी हैं, रियायत देने के सम्बन्ध में है । ऐसे परिवार तब तक कर से बचे रहेंगे जब तक कि उन की आय ४,२०० पये की रकम की, जो किसी एक व्यक्ति के लिए छूट की सीमा है, तिगुनी से अधिक न हो जाय । ऐसे परिवारों के लिए आय कर का अधिभार (सरचार्ज) देने की छूट सीमा १४,४०० पये से बढ़ा कर २१,६०० पये की जा रही है । इन रियायतों के वित्तीय प्रभाव को आंका नहीं जा सका, किन्तु सम्भावना यही है कि इन की रकम बड़ी नहीं होगी ।

आयोग ने २५,००० रुपये से अधिक की आय पर अधिभार-सहित-जमा (सरचार्ज-कम-डिपाजिट) लगाने का एक दिलचस्प सुझाव रखा है । जैसा कि आयोग स्वयं मानता है, स योजना के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में और भी विचार किये जाने की आवश्यकता है । स बीच में आयकर तथा अधिकर पर ५ प्रतिशत का वर्तमान अधिभार जारी रखना चाहता हूं ।

पिछले कुछ वर्षों में मूल्यह्रास छूट की रकम बढ़ाने की मांग की जाती रही है और यह इसलिए कि प्रतिस्थापन अर्थात् साज-सामान बदलने के बढ़े हुए खर्चों को भी हिसाब में ले लिया जाय । आयोग ने इस विषय में छानबीन की है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए किसी परिसम्पद का फिर से मूल्य निर्धारित करना या लगातार, फिर से मूल्य आंकना न केवल दोषपूर्ण, बल्कि आसाध्य भी है । इस के बदले आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सारे उद्योगों के लिए, कुछ परिवर्तनों के साथ, प्रारम्भिक तथा दूसरे मूल्यह्रास छूटों की वर्तमान प्रणाली जारी रहने दी जाय और कुछ दूसरे नये उद्योगों को, 'विकास छट' (डेवलपमेंट रिबेट) दी जाय, जो स्थापन वर्ष के नये स्थायी परिसम्पद मूल्य के २५ प्रतिशत के बराबर हो । राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ विशेष उद्योगों के लिए आयोग ने ६ वर्ष के लिए करों से छट्टी देने की सिफारिश की है । इन प्रस्तावों पर और भी विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है । इस बीच, मैं वर्तमान २० प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्यह्रास छट के स्थान पर, व्यवसाय के लिए लगाये गये सभी नये कारखाना-यंत्रों (प्लांट) और मशीनों की लागत की २५ प्रतिशत का विकास छूट (डेवलपमेंट रिबेट) देना चाहता हूं । साधारण और दुहरी मूल्यह्रास छूटें आंकने के लिए इस छूट को हिसाब में शामिल नहीं किया जायेगा ।

दूसरा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि व्यवसाय सम्बन्धी घाटों को अनिश्चित अवधि तक खातों में दिखलाये जाने की अनुमति हो जब कि ये अभी केवल ६ वर्ष तक दिखलाये जा सकते हैं ।

कर जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अगले साल के लिए, कर-दायित्व को प्रभावित करने वाले कई दूसरे परिवर्तन, वित्त विधेयक में सन्निविष्ट आयकर अधिनियम के संशोधनों में सम्मिलित किये जा रहे हैं । मैं उन सब की विस्तार से व्याख्या कर के सदन को थकाना नहीं चाहता । इन में से कुछ का उद्देश्य उन रकमों पर कर लगाना है जिन पर अभी तक नहीं लगता था । दूसरे परिवर्तनों में रियायतें दी गयी हैं जिन के लिए आयोग ने सिफारिश की है । मैं पहले परिवर्तनों में से उन्हीं का उल्लेख करना चाहता हूं जो अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । किसी भी आकस्मिक लाभ अथवा उपकार (बेनिफिट) का मूल्य, चाहे वह मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं, जो १८,००० रुपये वार्षिक प्राप्त

करने वाले वेतनभोगियों अथवा कम्पनियों के डाइरेक्टरों द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो और मनोरंजन सम्बन्धी सभी प्रकार की छूटों पर कर लगाया जा रहा है। इसी प्रकार कटौती के रूप में छोड़े गये खर्चों की अनध्यर्थित राशियों (अनक्लेम्ड बैलेंसेज), मैनेजिंग एजेंसी या दूसरी एजेंसियों के घाटे के लिए प्राप्त क्षति-पूर्ति और नियोजन समाप्त होने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति पर भी कर लगाया जा रहा है। धारा २३—क के उपबन्धों को कठोर बनाया जा रहा है और यदि किसी कम्पनी के ६० प्रतिशत लाभ को बांटा नहीं गया, तो उस के अनबंटे लाभ पर प्रति रुपया चार आने की समान दर पर अधिकर लगाया जा रहा है। सहकारिता समितियों को कुछ और रियायतें दी जा रही हैं, किन्तु सहकारिता बीमा समितियों को कर की परिधि में लाया जा रहा है। इन तथा दूसरे परिवर्तनों का उद्देश्य विशेषत: आय कर व्यवस्था को वैज्ञानिक संगति देना है और इन का सामूहिक वित्तीय प्रभाव अधिक नहीं होगा।

आयकर में इन सब परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप राजस्व में ८.७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिस में से राज्यों का अंश ४.२ करोड़ रुपये होगा।

अब मैं प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का सारांश बताता हूं। सीमा-शुल्कों में परिवर्तन करने से ५० लाख रुपये का घाटा होगा और इतना ही घाटा दियासलाई के उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन करने से होगा जिस में से २० लाख का घाटा राज्यों के हिस्से जायगा। नये और बढ़ाये गये उत्पादन-शुल्कों से १८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। आयकर में परिवर्तन करने से ८.७ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिस में से राज्यों का हिस्सा ४.२ करोड़ रुपया होगा। परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय राजस्व में २१.७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और राजस्व खाते में ८.४७ करोड़ रुपये का अपूरित घाटा रह जायगा। अतिरिक्त करों को मिला कर अगले साल का सम्पूर्ण घाटा ३१८ करोड़ रुपये रहेगा।

प्रथम पंच वर्षीय योजना का यह अन्तिम बजट है और पिछले वर्षों के बजटों की तरह इसे भी इसी मुख्य उद्देश्य से बनाया गया है कि योजना को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। मैं इस सम्बन्ध में योजना की प्रगति की समीक्षा करना नहीं चाहता। पिछले अधिवेशन म सदन को योजना की प्रगति पर ब्योरेवार विचार करने का अवसर मिला था और मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि इसी प्रकार विचार करने का और अवसर प्राप्त होगा। किन्तु मेरा विचार है कि इस अवधि का अन्त, जो बहुत निकट है, इस बात का पता लगाने का एक अवसर है कि अब तक क्या प्रगति हुई है। प्रथम योजना भिन्न परिस्थितियों में तैयार की गयी थी जब मुद्रास्फीति, और अभाव आदि की काली घटाएं अर्थ-व्यवस्था पर छायी हुई थीं। योजना का निर्माण निज में एक नया प्रयास था, क्योंकि उस में राष्ट्रीय जीवन के एक बड़े भाग को सम्मिलित किया गया है। उद्देश्य यह था कि काफी अच्छे ढंग से कार्यारम्भ हो और पिछले चार वर्षों को देखते हुए मैं यह कहने का साहस करता हूं कि बहुत कुछसफलता के साथ यह कार्य हुआ। प्रथम योजना ने तो राष्ट्रीय विकास की समस्या का स्पर्श भर किया है। इस के बाद ऐसी बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित करनी होंगी। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अब भली-भांति समझती हैं कि प्रथम योजना को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। योजना को और अधिक सक्रिय रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन व्यवस्था को अधिकाधिक सज्जित

[श्री सी० डी० देशमुख]

किया जा रहा है । फिर भी सुधार की अभी काफी गुंजाइश है । यद्यपि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ त्रुटियां हुई हैं, फिर भी योजना की विशालता और मनुष्य द्वारा बनायी गयी किसी भी आयोजना की अनिवार्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये ऐसी नहीं हैं जिनसे हम हतोत्साह हों । देश में लोगों में योजना बना कर कार्य करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है और देहातों में आर्थिक विकास के लिए जाग्रति उत्पन्न होती जा रही है, जो सरसरी नजर डालने से भी दिखायी दे सकती है । सिंचाई और बिजली, औद्योगिक विकास तथा सामुदायिक और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की दिशा में प्रथम पंच वर्षीय योजना की सफलताएं किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । द्वितीय योजना में निश्चय ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिस से हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता तथा लोक-तंत्रीय सिद्धान्तों पर चलने की हमारी घोषित नीति के अनुरूप और भी तीव्र गति से विकास हो सके । जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण (नेशनल सेम्पल सर्वे) की रिपोर्टों तथा देहात ऋण सर्वेक्षण (रूरल क्रेडिट सर्वे) की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने से विविध तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध हो गये हैं । पिछले कुछ महीनों में ही एक विस्तृत योजना तैयार करने की समस्या के आंकिक तथा शिल्पिक (टेक्निकल) अंगों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य हो चुका है । मुझे आशा है कि निकट भविष्य में योजना का एक ढांचा सामने रखा जा सकेगा जिस में योजना के केन्द्रीय उद्देश्यों तथा साधनों की उपलब्धि का समुचित ध्यान रखते हुए एक दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना की सफलता मेरे विचार से दो मुख्य बातों पर निर्भर है—संगठन तथा वित्त । ऐसी अर्थ-व्यवस्था में, जिस में वास्तविक साधनों को वांछित दिशाओं में ले जाने का प्रधान उपाय धन के रूप में पुरस्कार प्राप्ति है, वित्त उपलब्धि अत्यन्त जटिल विषय है । किन्तु धन तो एक प्रकार से संकेत मात्र है । यदि कोई चाहे तो उस सीमा तक धन जुटाया जा सकता है जो अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता का तीव्र, परन्तु नियमित प्रगति से, समन्वय करने के लिए आवश्यक है । वित्तीय साधनों का ध्यान रखे बिना भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने का न कोई प्रश्न है और न हो ही सकता है । दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध होना तथा निवेश और उत्पादन के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना अत्यन्त आवश्यक है । आयोजित विकास के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना नितान्त आवश्यक है और यही कारण है कि मैं करदाताओं पर आज यह भारी बोझ डाल रहा हूं । ऐसा करना इस दृष्टि से भी उचित है कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक संविधान में निर्धारित लोकहितकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

मैं ने पहले कहा था कि सारा देश, दिन प्रति दिन, योजना की ओर प्रवृत्त हो रहा है, देश भर में परिमित साधनों वाले व्यक्ति अपने साधनों और कभी कभी श्रमदान से योजना के परिपालन में योग दे रहे हैं । कम आय वाले व्यक्तियों से, कभी कभी छात्रों से भी जो यह चाहते हैं कि उन का नाम गुप्त रखा जाय, योजना के लिए मुझे कुछ धन प्राप्त होता रहता है । व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए यह उत्साहवर्धक अनुभव है और यदि इस में निहित भावना सम्पूर्ण जनता को स्फुरण प्रदान करती रही, तो हम विश्वास के साथ इस योजना और भावी योजनाओं की सफलता की आशा कर सकते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १ मार्च १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित